

41st

वार्षिक रिपोर्ट

2021-22



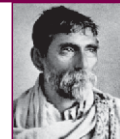
बंगाल केमिकल्स एण्ड
फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

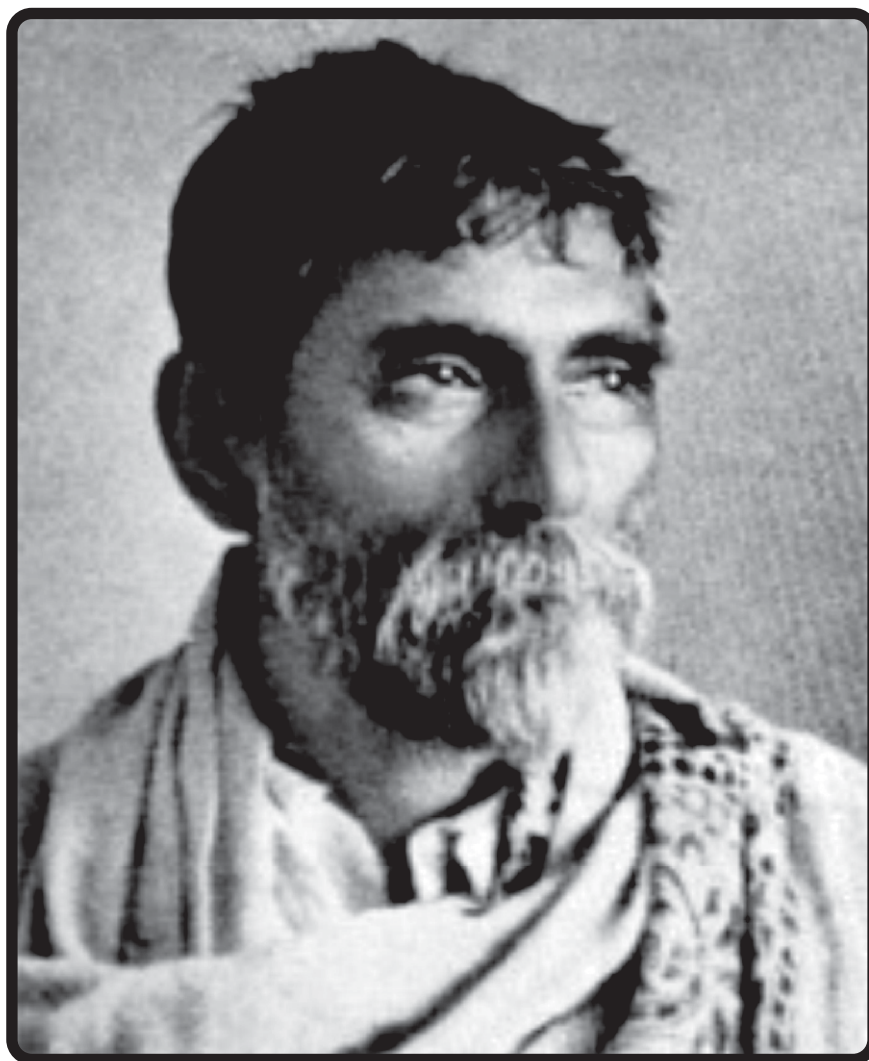
CIN No. U24299WB1981GOI033489



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



हमारे संस्थापक ... प्रेरणा स्रोत

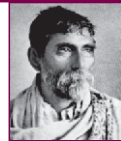


आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय
(2 अगस्त 1861 - 16 जून 1944)

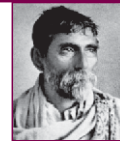
आचार्य जी प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक शिक्षाविद एवं बंगाल के प्रमुख उद्यमी थे। वह बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (1901) के संस्थापक थे जो भारत की पहली फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। आज, बंगाल केमिकल्स 100 से अधिक वर्षों से समृद्ध विरासत संभाले घरेलू उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स एवं केमिकल के क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम है।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



श्री नरेंद्र मोदी
भारत के माननीय प्रधानमंत्री



दूरदृष्टिता, लक्ष्य और कंपनी के उद्देश्य:

दूरदृष्टिता

सभी उपभोक्ताओं की जरूरतानुसार कम कीमतों पर गुणवत्ता चिकित्सा, जीवन रक्षक दवाओं, रसायन और गृह उत्पादों की पूर्ति कर एक विश्व स्तरीय सम्मानित संगठन बनना।

लक्ष्य

- अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन के साथ विनिर्माण हेतु सुविधाएं प्राप्त करना।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हुए, नवाचार और आरएंडडी पहल के साथ उत्पादों की गुणवत्ता में लगातार सुधार करना, जिससे ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाया जा सके।
- सतत विकास के संवर्धन के लिए पर्यावरण संरक्षण, संरक्षण और ग्रीन पहल के लिए प्रतिबद्ध।
- चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहद प्रेरित और प्रतिभाशाली मानव संसाधन विकसित करना।
- सामाजिक रूप से निगमित प्रशासन और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध।
- निवल मूल्य में सुधार लाने के लिए लागत क्षमता को कम रखने की कोशिश।

उद्देश्य

कंपनी अपने दूरदृष्टि/लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करेगी

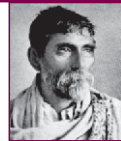
- ✓ मुख्य उत्पाद श्रेणियों में उत्पादों की उच्च गुणवत्ता और लागत प्रतिस्पर्धा और नेतृत्व के साथ तेजी से विकास करना।
- ✓ अनुसंधान एवं विकास और ग्राहक देखभाल के क्षेत्र में निरंतर नवाचार की एक संस्कृति पैदा करना।
- ✓ पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों पर जोर देना जिससे कि संसाधन और अपशिष्ट प्रबंधन के संरक्षण के सतत विकास में अग्रणी होगा। और
- ✓ आधुनिक मानव संसाधन प्रबंधन के तरीकों को अपनाकर कर्मचारी संतुष्टि के स्तर में सुधार।

गुणवत्ता नीति

- ❖ निर्धारित मानकों के अनुरूप दवाईयों का उत्पादन करना।
- ❖ उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण के संचालन के सभी चरणों में गुणवत्ता का रखरखाव।
- ❖ उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ावा देना।
- ❖ सभी कर्मचारियों की भागीदारी के साथ, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता में लगातार सुधार करना।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)

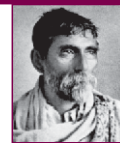


डॉ. मनसुख मंडाविया

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण;
तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



हमारे लेखा परीक्षक और बैंकर

सांविधिक लेखा परीक्षक
मेसर्स एस के मलिक एंड कं.
सनदी लेखापाल
कोलकाता

लागत लेखापरीक्षक
मेसर्स सत्यव्रत दासगुप्ता एंड कं.
कोलकाता

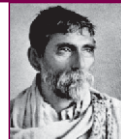
बैंकर
पंजाब नेशनल बैंक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
आईसीआईसीआई बैंक

पंजीकृत कार्यालय
6, गणेश चंद्र एवेन्यू
कोलकाता -700013

ई-मेल आईडी: bcplmdsecretarat@gmail.com
वेबसाइट: www.bengalchemicals.co.in
सीआईएन: U24299WB1981GOI033489



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)

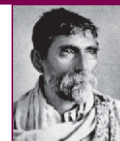


श्री भगवंत खुबा

माननीय राज्य मंत्री (रसायन एवं उर्वरक)



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)

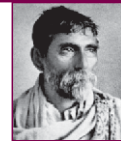


41वें वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22 की विषय सूची

विषय सूची	पृष्ठ सं.
निदेशक मंडल	1
हमारे कार्यालय, कारखाने एवं डिपो	2
शेयरधारकों को पत्र	3 - 6
41वीं वार्षिक आम सभा की सूचना	7 - 14
वित्तीय विशिष्टताएँ तथा ग्राफ	16 - 20
रिपोर्ट:	
निदेशकों की रिपोर्ट	21 - 36
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	27 - 44
कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	45 - 54
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता विकास रिपोर्ट	55 - 56
निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रामाणन	57
फॉर्म सं. एओसी-2	58
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	
भारत के नियंत्रक एवं महानिरीक्षक की टिप्पणियाँ और प्रबंधन का उत्तर	59 - 61
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	62 - 78
वित्तीय विवरण	
तुलन पत्र	79
लाभ तथा हानि खाता विवरण	80
रोकड़ प्रवाह विवरण	81 - 82
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	83 - 92
खातों पर नोट	93 - 120



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



निदेशक मंडल



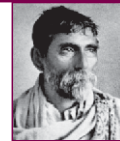
श्रीमती नीरजा सराफ
प्रबंध निदेशक
(15 अक्टूबर, 2020 से)



श्री प्रवीण कुमार
अंशकालिक सरकारी निदेशक
(सरकार द्वारा नामित निदेशक)
(10 जून, 2020 से)



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



हमारे कार्यालय:

पंजीकृत कार्यालय / कॉर्पोरेट कार्यालय:

6, गणेश चंद्र एवेन्यू, कोलकाता-700 013
दूरभाषसं. : (033) 2237-1525/1526, फैक्स : (033) 2225 7697
वेबसाइट: www.bengalchemicals.co.in
ई मेल : bcplmdsecretariat@gmail.com

हमारे कारखाने:

मानिकतला फैक्ट्री और सेंट्रल स्टोर:

164, मानिकतला मेन रोड,
कोलकाता-700 054
दूरभाषसंख्या: 033-2320 4157/4158
ई मेल: qa_mfy@bengalchemicals.co.in

मुंबई फैक्ट्री:

502, एस. वी. सावरकर मार्ग, प्रवादेवी, मुंबई-400 025
दूरभाषसंख्या: 022 - 2430 2081
ई मेल: works_mumfy@bengalchemicals.co.in

पानीहाटी फैक्ट्री:

बी.टी.रोड, पोस्ट: पानीहाटी,
कोलकाता-700 114, 24 परगना (उत्तर)
दूरभाषसंख्या: 033 - 2553 1924/4541
ई मेल: works_pfy@bengalchemicals.co.in

कानपुर फैक्ट्री:

84/23, फैक्ट्री एरिया, फजलगंज, कानपुर-208 012
दूरभाषसंख्या: 0512 - 221 6292
ई मेल: works_kfy@bengalchemicals.co.in

हमारे डिपो:

दिल्ली डिपो:

डी I - डी II, शिवलोकहाउस - II,
करमपुरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स
विपरीत: मिलन सिनेमा कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110015
दूरभाषसं: 80533 54553
ई मेल: bengalchemicals@gmail.com

गुवाहाटी डिपो:

294, जतिन तमुलीपथ
गरलिया, सरुसजई
गुवाहाटी-781 040
ई मेल: bcpl.guwahati@gmail.com

चेन्नई डिपो:

नंबर 19ए/88, वेंकटेशनगर, एक्सटेंशन I,
II क्रॉस, दूसरी गली, विरुगमबक्कम, चेन्नई-600 092
दूरभाषसं.: 044-2376-4510
ई मेल : bcplchennaidepot@yahoo.com

रांची डिपो:

सुवम सुरवी निवास, केटरी बागान,
स्वर्णरेखा नगर मेन रोड, नामकुम, रांची-834 010
दूरभाषसं: +91 88823 88794
ई मेल: sachin7860@yahoo.co.in

हैदराबाद डिपो:

डोर नंबर : 4-98-1-6
न्यू नरसिम्हा नगर मेन रोड, मालापुरम
नजदीक: नोमा कल्याण वेदेका, हैदराबाद-500 076
दूरभाषसं.: 80081 50255
ई-मेल: bcplhyd@gmail.com

जयपुर डिपो:

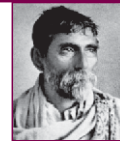
17, यमुना पथ, पटेल नगर ईस्ट
विपरीत: लक्ष्मीकांत, 22 गोदाम
जयपुर-302 006, राजस्थान
दूरभाषसं.: 86195 96774

हमारे रिटेल स्टोर:

1. 6, गणेशचंद्र एवेन्यू, कोलकाता-700 013
2. 153, लेनिन सरणी, कोलकाता-700 013
3. 44, गोपाल लाल ठाकुर रोड, कोलकाता-700 036
4. 502, एस.वी.सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई-400 025



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



शेयरधारकों को पत्र

प्रिय शेयरधारकों,

मैं आपकी कंपनी, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) की 41वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेकर इसे सुगम बनाने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। पिछले पांच वर्षों यानी 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 की तरह आपकी कंपनी ने 2021-22 में भी अच्छा प्रदर्शन किया है और विभिन्न बाधाओं के बावजूद बीसीपीएल ने इस वर्ष भी शुद्ध लाभ हासिल किया है और एक सकारात्मक नेटवर्थ वाली कंपनी बन गई है। यह भी सूचित किया जाता है कि प्रशासनिक मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या, दिनांक 09/09/2021 के आदेश के तहत भारत सरकार रूपए 193.71 करोड़ ऋण की एवं उसपर अर्जित ब्याज की राशि माफ कर दी है।

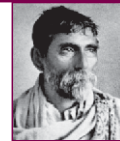
क. वार्षिक वित्तीय विवरण: मुझे वर्ष 2021-22 के लिए बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। बोर्ड की रिपोर्ट जिसमें प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण पर एक रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता विकास पर रिपोर्ट और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण भी शामिल है जो की पहले ही सभी शेयरधारकों को प्रदान किए जा चुके हैं और आपकी अनुमति से, मैं उन्हें "पठित" मानूंगी। निदेशकों की रिपोर्ट बहुत ही व्यापक है और कंपनी के प्रणाली, इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों और बीसीपीएल द्वारा किये गए बाधाओं का सामना और अवसरों का स्पष्ट और विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसलिए मैं आपको केवल कुछ प्रासंगिक और प्रमुख मुद्दों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा जो हमारे सामने हैं। बोर्ड की रिपोर्ट में कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई दिशानिर्देशों और सचिवीय मानकों के तहत आवश्यक हैं, को सम्मिलित करती है।

ख. परिचालन प्रदर्शन: मुझे आप सभी और वर्ष 2021-22 के दौरान बीसीपीएल से जुड़े सभी हितधारकों को "टर्नअराउंड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी स्टेटस" बनाए रखने और पिछले छह वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त करने के लिए बधाई देते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 2021-22 के दौरान, आपकी कंपनी ने 2020-21 में 7.74 करोड़ रुपये के लाभ के मुकाबले 9.24 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। वर्ष 2021-22 के दौरान, आपकी कंपनी ने 84.73 करोड़ रुपये का उत्पादन, 2020-21 में 63.48 करोड़ रुपये के टर्नओवर की तुलना में 62.37 करोड़ रुपये का टर्नओवर अर्जित की।

ग. वित्तीय प्रदर्शन: आपकी कंपनी ने 2021-22 में 62.37 करोड़ रुपये के टर्नओवर पर 9.24 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया है। कॉस्मेटिक और होम प्रोडक्ट्स कंपनी के टर्नओवर में सबसे अधिक योगदान देने वाला सेगमेंट है और इस सेगमेंट ने 2021-22 के दौरान कुल टर्नओवर में 51% का योगदान दिया है। दूसरा सबसे बड़ा सेगमेंट फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स रहा है, जो कुल टर्नओवर



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



में 45% का योगदान देता है। आपकी कंपनी ने 15.23 करोड़ रुपये का सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी) हासिल किया है। कंपनी का लाभ बढ़ा लेकिन निम्नलिखित अपरिहार्य कारणों से पिछले वर्ष की तुलना में टर्नओवर कम हो गया:

1. इस वर्ष कंपनी का टर्नओवर बरकरार नहीं रह सका, क्योंकि हाल ही में कोविड महामारी के कारण अधिकांश फॉर्मूलेशन/दवाओं के लिए कच्चे माल की उपलब्धता लगातार अस्थिर बनी रही।
2. किराये की आय से राजस्व में भारी कमी आई है क्योंकि हमारे अधिकांश किरायेदारों का छोटे पैमाने पर व्यवसाय था और उनके समक्ष अपने व्यवसाय को चलाने के लिए स्थिरता की चुनौतियां थीं। हालांकि, मुंबई और कोलकाता के खाली स्थानों से किराये की आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विभिन्न संस्थानों जैसे, जीएमएसडी, डीजीएचएस आदि से पीपीपी दवाओं की खरीद शुरू होने के कारण 2022-23 में टर्नओवर में पर्याप्त वृद्धि होने की उम्मीद है।

जीएफआर/वस्तुओं की खरीद नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में एनएचएम से पीपीपी उत्पादों/फॉर्मूलेशनों के लिए वरीयता प्राप्त करने की अच्छी संभावना है। यदि ये साकार हो जाते हैं, तो कंपनी के लिए घातीय वृद्धि दर्ज करने की और गुंजाइश है।

घ. कॉर्पोरेट गवर्नेंस : आपकी कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मार्ग सभी हितधारकों के लिए सतत विकास की ओर ले जाता है और "गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस" के मानक को बनाए रखता है और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है। आपकी कंपनी ने पिछले सात वर्षों में लगातार उत्कृष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग हासिल की है। स्व-मूल्यांकन के अनुसार, आपकी कंपनी को 2021-22 में भी "उत्कृष्ट" कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग मिलने की संभावना है। डीपीई ने आपकी कंपनी को वर्ष 2020-21, 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2016-17 और 2015-16 के लिए "उत्कृष्ट" रेटिंग के साथ रेट किया है, जबकि 2014-15 में "फेयर" रेटिंग और 2013-14 तक "खराब" रेटिंग दी गई है। आपकी कंपनी संगठन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं को बनाए रखने और सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है।

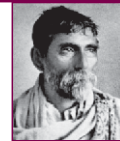
ड. प्रौद्योगिकी उन्नयन और परियोजना कार्यान्वयन:

(i) फेनेओल का 'ब्रांड' विस्तार: कंपनी के प्रमुख कीटाणुनाशक फेनेओल नामक 'ब्रांड' को अपग्रेड करने की योजना है। फेनेओल ब्रांड विस्तार के बाद तीन वेरिएंट में उपलब्ध होगा: -

क) काला फेनेओल/ फेनेओल: इस ब्रांड को सुविधाजनक पेट बोतल के अनुकूल बनाने के लिए काम करना जो ग्राहक के लिए अधिक अनुकूल बना देगा और इसकी क्षणभंगुरता को कम करेगा।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



ख) हरा फेनेओल: बहुउद्देशीय प्राकृतिक कीटाणुरहित सह क्लीनर जिसका उपयोग संगमरमर, विट्रीफाइड टाइल्स, ग्लास, लकड़ी और लोहा / स्टील सतहों सहित विभिन्न सतहों पर किया जा सकता है।

ग) सफेद फेनोल: फेनोल की कीटाणुनाशक प्रकृति के अलावा इनबिल्ट मच्छर और फिट हाउस फ्लाई रिपेलेंट गुण के साथ व्हाइट फेनोलिक फ्लोर क्लीनर।

(ii) फेरिक एलम संयंत्र का उन्नयन: फेरिक एलम उत्पादन संयंत्र बीसीपीएल के पानीहाटी कारखाने में स्थित है। फेरिक एलम संयंत्र बहुत पुराना है और 1977 से सीपीएसई बनने के बाद भी, संयंत्र का आधुनिकीकरण/विकास नहीं किया गया है और उक्त प्लांट से कंपनी बीआईएस ग्रेड-II एलम फेरिक का उत्पादन कर रही है और एनटीपीसी, सेल और पीएचई जैसे सीपीएसई को इसकी आपूर्ति कर रही है।

अब, बीआईएस ग्रेड IV फेरिक एलम सभी प्रमुख खरीद प्राधिकरणों जैसे एनटीपीसी, सेल और सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग के लिए बीसीपीएल से स्थानांतरित हो गया है क्योंकि बीसीपीएल उन्हें बीआईएस ग्रेड IV फेरिक एलम की आपूर्ति नहीं कर सकता है और वे अपनी खरीद मैनुअल के अनुसार ग्रेड II एलम नहीं खरीद सकते हैं।

अब, अपने फेरिक एलम व्यवसाय के विकास/विस्तार के लिए अपने फेरिक एलम संयंत्र को ग्रेड-II से ग्रेड-IV और ग्रेड-V में अपग्रेड करने के लिए पानीहाटी फैक्ट्री में परियोजना कार्य प्रगति पर है।

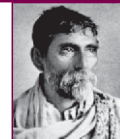
इसलिए, ग्रेड IV सुविधा में उन्नयन के बाद, बीसीपीएल 6785 मीट्रिक टन का यूनिट टर्नओवर उत्पन्न कर सकता है, जिसका वर्तमान दर में मूल्य 277.35 लाख रुपये के मार्जिन / योगदान के साथ 1357.00 लाख रुपये होगा।

च. मार्केटिंग पहल: बीसीपीएल रिलायंस रिटेल लिमिटेड के साथ "टाई अप" करने की प्रक्रिया में है जो देश का सबसे बड़ा आधुनिक व्यापार आउटलेट है। बीसीपीएल के एफएमसीजी और कीटाणुनाशक ब्रांडों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया अगले 30 दिनों में पूरी हो जाएगी और बाद में ये ब्रांड सभी रिटेल स्टोर्स और जियो मार्केट्स के माध्यम से उपलब्ध होंगे। बीसीपीएल को उम्मीद है कि रिलायंस के साथ इस व्यापारिक जुड़ाव के कारण एक वर्ष में रु.6 करोड़ से रु.7 करोड़ का वृद्धिशील व्यवसाय होगा।

छ. मानव संसाधन: मैं हर्ष और गर्व के साथ, यह बताना चाहूंगी कि आपकी कंपनी के कर्मचारी अब नई ऊर्जा के साथ और एक केंद्रित लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं और परिणामस्वरूप बीसीपीएल एक सकारात्मक नेट वर्थ कंपनी बन गई है। इसके अलावा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपके संगठन की समृद्धि "प्रेरित कर्मचारियों के समर्पित समुदाय" पर निर्भर करती है।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



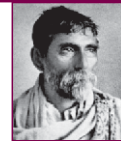
ज. अभिस्वीकृति: सबसे पहले, मैं फार्मास्यूटिकल्स विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत सरकार के विभिन्न अन्य मंत्रालयों, पश्चिम बंगाल सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों, कंपनी रजिस्ट्रार, ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी से प्राप्त निरंतर समर्थन और सहायता को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करती हूँ, जिसके कारण बीसीपीएल 2016-17 में "टर्नअराउंड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी" बन गई और लगातार छठे वर्ष 2021-22 में भी बीसीपीएल ने शुद्ध लाभ अर्जित की। मैं हमारे सभी मूल्यवान "सांविधिक लेखा परीक्षक, लागत लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक, बैंकर, कर लेखा परीक्षक, ग्राहक, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, संपर्ककर्ता, सी एंड एफ एजेंट और स्टॉकिस्ट" द्वारा किए गए समर्थन और योगदान के लिए भी आभार प्रकट करती हूँ और भारतीय रसायन विज्ञान के जनक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे द्वारा स्थापित इस महान संगठन को सेवाएं देने के लिए अपने तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।

मैं पिछले सात वर्षों के दौरान इस शानदार प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए कंपनी के संचालन में उनके बहुमूल्य समर्थन और योगदान के लिए वर्तमान निदेशकों के साथ-साथ आपकी कंपनी के पिछले निदेशकों को भी ईमानदारी से धन्यवाद देती हूँ। अंत में, मैं इस अवसर पर यूनियनों और "बिल्डिंग ब्लॉक्स" यानी आपके संगठन के "कर्मचारियों" को अपना विशेष धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने बीसीपीएल को लाभ कमाने वाली टर्नअराउंड एवं सकारात्मक नेटवर्थ वाली कंपनी बनाने में पूर्ण सहयोग दिया है।

ह/-
(निरजा सराफ)
प्रबंध निदेशक



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



दिनांक: 22 नवंबर, 2022

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के सदस्यों की 41वीं वार्षिक आम बैठक, जो मूल रूप से 28 सितंबर, 2022 को 13:00 बजे आयोजित होने वाली थी, को कैग की टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण 28 सितंबर, 2022 के नोटिस द्वारा स्थगित कर दी गई थी और अब यह शुक्रवार, 25 नवंबर को 15:00 बजे विडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से, मूलतः 28/9/2022 को 13:00 बजे निर्धारित बैठक के सूचनार्थ सदस्यों को प्रेषित दिनांक 05 सितंबर, 2022 को जारी सूचना में उल्लिखित मदों पर विचार करने हेतु आयोजित की जाएगी।

बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार एक सदस्य भाग लेने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और, मतदान में, खुद के बजाय मतदान करने के लिए और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉक्सी, प्रभावी होने के लिए, विधिवत पूरा किया जाना चाहिए, मुहर लगाई जानी चाहिए (यदि लागू हो) और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और बैठक के लिए निर्धारित समय से कम से कम अड़तालीस घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्राप्त किया जाना चाहिए।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

ह/-

अमित कुमार पोद्दार

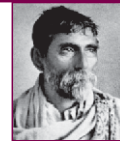
उप प्रबंधक (कॉर्पोरेट मामले)

दिनांक: 22/11/2022

स्थान: कोलकाता



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की 41 वीं वार्षिक आम बैठक को स्थगित करने की सूचना।

सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अप्रत्याशित और अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की 41वीं वार्षिक आम बैठक, जो 28 सितंबर, 2022 को दोपहर 01:00 बजे आयोजित होने वाली थी, को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है।

निदेशक मंडल के आदेश से
एसडी /-

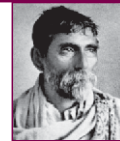
अमित कुमार पोद्दार
उप प्रबंधक (कॉर्पोरेट मामले)

दिनांक : 28/09/2022

स्थान : कोलकाता



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



सूचना

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के सभी शेयरधारकों को नोटिस दिया जाता है कि कंपनी की 41वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार 28 सितंबर, 2022 को 13:00 बजे आयोजित की जाएगी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए:

साधारण व्यवसाय

1. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करने, विचार करने और अपनाने के लिए जिसमें 31 मार्च 2022 तक की बैलेंस शीट और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और बोर्ड की रिपोर्ट शामिल हैं। निदेशकों और उस पर लेखा परीक्षकों की।
2. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के खातों की लेखा परीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने और पारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करने के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प, संशोधन के साथ या बिना संशोधन के:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसार, निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों (यदि कोई हो) के पारिश्रमिक संबंधी निर्णय लेने और तय करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

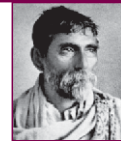
विशेष व्यवसाय:

1. 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को अनुमोदित करना और इस संबंध में, निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना और यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:

संकल्प लिया जाता है कि, "कंपनी अधिनियम, 2013 और परिचालन (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 की धारा 148 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुपालन में (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित) (फिलहाल लागू)



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



मैसर्स सत्यव्रत दासगुप्ता एंड कंपनी, लागत लेखाकार, जिसे निदेशक मंडल द्वारा कंपनी की लागत लेखा परीक्षा के संचालन के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, 55,000 रुपये के कुल शुल्क पर, टीए /डीए और आउट ऑफ पॉकेट खर्चों को छोड़कर लागू करों को लागू किया जाएगा।

आगे संकल्प लिया गया कि कंपनी के निदेशक मंडल को सभी कार्य करने और इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, उचित या समीचीन सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाए।

- सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन को मंजूरी देने के लिए:

“संकल्प लिया गया है कि सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा और एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

अमित कुमार पोद्दार

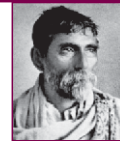
उप प्रबंधक (कॉर्पोरेट मामले)

दिनांक : 05/09/2022

जगह : कोलकाता



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)

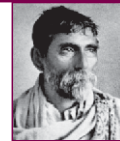


टिप्पणियाँ:

1. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 5 मई, 2022 के सामान्य परिपत्र संख्या 2/2022 के अनुपालन में बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की 41वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जानी है, जिसमें कंपनियों को 31 दिसंबर, 2022 को या उससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी एजीएम को आयोजित करने की अनुमति दी गई है।
2. बैठक से पहले बैठक का लिंक शेयरधारकों के पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
3. जिन सदस्यों ने अभी तक अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है या जो अपनी ई-मेल आईडी बदलना चाहते हैं, उनसे कंपनी से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है ताकि कंपनी द्वारा समय-समय पर भेजी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस आदि सहित सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त किए जा सकें।
4. शेयरधारक कृपया ईमेल-आईडी cs@bengalchemicals.co.in पर लिख सकते हैं या श्री अमित कुमार पोद्दार, उप प्रबंधक (कॉर्पोरेट मामले), मोबाइल नंबर - 98305 02873 किसी भी प्रश्न / शिकायत / शिकायतों के लिए से संपर्क कर सकते हैं।
5. शेयरधारक केवल cs@bengalchemicals.co.in पर अपने पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से ई-मेल भेजकर प्रस्तावों पर अपना वोट डालेंगे।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार विवरण

निम्नलिखित कथन संलग्न सूचना में उल्लिखित विशेष व्यवसाय से संबंधित सभी भौतिक तथ्यों को निर्धारित करता है:

विशेष व्यवसाय की मद संख्या 1

31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा करने के लिए लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक को निम्नलिखित विवरण के अनुसार अनुमोदित किया है :

लागत लेखा परीक्षक का नाम	ऑडिट शुल्क (रुपये में)
मैसर्स सत्यव्रत दासगुप्ता एंड कंपनी	55,000/-

कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक की पुष्टि किसके द्वारा की जानी है कंपनी के सदस्य।

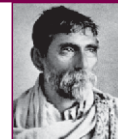
तदनुसार, 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक के अनुसमर्थन के लिए नोटिस के विशेष कार्य के मद संख्या 1 में निर्धारित एक साधारण संकल्प पारित करने के लिए सदस्यों की सहमति मांगी जाती है। नोटिस के मद संख्या 1 में निर्धारित संकल्प में कंपनी के निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कामकों/उनके संबंधियों में से कोई भी किसी भी प्रकार से संबंधित या इच्छुक, वित्तीय या अन्यथा नहीं है। बोर्ड सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए नोटिस के विशेष कार्य के आइटम नंबर 1 में निर्धारित साधारण संकल्प की सिफारिश करता है।

विशेष व्यवसाय की मद संख्या 2

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा 20 जून 2016 को जारी सीपीएसई के पूंजी पुनर्गठन के दिशानिर्देशों के अनुसार , प्रत्येक सीपीएसई कंपनी की बुलाई गई बोर्ड बैठक में एक अनुपालन नोट के साथ इस मामले को एजेंडा आइटम के रूप में लेकर इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। इसके वार्षिक खातों को अंतिम रूप देने और अनुमोदन के लिए, और उसके तुरंत बाद होने वाली एजीएम/ईजीएम में शेयरधारकों/सदस्यों का अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। इसलिए, वर्ष 2021-22 के दौरान "सीपीएसई के लिए पूंजी पुनर्गठन दिशानिर्देशों" के अनुपालन का विवरण नीचे दिया गया है:



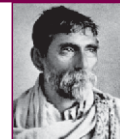
बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



क्र.सं.	प्रावधान	अनुपालन
1.	लाभांश का भुगतान: पूर्व के दिशानिर्देशों की अनदेखी करते हुए, प्रत्येक सीपीएसई पीएटी का 30% या निवल मूल्य का 5% का न्यूनतम वार्षिक लाभांश, जो भी अधिक हो, मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन भुगतान करेगा।	बीसीपीएल पिछले छह वर्षों से लाभ की सूचना दे रहा है। लेकिन पिछले वर्षों में निरंतर घाटे की रिपोर्टिंग के कारण, कंपनी को 31/03/2022 तक अपने पी एंड एल खाते में 11712 लाख रुपये का संचित घाटा हो रहा है। इसके अलावा, भारत सरकार ने फाइल संख्या 53017/08/2017-पीएसयू (भाग) डी.9.9/2021 के तहत आदेश के तहत 19371 लाख रुपये की अर्जित ब्याज राशि के साथ भारत सरकार के ऋण की छूट दी है, जिसे 31/03/2022 तक रिजर्व और अधिशेष में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 31/03/2022 तक सकारात्मक निवल मूल्य है। तथापि, चूंकि 31-03-2022 की स्थिति के अनुसार इसके पी एंड एल खाते में 11712 लाख रुपये की संचित हानि हुई है, इसलिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।
2	शेयरों की पुनर्खरीद: प्रत्येक सीपीएसई जिसका नेटवर्थ कम से कम 2000 करोड़ रुपये और नकद और 1000 करोड़ रुपये से अधिक का बैंक बैलेंस है, उसे अपने शेयरों की पुनर्खरीद के विकल्प का उपयोग करना होगा।	बीसीपीएल इन मानदंडों से मेल नहीं खा रहा है। इसलिए बीसीपीएल अपने शेयरों को वापस खरीदने के विकल्प का उपयोग करने की स्थिति में नहीं है।
3	बोनस शेयर जारी करना: प्रत्येक सीपीएसई बोनस शेयर जारी करेगा यदि उनका परिभाषित भंडार और अधिशेष उसकी चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के बराबर या 10 गुना से अधिक है।	31.03.2022 तक, बीसीपीएल के पास 7658.60 लाख रुपये का सकारात्मक शेष भंडार और अधिशेष था, जबकि कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 7696.04 लाख रुपये है। इसलिए, इनके अनुसार दिशानिर्देश, बीसीपीएल को बोनस शेयर जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
4	शेयरों का विभाजन: एक सीपीएसई जहां उसके शेयर का बाजार मूल्य या बुक वैल्यू उसके अंकित मूल्य के 50 गुना से अधिक है, वह अपने शेयरों को उचित रूप से विभाजित करेगा, बशर्ते शेयर का मौजूदा अंकित मूल्य 1 रुपये के बराबर या उससे अधिक हो।	बीसीपीएल के शेयरों का बुक वैल्यू नेगेटिव है, जबकि इसके शेयर की फेस वैल्यू 1000 रुपये प्रति शेयर है। इसलिए, इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बीसीपीएल को अपने शेयरों को विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



बोर्ड सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए नोटिस के मद सं. 2 में निर्धारित सामान्य संकल्प की सिफारिश करता है।

प्रति

बीसीपीएल के सभी शेयरधारक

को कॉपी:

- i. बीसीपीएल के सभी निदेशक
- ii. सरकार के सचिव। भारत की,
औषधि विभाग
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
- iii. एमएस। एसके मलिक एंड कंपनी
वैधानिक लेखा परीक्षक

निदेशक मंडल के आदेश से

ह /-

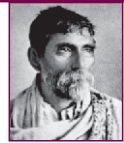
अमित कुमार पोद्दार
उप प्रबंधक (कॉर्पोरेट मामले)

दिनांक : 05/09/2022

स्थान : कोलकाता



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)

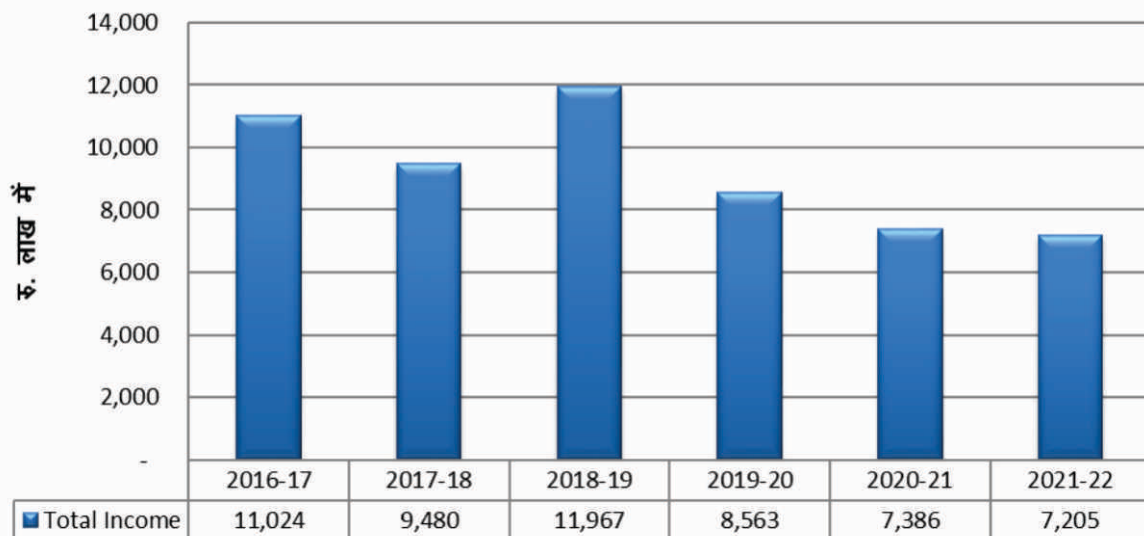


दस वर्षों की वित्तीय विशेषताएं:

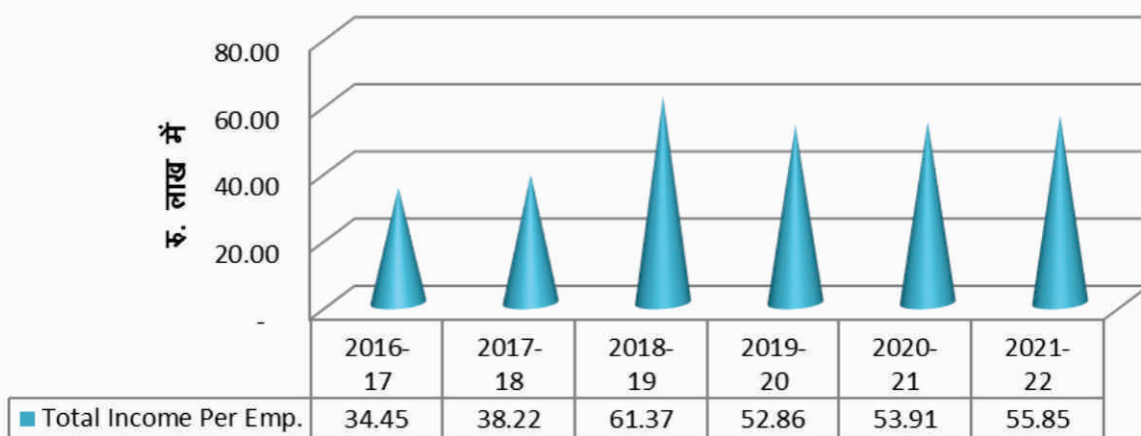
(रु. लाख में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
उत्पादन का मूल्य	3,633	1,970	6,410	10,670	10,269	9,818	12,345	8,419	9,039	8,473
वित्तीय प्रदर्शन:										
परिचालन आय / संचालन से राजस्व	2,737	1,706	4,584	8,819	8,536	7,801	10,050	7,028	6,348	6,237
अन्य आय	1,907	1,957	1,970	2,457	2,488	1,679	1,917	1,536	1,038	968
कुल आय	4,644	3,663	6,554	11,276	11,024	9,480	11,967	8,563	7,386	7,205
परिचालन लागत / प्रत्यक्ष लागत	2,661	1,454	3,024	5,630	4,663	4,161	5,532	3,503	3,434	3,364
कर्मचारी लाभ व्यय	2,567	2,609	2,857	2,352	1,952	1,470	1,479	1,416	1,229	1,131
वित्तीय लागत	1,469	1,285	1,536	1,642	1,507	905	245	68	9	3
अन्य खर्च	1,705	1,636	1,583	2,170	2,005	1,425	1,673	1,619	1,348	1,187
मूल्यह्रास	309	334	361	395	447	512	512	512	592	615
कुल खर्च	8,712	7,319	9,361	12,189	10,573	8,474	9,441	7,118	6,612	6,300
असाधारण आय	-	-	1,076	-	-	-	-	-	-	19
सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	(2,290)	(2,036)	165	1,124	2,405	2,423	3,283	2,026	1,375	1,523
कर और असाधारण आय से पहले लाभ (हानि)	(4,069)	(3,655)	(2,808)	(913)	451	1,006	2,526	1,446	774	905
लाभ (हानि) कर से पहले	(4,069)	(3,655)	(1,732)	(913)	451	1,006	2,526	1,446	774	924
कर व्यय / Prov.आयकर के लिए	-	-	-	-	-	-	-	139	166	177
लाभ / (हानि) कर के बाद	(4,069)	(3,655)	(1,732)	(913)	451	1,006	2,526	1,307	608	747
संपत्ति देनदारियां:										
देनदारियां:										
शेयर पूंजी	7,696	7,696	7,696	7,696	7,696	7,696	7,696	7,696	7,696	7,696
भंडार और अधिशेष	(13,271)	(16,926)	(17,444)	(18,357)	(17,906)	(16,900)	(14,374)	(13,067)	(12,459)	7,659
कुल मूल्य	(5,575)	(9,230)	(9,748)	(10,661)	(10,210)	(9,204)	(6,678)	(5,371)	(4,763)	15,355
उधारी	18,426	19,256	21,145	21,740	21,955	21,021	20,073	19,371	19,371	-
नियोजित पूंजी	12,852	10,026	11,397	11,079	11,745	11,817	13,394	13,999	14,608	15,355
अन्य वर्तमान देनदारियां	7,868	8,534	9,283	9,317	8,082	7,612	6,471	5,797	5,012	5,878
प्रावधानों	1,724	1,711	1,922	1,973	1,745	1,306	1,027	1,013	912	372
कुल देनदारियाँ	22,444	20,271	22,602	22,369	21,572	20,735	20,892	20,809	20,532	21,605
संपत्ति:										
अचल संपत्तियां (सकल ब्लॉक)	5,901	6,519	6,686	12,501	13,463	14,011	13,507	14,072	16,333	16,343
संचित मूल्यह्रास	2,758	3,225	2,370	2,765	3,212	3,724	3,724	4,744	5,335	5,950
फिक्स्ड एसेट्स का नेट ब्लॉक	3,143	3,294	4,316	9,736	10,251	10,287	9,783	9,328	10,998	10,393
कैपिटल कार्य - प्रगति पर	11,092	10,973	10,923	5,718	5,149	4,754	4,754	4,791	2,527	2,527
आविष्कार	1,046	811	1,428	1,463	1,467	1,970	1,708	1,653	1,444	1,441
पाने लायक कारोबार	1,100	743	1,441	2,633	2,171	2,252	3,521	3,173	2,885	2,597
नकद और बैंक बैलेंस	4,234	3,009	3,698	1,865	1,429	242	63	344	1,163	3,170
ऋण और अग्रिम	994	1,140	564	504	641	653	381	544	314	100
अन्य मौजूदा परिसंपत्तियाँ	835	301	231	448	463	577	681	976	1,201	1,376
कुल संपत्ति	22,444	20,271	22,602	22,369	21,572	20,735	20,892	20,809	20,532	21,604
अन्य:										
कर्मचारियों की संख्या	573	481	405	370	320	248	195	162	137	130
शेयरों की संख्या	769,604	769,604	769,604	769,604	769,604	769,604	769,604	769,604	769,604	769,604
अनुपात:										
प्रति कर्मचारी कुल आय रु. लाखों	8.10	7.62	16.18	30.48	34.45	38.22	61.37	52.86	53.91	55.85
प्रति शेयर कमाई रु।	(528.66)	(474.94)	(225.06)	(118.65)	58.65	130.69	328.21	169.83	79.03	97.08
प्रशासनिक खर्च/कुल खर्च %	49.04%	58.01%	47.43%	37.10%	37.43%	34.17%	35.30%	42.63%	38.97%	36.79%
प्रशासनिक व्यय/कुल आय %	92.01%	115.88%	67.74%	40.10%	35.89%	30.54%	26.34%	35.44%	34.89%	32.17%
वित्त लागत/कुल व्यय %	16.86%	17.56%	16.41%	13.47%	14.25%	10.69%	2.74%	0.96%	0.14%	0.05%
कुल आय का कुल व्यय %	187.62%	199.77%	142.83%	108.10%	95.91%	89.39%	74.61%	83.12%	89.52%	87.44%
टर्नओवर के देनदार दिनों की संख्या	147	159	115	109	93	105	128	165	166	152
इन्वेंट्री टू टर्नओवर नंबर ऑफ डेज	140	173	114	61	63	92	62	86	83	84
व्याज कवरेज (पीबीडीआईटी के लिए वित्त लागत) कई बार	-1.56	-1.58	0.11	0.68	1.60	2.68	13.40	29.59	152.78	507.67
वर्तमान अनुपात समय की संख्या	1.04	0.70	0.79	0.74	0.76	0.75	0.98	1.15	1.40	1.48
ऋण इक्विटी अनुपात टाइम्स की संख्या	2.39	2.50	2.75	2.82	2.85	2.73	2.61	2.52	2.52	-
नियत लाभ सीमा %	-87.62%	-99.77%	-26.43%	-8.10%	4.09%	10.61%	25.39%	16.88%	10.48%	12.82%
परिचालन/सकल लाभ मार्जिन (पीबीडीआईटी/कुल आय) %	-49.31%	-55.57%	2.51%	9.97%	21.82%	25.56%	27.43%	23.66%	18.62%	21.14%
परिचालन लागत/परिचालन आय %	97.24%	85.22%	65.99%	63.84%	54.63%	53.34%	55.05%	49.84%	54.10%	53.94%

कुल आय

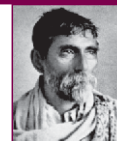


प्रति कर्मचारी कुल आय

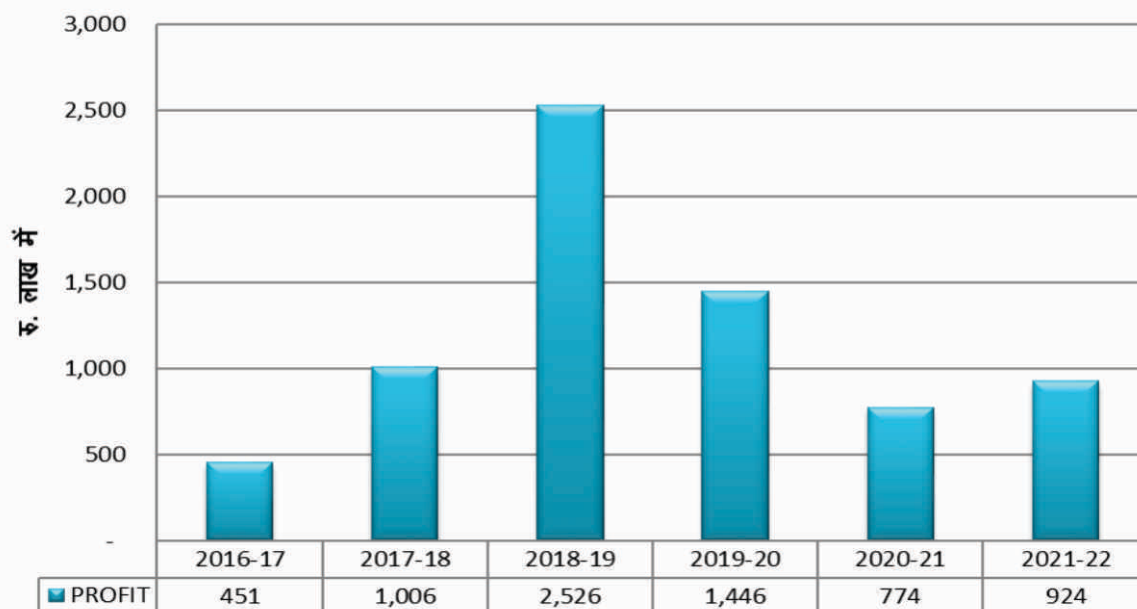




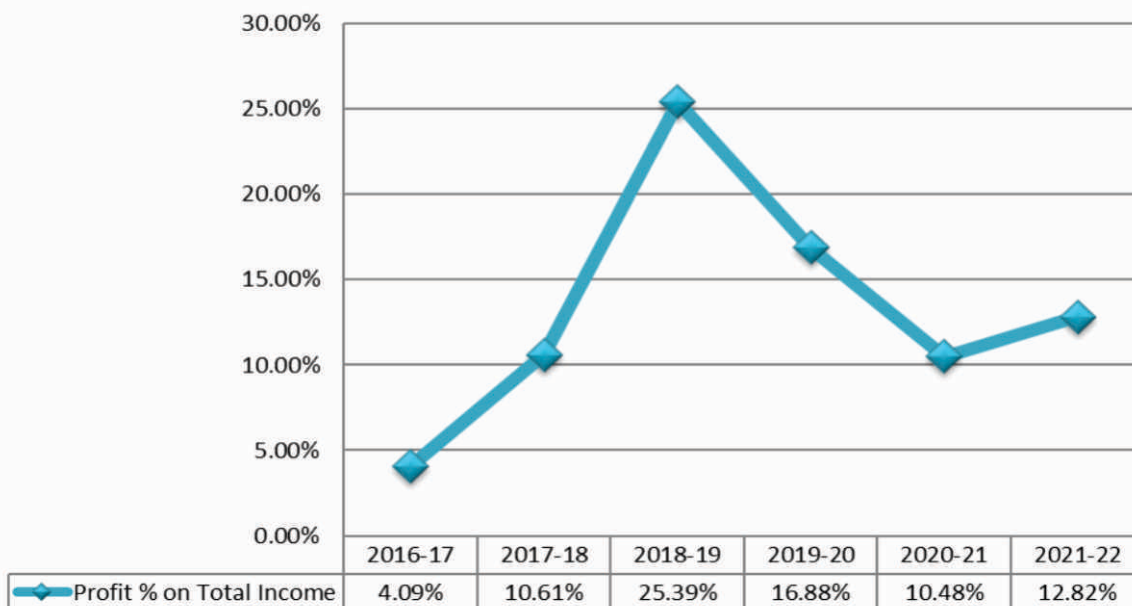
बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



लाभ

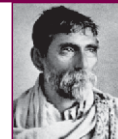


कुल आय पर लाभ

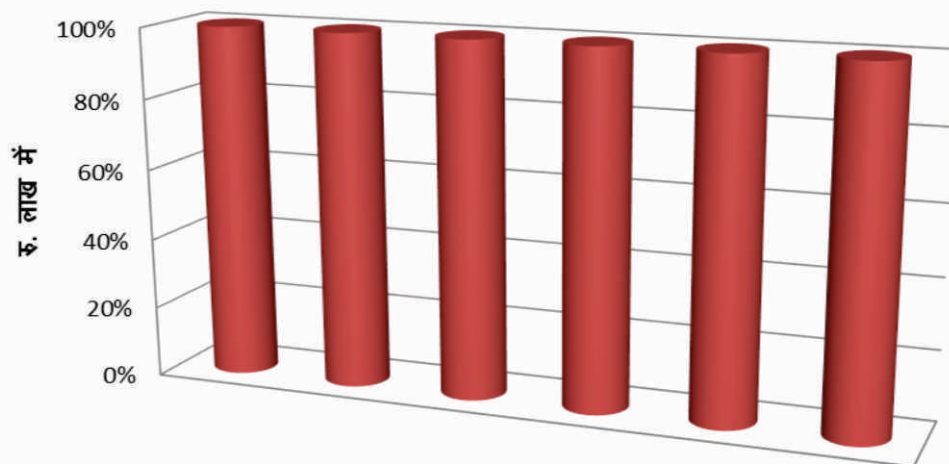




बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)

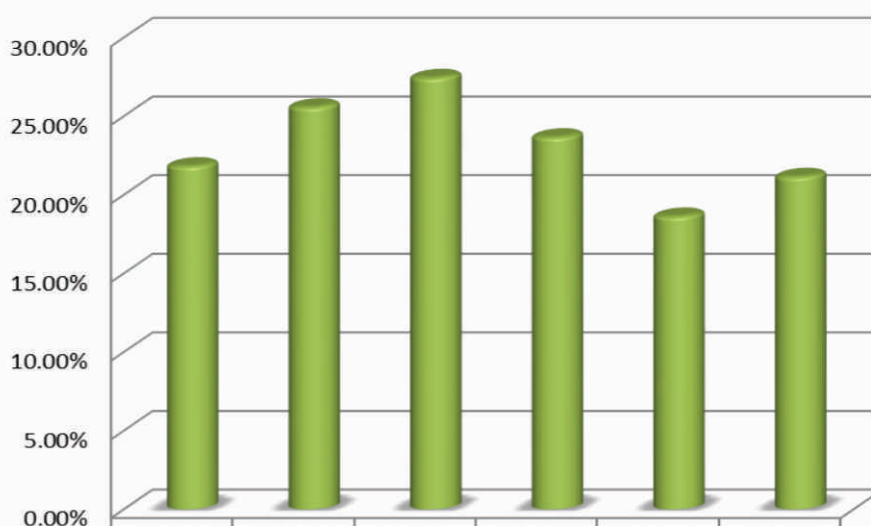


सकल मार्जिन



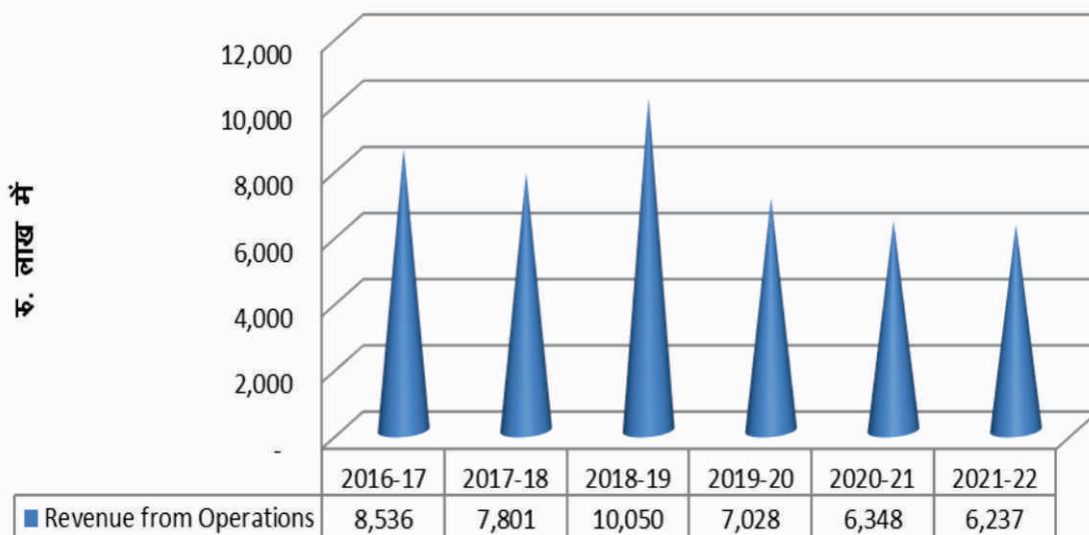
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
■ GROSS MARGIN	2,405	2,423	3,283	2,026	1,375	1,523

कुल आय में सकल मार्जिन

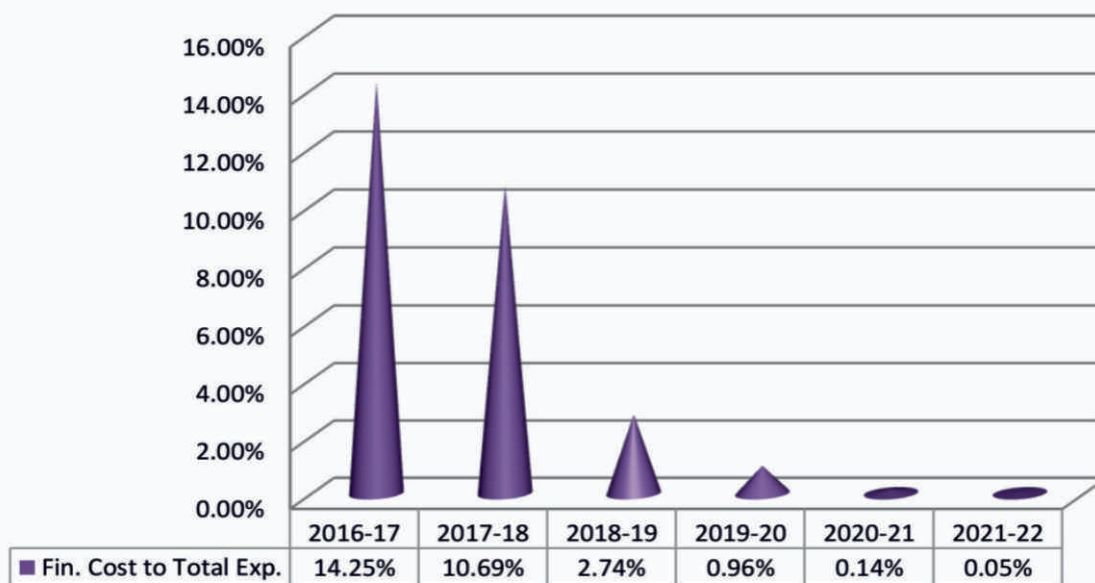


	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
■ Gross Margin to Total Income	21.82%	25.56%	27.43%	23.66%	18.62%	21.14%

परिचालन से राजस्व



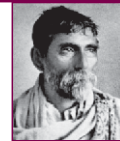
कुल व्यय के प्रति वित्तीय लागत.







बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय अंशधारकों,

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष पर बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) के कारोबार और संचालन पर 41वीं वार्षिक विवरण और इसके अंकेक्षित वित्तीय विवरण के साथ-साथ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं इनके ऊपर भारत के महानियंत्रक तथा लेखापरीक्षक की अभिमत पेश करने में खुशी हो रही है।

1. वित्तीय विशिष्टताएं

वर्ष 2021-22 के दौरान, आपकी कंपनी ने 2020-21 के दौरान हासिल किए गए 6348 लाख रुपये की तुलना में 6237 लाख रुपये का कारोबार हासिल किया। इसी तरह, आपकी कंपनी ने छह वर्षों यानी 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 तक लगातार लाभ अर्जित किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने 2020-21 में 608 लाख रुपये के शुद्ध लाभ की तुलना में 747 लाख रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है।

वर्ष 2021-22 के दौरान आपकी कंपनी की वित्तीय विशिष्टताएँ और प्रमुख वित्तीय अनुपात और पिछले वर्षों के आंकड़ों के साथ निम्नानुसार हैं:

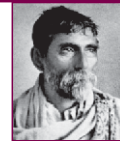
(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	2020-21	2021-22
1	परिचालन आय (टर्नओवर)	6348	6237
3	कर पूर्व लाभ (हानि)	774	924
4	मूल्यहास	592	615
5	वित्त लागत	9	3
6	सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	1375	1523
7	कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट*
8	देनदार आवर्त (दिनों की सं.)	166	152
9	इन्वेंटरी आवर्त (दिनों की सं.)	83	84
10	ब्याज कवरेज अनुपात (समय की सं.)	159.14	507.67
11	चालू अनुपात (समय की सं.)	1.40	1.48
12	ऋण समता अनुपात (समय की सं.)	2.52	-
13	परिचालन लाभ मार्जिन (%)	18.62	21.14
14	शुद्ध लाभ मार्जिन (%)	10.48	12.82

* कंपनी ने इसकी स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार उत्कृष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग प्राप्त की है।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



2. पूंजी संरचना

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 8000 लाख रुपये है (प्रत्येक 1000/- रुपये के हिसाब से 80000 सामान्य अंशों में विभाजित) और कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 7696 लाख रुपये है (769604 सामान्य अंशों में प्रत्येक 1000/- रुपये के हिसाब से विभाजित)।

3. लाभांश और भंडार

आपकी कंपनी पिछले छह वर्षों से लाभ दे रही है। लेकिन पिछले वर्षों में निरंतर नुकसान की रिपोर्टिंग के कारण, कंपनी के पास 31/03/2022 को अपने लाभ-हानि खाते में 11712 लाख रुपये का डेबिट शेष है। इसके अलावा, भारत सरकार ने फाइल संख्या 53017/08/2017-पीएसयू (भाग) दिनांक 09/9/2021 के आदेश के तहत 193.71 करोड़ रुपये के अर्जित ब्याज के साथ भारत सरकार के ऋण की माफी दी है, जिसे आरक्षित और अधिशेष में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 31/03/2022 को सकारात्मक निवल मूल्य है। हालांकि, चूंकि 31/03/2022 को लाभ एवं हानि खाते में 11712 लाख रुपये का डेबिट शेष है, इसलिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

4. उत्पादन:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने गत वर्ष 2020-21 में 9039 लाख रुपये के उत्पादन की तुलना में 8473 लाख रुपये का उत्पादन किया।

5. संचालन:

बीसीपीएल के उत्पादों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनका नाम (i) औद्योगिक रसायन (प्रभाग I) (ii) फार्मास्यूटिकल्स (प्रभाग II) तथा (iii) गृह उत्पाद (प्रभाग III) है। वर्ष 2021-22 के दौरान, उपरोक्त प्रभागों की उपलब्धियों का उल्लेख नीचे किया गया है:

5.1 औद्योगिक रसायन (प्रभाग I):

आपकी कंपनी के औद्योगिक रसायन प्रभाग ने 2021-22 में 222 लाख रुपये का शुद्ध कारोबार हासिल किया है। इस प्रभाग ने वर्ष 2021-22 के लिए बीसीपीएल के टर्नओवर में 4% का योगदान दिया।

5.2 फार्मास्यूटिकल्स प्रभाग (प्रभाग II):

बीसीपीएल के फार्मास्यूटिकल्स डिवीजन ने 2021-22 में 2842 लाख रुपये का शुद्ध कारोबार दर्ज किया है। इस प्रभाग ने वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के टर्नओवर में 45% का योगदान दिया।

5.3 गृह उत्पाद (प्रभाग III):

कंपनी के होम प्रोडक्ट्स डिवीजन ने 2021-22 में 3173 लाख रुपये का शुद्ध कारोबार हासिल किया है। इस प्रभाग ने वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के टर्नओवर में 51% का योगदान दिया।

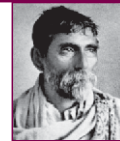
6. विपणन पहल/ प्रमुख व्यवसाय विकास

6.1 आपकी कंपनी ने इसके गृह उत्पादों के व्यवसाय के लिए “बिगबास्केट” नाम से प्रसिद्ध ऑनलाइन रिटेल स्टोर के साथ गठजोड़ के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है।

6.2 आपकी कंपनी ने फ्यूचर ग्रुप (बिग बाजार), स्पेंसर (आदित्य बिरला रिटेल), रिलायंस एवं वालमार्ट इत्यादि के साथ उनके ई-रिटेल आउटलेट/ सुपरमार्केट/ शॉपिंग मॉल से अपने गृह उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए गठजोड़ कर आधुनिक व्यवसाय में प्रवेश करने की पहल की है।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



- 6.3 आपकी कंपनी ने "फिनॉल" को 1 लीटर प्लास्टिक जार की पैकिंग में लांच किया है जिससे उपयोगकर्ता इस उत्पाद को आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी कंपनी ने "व्हाइट टाइगर" को भी 1 लीटर प्लास्टिक बोतल की पैकिंग में लांच किया है।
- 6.4 आपकी कंपनी ने व्हाइट टाइगर के लिए लेमन फ्लेवर के साथ एक नया संस्करण/ ब्रांड एक्सटेंशन शुरू किया है। यह फर्श की सफाई के साथ ताज़गी और अद्वितीय मच्छर विकर्षक प्रदान करता है।
- 6.5 बीसीपीएल के उत्पादों को सीधे अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और विपणन नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, बीसीपीएल ने मुंबई और कोलकाता में एक्सक्लूसिव खुदरा स्टोर खोले हैं।

7. बीसीपीएल की रणनीतिक बिक्री की स्थिति:

28 दिसम्बर 2016, को केंद्रीय कैबिनेट बीसीपीएल की बकाया देयताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक इसकी अधिशेष भूमि की बिक्री को मंजूरी दी। यह बिक्री सरकारी एजेंसियों को खुली प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए की जाएगी और बकाया देयताएं बिक्री की आय से चुकाई जाएंगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बीसीपीएल की रणनीतिक बिक्री को भी मंजूरी दे दी है। तदनुसार, बीसीपीएल ने पानीहटी फैक्ट्री में अधिशेष भूमि की बिक्री के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया और इसे एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट पर अपलोड किया। लेकिन अंतिम तिथि की तारीख को दो बार बढ़ाने के बाद भी किसी बोली लगाने वाले ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। इसी समय बंगाल केमिकल्स श्रमिक कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने 20/06/2017 को कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर कर दी और इसकी सुनवाई 06 फरवरी 2018 को हुई और कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त के संबंध में आदेश पारित किया और बीसीपीएल की रणनीतिक बिक्री के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को रद्द कर दिया। इसके अलावा, उपरोक्त आदेश को चुनौती देने के लिए, प्रशासनिक मंत्रालय ने कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजनल बेंच के समक्ष अपील दायर की है, जो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है।

8. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

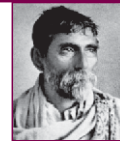
सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट अनुलग्नक-I में संलग्न है।

9. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बीसीपीएल एक कानूनी, नैतिक और पारदर्शी तरीके से व्यापार के संचालन में अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथा का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी का मानना है कि अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथा अपने सभी हितधारकों जैसेकि अंशधारकों, प्रबंधन, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, फाइनेंसरों, सरकार, कर्मचारियों और समुदाय के लिए दीर्घावधि तक धन के सृजन की ओर ले जाती है। बीसीपीएल लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों का पालन करती है और प्रशासनिक मंत्रालय को तिमाही/ वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट जमा करती है। वर्ष 2021-22 के लिए, आपकी कंपनी ने इसकी स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार सीपीएसई के लिए डीपीई द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त की है। इसके अलावा, वर्ष 2020-21, 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2016-17 तथा 2015-16 के लिए डीपीई ने बीसीपीएल को "उत्कृष्ट" कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग से पुरस्कृत किया था। इसलिए, बीसीपीएल ने पिछले 7 वर्षों से लगातार "उत्कृष्ट" कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग प्राप्त की है। अभ्यासरत कंपनी सचिव के अनुपालन प्रमाण पत्र सहित कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट को इस रिपोर्ट में अनुलग्नक-II में संलग्न है।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



10. सतर्कता गतिविधियाँ

सतर्कता विभाग, सतर्कता से संबंधित मामलों में शीर्ष प्रबंधन के लिए एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। यह औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी और एक अंशकालिक सतर्कता अधिकारी के नेतृत्व में है। सतर्कता विभाग, निवारक जांच के माध्यम जैसेकि (i) पारदर्शिता की त्रैमासिक सूचना (ii) निविदाओं और अनुबंधों के लिए वेबसाइट का उपयोग, से मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) की दिशा-निर्देशों/ प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। वर्ष 2021-22 के दौरान, विभाग द्वारा 2 आकस्मिक निरीक्षण किए गए थे। तिमाही रिटर्न अर्थात वार्षिक कार्य और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और सीवीसी की मासिक रिपोर्ट निर्धारित समय में सीवीसी को भेज दी गई थी। इसके अतिरिक्त पूर्व-सतर्कता संबंधी उपाय किए गए हैं जोकि निम्नलिखित हैं:-

- प्रतिस्पर्धा के लिए विक्रेता आधार का विस्तार
- बीसीपीएल की जमीन का सीमांकन और भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण;
- लेखा परीक्षा प्रणाली के सुदृढीकरण;
- सामग्री की गतिशीलता के निरीक्षण और कार्यालय/ फैक्टरी परिसर में सुरक्षा पर्यावरण में सुधार के लिए सीसीटीवी की स्थापना;
- विस्सल ब्लोअर पॉलिसी;

11. मानव संसाधन

31 मार्च, 2022, को आपकी कंपनी के पास 130 कर्मचारी थे, जिसमें से 30 कर्मचारी तकनीकी रूप से या व्यावसायिक रूप से योग्य हैं। कंपनी के पास 17 महिला कर्मचारी हैं। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसेकि भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और समूह दुर्घटना बीमा योजनाएँ कंपनी में उपलब्ध हैं।

11.1 प्रेसिडेन्सियल निर्देशों पर स्थिति

(क) आरक्षित श्रेणी के लोगों के लिए आरक्षण नीति पर दिशानिर्देश

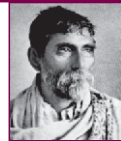
भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आरक्षण नीति पर राष्ट्रपति के निर्देश, सीधी भर्ती में आरक्षण के लिए कुछ प्रतिशत निर्दिष्ट श्रेणी के अभ्यर्थियों जोकि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक विकलांग हैं, के लिए आरक्षण प्रदान करते हैं। इसके अलावा, निर्देश सीधे भर्ती और निर्दिष्ट श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कुछ रियायतों और छूट का भी प्रावधान करते हैं। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण पर राष्ट्रपति निर्देश क्रमशः 15%, 7.5% / 27%, तथा 10% हैं। चूंकि बीसीपीएल इसके राष्ट्रीयकरण 1981 के बाद से एक घाटे वाला पीएसयू था, इसलिये कर्मचारियों की भर्ती वैधानिक/ मुख्य कार्यात्मक क्षेत्रों में हो रही है, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ विकलांग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों का अनुपालन पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। परन्तु कंपनी के प्रदर्शन में सुधार के साथ-साथ आवश्यक संख्या में भर्ती करने की प्रक्रिया की जाएगी।

(ख) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग:

31 मार्च 2022 को कंपनी के रोल पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 16, 1 और 5 हैं, जो कुल संख्या का क्रमशः 12.31%, 0.77% एवं 3.85% हैं।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



(ग) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति:

31 मार्च 2022 को शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या 9 थी, जो कुल कर्मचारियों की संख्या का 6.57% है। शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को उनकी शारीरिक क्षमता के अनुरूप हल्के काम में लगाया गया है।

11.2 श्रमशक्ति स्थिति

(क) 31 मार्च 2022 को कुल कर्मचारी जिनमें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शारीरिक रूप से विकलांग/ अल्पसंख्यक शामिल हैं, को नीचे उल्लेखित किया गया है:

ग्रुप	स्थायी कर्मचारी		कुल कर्मचारी
	पुरुष	महिला	
क	9	1	10
ख	33	4	37
ग	46	6	49
घ	28	6	34
कुल	113	17	130
प्रतिशत	87%	13%	

(ख) 31/03/2022 को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का प्रस्तुतीकरण निम्नानुसार है:

ग्रुप	रोल पर कर्मचारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	विकलांग	अल्पसंख्यक	सामान्य
	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.
क	10	0	0	0	0	1	9
ख	37	4	0	3	0	0	30
ग	49	5	1	1	9	3	30
घ	34	7	0	1	0	0	26
कुल	130	16	1	5	9	4	95
प्रतिशत	100%	12.31%	0.77%	3.85%	6.92%	3.08%	73.08%

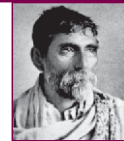
* क XIII से XIX स्तर तक दर्शाता है, ख X से XII स्तर तक दर्शाता है, ग IV से IX स्तर तक दर्शाता है, घ I से III स्तर तक दर्शाता है।

11.3 कर्मचारियों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण

कंपनी ने प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कर्मचारियों की अंतर्निहित शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए भी पहल की है। कर्मचारियों को उनके तकनीकी, संचार, व्यक्तिगत कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनार, कार्यशालाओं में प्रायोजित किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 के दौरान, 32 मैनेज प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा,



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



बीसीपीएल ने निदेशकों को प्रशिक्षण देने के लिए निदेशकों की प्रशिक्षण नीति की भी शुरुआत की है तथा इस नीति के अनुसार बीसीपीएल के निदेशक मंडल में नव-नियुक्त निदेशकों श्री प्रवीण कुमार, सरकार नामित निदेशक एवं श्रीमती नीरजा सराफ, प्रबंध निदेशक को प्रशिक्षण दिया है। बीसीपीएल द्वारा कर्मचारियों को दिए गए आंतरिक व ब्राह्म प्रशिक्षण का विवरण निम्नलिखित है:

क) आंतरिक प्रशिक्षण:

वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। सभी आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

क्र.सं	दिनांक	स्थान	विषय	कुल मैनेज
1	07/08/2020	कॉर्पोरेट कार्यालय	क्षमता निर्माण एवं जोखिम प्रबन्धन की समीक्षा	8
2	16/02/2021		कॉर्पोरेट कार्यालय का सुरक्षा प्रबंधन	12
3	01-12-2021		सुरक्षा जाँच संबंधी प्रशिक्षण	
		कुल		25

ख) बाहरी प्रशिक्षण: वर्ष 2021-22 के दौरान आपकी कंपनी ने विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम/ कोर्सेज हेतु कुछ अधिकारियों को विभिन्न बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ कोर्सेज में नामित किया था। विभिन्न बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	दिनांक	स्थान	विषय	कुल मैनेज
1	13-8-2021	ऑनलाइन मोड	सीपीएसई मोड के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 पर ओरिएंटेशन सत्र (ऑनलाइन)	2
2	21-02-2022 से 25-02-2022	ऑनलाइन मोड	साइबर सुरक्षा पर वर्चुअल कार्यक्रम: बुनियादी बातें एवं रणनीतियाँ	5
		कुल		7

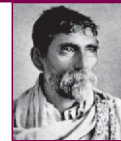
12. राजभाषा का प्रचार-प्रसार

बीसीपीएल अपने कॉर्पोरेट कार्यालय, सभी कारखानों, और सभी डिपो में राजभाषा/ हिंदी के कार्यान्वयन हेतु सभी सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करती है। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) (यथा संशोधित) कंपनी के विभिन्न कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की अनिवार्यता पर जोर देती है।

कार्यालयीन कार्यों में हिंदी नोटिंग्स, ड्राफ्टिंग आदेशों और परिपत्रों, मुद्रण सामग्री, लेबल्स, कार्टन, दवाइयों की पैकिंग आदि के ऊपर इंग्लिश के साथ हिंदी में प्रिंटिंग द्वारा कंपनी में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने प्रयास किया है।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



कर्मचारी, जो सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रवीण व प्राज्ञ परीक्षा पास कर लेते हैं, उन्हें नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए हिंदी अखबारों भी क्रय करती है। कंपनी की वेबसाइट का हिंदी संस्करण भी अपलोड किया गया है। कंपनी हर वर्ष अपनी हिंदी गृह पत्रिका [संजीवनी] का भी प्रकाशन करती है। 14 सितम्बर 2021 से 28 सितम्बर 2021 तक आपकी कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्यालय और सभी फैक्ट्रियों में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जिसमें बीसीपीएल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता के अधीन बीसीपीएल के सात वरिष्ठ अधिकारियों की एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति भी बनाई गई है। यह समिति नियमित रूप से मिलती है और दैनिक नियमित कार्यालीन कार्यों में राजभाषा के उपयोग को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव और सिफारिश करती है। वर्ष 2021-22 के दौरान, पत्राचार, नोटिंग्स एवं ड्राफ्टिंग से संबंधित भारत सरकार द्वारा 2021-22 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को बीसीपीएल द्वारा पूरा कर लिया गया था।

कंपनी ने हिंदी में आधिकारिक कार्यों के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए हिंदी कार्यशालाओं, सेमिनारों और प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करके पात्र कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए अपना प्रयास जारी रखा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 4 कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। इसके अलावा, वर्ष 2021-22 में बीसीपीएल की [राजभाषा कार्यान्वयन समिति] की चार बैठकें आयोजित हुईं।

कंपनी अपने कर्मचारियों को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के विभिन्न सदस्यों द्वारा आयोजित किए जाने वाले हिंदी प्रतियोगिताओं/ कार्यक्रमों में भी नामित करती है।

13. प्रशासनिक व्ययों में मितव्ययता

सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2021-22 के दौरान बीसीपीएल में प्रशासनिक व्ययों में कमी करने के लिए प्रयास किए गए। गत वर्ष 2021-22 में 34.89% की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, प्रशासनिक व्यय कुल आय के 32.17% थे। बीसीपीएल ने लागत बचत के लिए कई कदम उठाए हैं।

14. औद्योगिक संबंध

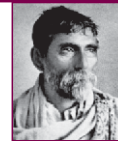
वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के सभी फैक्ट्रियों, डिपो और व्यवसायिक क्षेत्र/ कार्यालयों में औद्योगिक संबंध सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण रहे। वर्ष के दौरान सहभागिता संस्कृति और संचार पर जोर दिया गया।

15. कार्यस्थल पर महिलाओं का सुरक्षण

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ संरक्षण प्रदान करने के लिए और रोकथाम के लिए और यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का हल निकलने के लिए एक कानून [कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013] महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के नियमों की अधिसूचना के साथ 9 दिसम्बर 2013 को अस्तित्व में आया। इस अधिनियम और इसके नियमों के प्रावधानों का सख्ती के साथ अनुपालन किया जाता है। इस अधिनियम के अनुसार, एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" उपलब्ध है।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



16. निदेशक मंडल

1) वर्तमान में बीसीपीएल बोर्ड में निम्न शामिल हैं:

क्र.सं.	नाम	से प्रभावी
1.	श्रीमती नीरजा सराफ प्रबंध निदेशक	15 अक्टूबर, 2020
2	श्री प्रवीण कुमार अंशकालिक (शासकीय) निदेशक [सरकार नामित निदेशक]	10 जून, 2020

निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों से संबंधित नीति का उल्लेख इस रिपोर्ट के साथ सलग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में किया गया है।

17. निदेशक मंडल की बैठकें

इस वर्ष के दौरान पांच निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन किया गया। निदेशक मंडल की बैठकों का विस्तृत विवरण इस रिपोर्ट के साथ सलग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है।

18. लेखापरीक्षा समिति का विवरण

निदेशक मंडल स्तर की लेखापरीक्षा समिति का विवरण इस रिपोर्ट के साथ सलग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है। इसके अलावा, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि निदेशक मंडल ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया हो।

19. धारा 143 (12) के तहत लेखापरीक्षक द्वारा धोखेबाजी मामले में दी गई रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान कंपनी में न धोखेबाजी की कोई घटना घटी, और न ही सांविधिक लेखापरीक्षक अथवा लागत लेखापरीक्षक ने कोई धोखेबाजी रिपोर्ट की है।

20. लेखापरीक्षक की अहर्ताओं पर बोर्ड की व्याख्या और टिप्पणियाँ संबंधित विवरण

बीसीपीएल के प्रबंधन द्वारा दिये गए उत्तर और व्याख्या अलग से वर्ष 2021-22 के कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ सलग्न हैं।

21. तुलनपत्र की तारीख के बाद घटी घटनाएँ

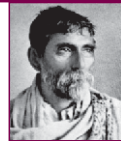
तुलनपत्र की तारीख 31 मार्च 2022 के बाद ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी, जो बीसीपीएल की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।

22. सुरक्षा एवं बचाव

बीसीपीएल में यह सोचते हैं, कि मानव जीवन मूल्यरहित है जिसके खोने पर ना ही उसे धन से पूरा किया जा सकता है और ना ही इसकी निष्ठा और अनुभव का कोई विकल्प हो सकता है। यह हमें कर्मचारियों के साथ-साथ हमारे हितधारकों के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित रखने की परेणा देता है। बीसीपीएल की विनिर्माण इकाईओं में मजबूत स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण (एचएसई) प्रबंधन व्यवस्था उपलब्ध है। वर्ष के दौरान संस्थान में किसी भी प्रकार की गंभीर विपत्ति या दुर्घटना नहीं हुई। आपकी फैक्ट्रियों/ यूनिटों में कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं बचाव का माहौल पैदा करने व बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



- संयंत्र और फैक्ट्री परिसर में उच्च स्तर की उपस्कर सज्जा बनाई रखी जाती है।
- अग्निशमक यंत्रों (मैकेनिकल फोम, ड्राई केमिकल पाउडर और कार्बन-डाइऑक्साइड) को फिर से भर दिया गया है।
- उत्पादन और रखरखाव से संबंधित नौकरी में काम करने वाले व्यक्तियों को उपयुक्त निजी सुरक्षा उपकरण (पीपीई) दिए गए हैं।
- फैक्ट्री परिसर में अलग-अलग जगहों पर काम कर रहे ठेकेदारों को भी पीपीई का उपयोग अनिवार्य किया गया है।
- सभी कम्प्रेसर, आटोक्लेव और प्रेशर वाहिकाओं और लिफ्ट और स्टेकर के निरीक्षण के लिए अल्ट्रासोनिक शैल थिकनेस टेस्ट फैक्ट्री नियमों की अनुसूची के अनुसार किया जाता है।
- एक अलग क्षेत्र उचित शेड और अलग क्षेत्र में विभिन्न खतरनाक कचरे के भंडारण के लिए विभाजन के साथ बनाया गया है। पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत एक एजेंसी निपटान के लिए इस क्षेत्र में एक ही फॉर्म एकत्र करती है।
- अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग खतरनाक कचरे के भंडारण के लिए एक वैट का निर्माण किया जा रहा है। अधिकृत एजेंसी इसके निपटन के लिए इसे इसी क्षेत्र से उठाएगी।
- धुआँ डिटेक्टर और फायर अलार्म लगाये गए हैं।
- बीसीपीएल के सभी कार्यालयों, फिक्ट्रियों और डिपो में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं।
- बीसीपीएल की सभी इकाइयों के आसपास के अतिक्रमियों को रोकने के लिए गेट कंट्रोल सिस्टम भी शुरू किया गया है।

23. निदेशकों की जिम्मेदारी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) और 134(5) के तहत आपके निदेशक इस बात की पुष्टि करते हैं कि:

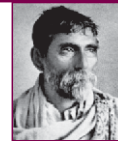
- वार्षिक लेखों को बनाने में लागू लेखा मानकों का महत्वपूर्ण विचलनों के उचित स्पष्टीकरण साथ पालन किया गया है;
- निदेशकों ने ऐसे लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं जो कि इतने तर्कसंगत और उपयुक्त हैं कि वर्ष 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के कंपनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ-हानि का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें।
- निदेशकों ने कंपनी की परिसम्पतियों की सुरक्षा और जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं से बचाव के लिए इस अधिनियम के अनुसार लेखों का समुचित रिकॉर्ड रखे जाने पर उपयुक्त एवं पर्याप्त ध्यान दिया है;
- निदेशकों ने [गोडंग कंसर्न] आधार पर वार्षिक खातों को तैयार किया है;
- निदेशकों ने लागू होने वाले सभी कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणालियाँ तैयार की हैं और ये सभी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं तथा प्रभावी तरीके से काम कर रही हैं;

24. लागत लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मैसर्स, सत्यब्रता दासगुप्ता एंड कं., लागत लेखाकार को लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 2021-22 के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट निर्धारित समय के अंदर केन्द्र सरकार को जमा कर दी जाएगी। वर्ष 2020-21 की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट वैधानिक समय सीमा के भीतर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को भेज दी गई थी।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



25. लेखापरीक्षक

वर्ष 2021-22 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षक निम्नानुसार हैं-

क्र.सं.	संस्थान का नाम	क्षेत्र
1.	मैसर्स एस के मल्लिक एंड कं. (सीए1807)	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुख्यालय, मानिकतल्ला, पानीहटी, दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, पटना, कटक, कानपुर, मुंबई की लेखापरीक्षा, तथा समस्त भारत समेकन

26. प्रकटीकरण के विवरण

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधानों के अनुसार, ऊर्जा के संरक्षण की जानकारी, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय की जानकारी विस्तृत रूप से निम्नानुसार है:

26.1 ऊर्जा दक्षता एवं इसका संरक्षण

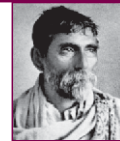
मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने के लिए और भारत में ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण मुख्य रूप से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा संकटों का मुकाबला करने के लिए ऊर्जा संरक्षण हर क्षेत्र की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बीसीपीएल निम्न तरीकों से इस संबंध में योगदान दे रही है-

क) ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय: ऊर्जा की बढ़ती लागत को देखते हुए, कंपनी ऊर्जा के संरक्षण की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है और एक ऊर्जा कुशल इकाई होना कंपनी की प्रतिबद्धता है। प्रति उत्पादन की इकाई विशिष्ट ऊर्जा खपत सभी विनिर्माण संयंत्रों में नियमित रूप से नजर रखी जाती है और सुधारात्मक कार्रवाई आवश्यकतानुसार की जाती है।

ख) ऊर्जा संरक्षण पर कंपनी द्वारा उठाए गए कदम और उनके प्रभाव:

- पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए मैनुअल मोड के बजाय ऑटो मोड में ऑल पावर फैक्टर करेक्शन (एपीएफसी) पैनल को हर समय सक्रिय करना जो औसतन 92 प्रतिशत है।
- एलईडी में शत-प्रतिशत प्रकाश को परिवर्तित करना जिससे प्रकाश के लिए ऊर्जा की खपत कम हो गई।
- विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए, हम विभिन्न प्रकार के मोटर ड्राइव, एचवीएसी ड्राइव, ऊर्जा कुशल उपकरणों आदि का उपयोग करते हैं। चर-गति ड्राइव या इनवर्टर का आगमन, जो मोटर में शक्ति के प्रवाह को नियंत्रित करता है, शक्ति को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। अस्थिर-गति ड्राइव उन्हें धीरे-धीरे शुरू करने के बजाय पूरी गति तक बिजली की भारी उछाल के साथ करने की अनुमति देकर बिजली की मोटरों के जीवन का विस्तार कर सकते हैं।
- हमारे स्टीम बॉयलरों की ऊर्जा दक्षता (1.2T और 3T दोनों) रिसाव की पहचान और मरम्मत, बॉयलर के ब्लो-डाउन को कम करके, इन्सुलेशन में सुधार (बॉयलर और आसपास के उपकरण दोनों) तथा ताप पुनःप्राप्ति में सुधार सहित नियमित रखरखाव द्वारा बढ़ाई जाती है।
- वर्तमान लोड मांग पर विचार करने वाले तीन 1750 केवीए ट्रांसफार्मर में से किसी भी दो को बंद रखते हैं।



- पानिहटी फैक्ट्री में, फैक्ट्री परिसर के बाहर आवासीय क्वार्टर के लिए, 250KW टाइप एग्रिमेंटल लोड को 195KW हाई टेंशन रेट-A और 55KW हाई वोल्टेज डोमेस्टिक रेट-R में परिवर्तित कर दिया गया है।
- इंडस्ट्रियल टाइप एग्रिमेंटल लोड रेट-A, 195KW को 150KW तक कम कर दिया था।
- बीसीपीएल की पानिहटी फैक्ट्री सं. 2 में, हाई टेंशन एग्रिमेंटल लोड 50KW को 25KW तक कम कर दिया था।
- बीसीपीएल की पानिहटी फैक्ट्री सं. 2 में, हाई टेंशन एग्रिमेंटल लोड 25KW को हटा दिया गया क्योंकि यह प्रयोग में नहीं था।
- कुछ बैरियर की LT लाईनों को भी हटा दिया गया है क्योंकि ये भी प्रयोग में नहीं थी।
- कार्यालय में ऊर्जा के इष्टतम उपयोग के लिए सभी प्रकार की सावधानी जैसेकि जब भी कर्मचारी अपने कक्ष में नहीं होते हैं तब रोशनी/ पंखे/ एयर-कंडीशनर बंद करना, बरती जाती है।
- कुछ पुराने विंडो एयर कंडीशनर नया स्प्लिट एयर कंडीशनर से बदले गए हैं जिन्होंने ऊर्जा की खपत को कम किया है।
- मानिकतल्ला और पानिहटी फैक्ट्री के आवासीय क्वार्टरों में औद्योगिक विद्युत मीटर की जगह घरेलू विद्युत मीटर की स्थापना की गई है।
- मानिकतला फैक्ट्री और पानिहटी फैक्ट्री में सभी बोरवेल वाटर पंप को मैनुअल ऑपरेशन से जल स्तर नियंत्रक द्वारा स्वचालित संचालन में परिवर्तित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बिजली की लागत कम होने के साथ-साथ पंप जीवन काल में वृद्धि हुई।

26.2 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के इस्तेमाल के लिए उठाए गए कदम:

- सामान्य प्रकाश बल्ब और ट्यूब लाइट एलईडी के साथ प्रतिस्थापित किए गए हैं।
- कंपनी सौर छत प्रणाली के लिए योजना बना रही है।

26.3 तकनीकी समावेश

क. अनुसंधान एवं विकास:

1. व्हाइट टाइगर, साबुन आधारित मल्टी-यूज क्लींजर और डिओडोरेंट को अधिक टिकाऊ एचडीपीई जार में लॉन्च किया गया है। पहले यह उत्पाद पेट बोतलों में था।

ख. तकनीकी समावेश

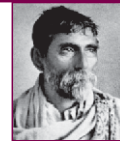
- उत्पाद विकास, लागत में कमी, उत्पाद सुधार आयात प्रतिस्थापन से हुए लाभ: कारखाने में नए उपकरणों की स्थापना के परिणामस्वरूप परिसर उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार आया है और लागत भी कम हो गई है।
- आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्त वर्ष की शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित): कंपनी द्वारा पिछले तीन वर्षों में किसी भी प्रौद्योगिकी का आयात नहीं किया गया है।

27. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने विदेशी मुद्रा में कोई लेनदेन नहीं किया है।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



28. गुणवत्ता प्रबंधन: आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित

प्रथम भारतीय औषध कंपनी होने के नाते, बीसीपीएल प्रतिबद्धता, नवीनीकरण और सभी कर्मचारियों की टीम-वर्क की बदौलत उत्पादों की गुणवत्ता और ग्राहकों की संतुष्टि के लिए अग्रणी पददर्शन में लगातार सुधार ला रही है। आपकी कंपनी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रमाणित एक आईएसओ 9001:2015 संस्थान है। बीआईएस की टीम द्वारा 17.03.2021 तथा 18.03.2021 को लाइसेंस नं. 5001538.4 के तहत IS/ISO 9001:2015 के अनुसार एक गुणवत्ता प्रबंधन का निगरानी ऑडिट किया गया है और वे हमारी कंपनी के ISO अपेक्षित गुणवत्ता प्रबंधन से संतुष्ट थे।

गुणवत्ता आश्वासन हेतु बीसीपीएल गुणवत्ता स्थायित्व टेस्ट करती है और यह टेस्ट मासिक आधार पर उत्पाद की शेल्फ लाइफ के अंत तक किया जाता है। संकलित टेस्ट रिपोर्ट निदेशक मंडल के सामने इसकी समीक्षा और सुझाव के लिए पेश की जाती है।

29. कंपनी (नियुक्ति और प्रबन्धकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 5(2) के अनुसार कर्मचारियों के लिए वैधानिक सूचना नियम के संबंध में

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की 05 जून 2015 की अधिसूचना के संदर्भ में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और इसके तहत बनाए गए नियम सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होंगे।

30. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) तथा स्थिरता विकास

बीसीपीएल ने सीएसआर एवं स्थिरता विकास नीति को अपनाया है, जिसे बोर्ड स्तरीय सीएसआर एवं स्थिरता विकास समिति, तथा निदेशक मंडल ने इनकी बैठकों में विधिवत रूप से अनुमोदित किया था। वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियाँ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) तथा स्थिरता विकास पर रिपोर्ट में उल्लिखित की गई हैं, जिसे इस रिपोर्ट में सलग्न-III में दिया गया है।

31. "स्वच्छ भारत अभियान" के तहत पहल

आपकी कंपनी पहले ही अपने "गृह उत्पाद प्रभाग" के अंतर्गत विभिन्न कीटाणुनाशक और साफ-सफाई उत्पादों जैसे ब्लीचिंग पाउडर, फिनोल, नैपथालीन बाल्स, क्लीन टायलेट आदि का उत्पादन करती है और इन उत्पादों की विभिन्न अस्पतालों और सरकारी संगठनों में आपूर्ति कर रही है और "स्वच्छ भारत अभियान" में अपना योगदान दे रही है। आपकी कंपनी के प्रभाग III के उत्पादों की औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने भी स्वच्छ भारत अभियान हेतु सिफारिश की है। इसके अलावा, बीसीपीएल ने दिनांक "स्वच्छ भारत पखवाड़ा" भी मनाया, जिसमें सभी कर्मचारियों ने भाग लिया और फैक्ट्री/ कार्यालय परिसर और संलग्न रोड/ क्षेत्र की सफाई की।

32. वार्षिक विवरण का सार

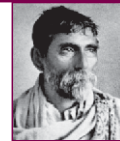
कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुसार, निदेशकों की रिपोर्ट के साथ फॉर्म एमजीटी-7 (वार्षिक रिटर्न) बीसीपीएल की आधिकारिक वेबसाइट: www.bengalchemicals.co.in पर अपलोड किया गया है। फॉर्म एमजीटी-7 (वार्षिक रिटर्न) बीसीपीएल की आधिकारिक वेबसाइट: www.bengalchemicals.co.in पर अपलोड किया गया है।

33. कानून का अनुपालन

आपकी कंपनी सभी लागू कानूनों का अनुपालन करती है। सभी विभागाध्यक्षों से उनके क्षेत्र से संबंधित सभी कानूनों के अनुपालन का एक प्रमाण पत्र तिमाही आधार पर लिया जाता है और कंपनी के लिए लागू कानूनों के अनुपालन पर एक रिपोर्ट तिमाही आधार पर बोर्ड की बैठक में इसकी समीक्षा एवं सुझाव के लिए प्रस्तुत की जाती है।



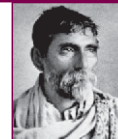
बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



34. सरकार के दिशानिर्देशों, नीतियों तथा सचिवीय मानकों का अनुपालन
लोक उद्यम विभाग और औषध विभाग और अन्य सरकारी प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश और नीतियों का सचिवीय मानकों सहित अनुपालन किया गया है।
35. ऋण, गारंटी या निवेश के विवरण
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत किसी भी तरह का ऋण/ किसी भी तरह की गारंटी एवं सुरक्षा/ कोई निवेश नहीं किया है।
36. ऋण अदायगी
भारत सरकार का ऋण: भारत सरकार ने अधिकतर 2005 से 2011 के दौरान 10642 लाख रुपये का योजना ऋण और 2310 लाख रुपये का गैर-योजना ऋण दिया है। 31 मार्च, 2021 तक भारत सरकार के 2373 लाख रुपये के ऋणों के पुनर्भुगतान के बाद 19371 लाख रुपये के अर्जित ब्याज सहित योजना ऋण और गैर-योजना ऋण में शेष राशि थी। भारत सरकार ने F.No 53017/08/2017-पीएसयू (भाग) दिनांक 09/9/2021 के तहत आदेश के तहत 19371 लाख रुपये के अर्जित ब्याज के साथ भारत सरकार के ऋणों को माफ कर दिया है। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार सरकारी ऋण शून्य है।
37. निदेशक नियुक्ति और पारिश्रमिक पर नीति
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, कार्यकारी निदेशकों सहित सभी निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। प्रबंध निदेशक को 2007 के वेतनमान के 65000-75000 रुपये के वेतनमान पर नियुक्त किया जाता है, और निदेशक (वित्त) को 2007 के वेतनमान के 51300-73000 रुपये के वेतनमान पर नियुक्त किया जाता है। उनके नियमों और शर्तों को भी प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात् औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है।
38. कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १४९ के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक का घोषणापत्र
गैर-शासकीय (स्वतंत्र) निदेशक का पद 09/08/2019 से रिक्त है, बीसीपीएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए एक पत्र प्रशासनिक मंत्रालय को भेजा गया है।
39. डिपोजिट
कंपनी ने किसी भी तरह का डिपोजिट नहीं लिया है, जोकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय 5 के अंतर्गत आता हो और जो इसके अनुपालन में नहीं है।
40. संबंधित पार्टी के साथ अनुबंध या व्यवस्था का विवरण
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने संबंधित पार्टी के साथ किसी भी तरह का अनुबंध या व्यवस्था नहीं किया है।
41. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम
लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अधिसूचित एमएसएमई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आपकी कंपनी ने 2756 लाख रुपये की खरीद में से लघु और मध्यम उद्यमों से 2432 लाख रुपये की वस्तुओं की खरीद की, जो लगभग 88.24% है। एमएसएमई खरीद का विवरण नीचे उल्लिखित है:



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



2021-22 में क्रय का विवरण	मूल्य रूपए लाख में	प्रतिशत
कुल क्रय	2756	100%
एमएसएमई से क्रय (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं सहित)	2432	88.24%

इसके अलावा, 31/03/2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं का कुछ भी देय/बकाया न ही है।

42. जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन कंपनी की रणनीतिक योजना का एक अभिन्न हिस्सा है। कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है। आपकी कंपनी ने निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एक जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है। एक जोखिम प्रबंधन समिति भी गठित की गई है जिसकी तिमाही बैठक होती है और यह अपनी संकलित रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करती है।

43. प्रचार एवं जनसंपर्क

आपकी कंपनी को निम्नलिखित तरीकों के माध्यम से विशाल सार्वजनिक दृश्यता और ब्रांड को बढ़ावा देने में फायदा हुआ है:

विधि	विवरण
प्रिंट मीडिया	पत्रिकाओं, और प्रमुख समाचार पत्रों में प्रदर्शन
प्रदर्शनी	स्थानीय प्रदर्शनी

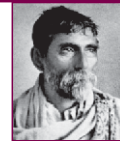
44. अन्य वैधानिक प्रकटीकरण

- 44.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ।
- 44.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कोई आदेश जारी नहीं किया गया था।
- 44.3 एक सरकारी कंपनी होने के नाते, बीसीपीएल को निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन और बोर्ड की रिपोर्ट में मूल्यांकन तंत्र के संबंध में प्रकटीकरण से संबंधित वैधानिक प्रावधानों से छूट प्राप्त है।
- 44.4 तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वित्तीय विवरणों/ रिपोर्टों का कोई संशोधन नहीं हुआ।
- 44.5 वर्ष के दौरान, कंपनी की पूंजी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
- 44.6.1 न्यायिक निकायों/ विनियमों के महत्वपूर्ण आदेश:

बीसीपीएल की रणनीतिक बिक्री पर केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय: बीसीपीएल की रणनीतिक बिक्री पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय की स्थिति इस रिपोर्ट के कॉलम संख्या 7 में उल्लिखित है।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



अभिस्वीकृति

वर्ष 2021-22 के दौरान, निदेशक सभी अंशधारकों द्वारा दिये गए बहुमूल्य सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं। आपके निदेशक तहे-दिल से भारत सरकार विशेष रूप से औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, और विभिन्न राज्य सरकारों, विनियामकों और सांविधिक प्राधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षकों और अभ्यासरत पेशेवरों का उनके सहायता, सहयोग और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करते हैं। निदेशक मंडल सभी बैंकर्स, हितधारकों, ग्राहकों, सलाहकारों, ठेकेदारों और विक्रेताओं को भी उनके निरंतर सहायता और कंपनी पर विश्वास बनाए रखने के लिए लिए धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशक सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों और यूनियन को भी कंपनी की तरक्की में बहुमूल्य योगदान और सहायता देने के लिए तथा इसे पिछले पांच सालों से निरंतर लाभ कमाने वाली कंपनी बनाने के लिए हार्दिक धन्यवाद करते हैं।

निदेशक मंडल की तरफ से

ह/-

(नीरजा सराफ)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन:06901973

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21/07/2022

ह/-

(प्रवीण कुमार)

अंशकालिक शासकीय निदेशक

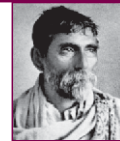
[सरकार नामित निदेशक]

डीआईएन: 08764769





बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

आपके निदेशक सभी शेयरधारकों को बताना चाहते हैं कि कंपनी के पास कोलकाता (मानिकतल्ला एवं पानीहाटी), मुम्बई और कानपुर में ड्रग्स और फार्मूलेशन, औद्योगिक रसायन और प्रसाधन एवं स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के उत्पादन के लिए इसकी अपनी विनिर्माण सुविधाएँ हैं। कंपनी के उत्पाद तीन प्रभागों में वर्गीकृत किए गए हैं जैसे प्रभाग I-औद्योगिक रसायन, प्रभाग II-ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, तथा प्रभाग-III: गृह उत्पाद। प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण नीचे दिए गए हैं:

वैश्विक औषधि उद्योग

फार्मास्यूटिकल उद्योग दवाओं के विकास, उत्पादन और विपणन के लिए जिम्मेदार है। उद्योग ने रोगी कल्याण में महत्वपूर्ण सुधार में योगदान दिया है। वैश्विक फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत दुनिया भर में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। भारतीय दवा उद्योग के 2030 तक 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। मात्रा के हिसाब से फार्मास्यूटिकल उत्पादन के मामले में भारत दुनिया भर में तीसरे और मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर है। देश में 3,000 दवा कंपनियों और ~ 10,500 विनिर्माण इकाइयों के एक मजबूत नेटवर्क के साथ एक स्थापित घरेलू दवा उद्योग है। भारत दुनिया भर में टीकों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो 2021 तक कुल टीकों का ~ 60% है। भारतीय दवा निर्यात वित्त वर्ष 2021 में 24.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वित्त वर्ष 2022 में (फरवरी 2022 तक) 22.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के 2022 तक 372 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है।

बाजार का आकार

भारत जेनेरिक दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा प्रदाता है; देश की जेनेरिक दवाओं का वैश्विक जेनेरिक दवा निर्यात (मात्रा के संदर्भ में) में 20% हिस्सा है। भारतीय दवाओं का निर्यात दुनिया के 200 से अधिक देशों में किया जाता है, जिसमें अमेरिका प्रमुख बाजार है। भारत दुनिया में चिकित्सा वस्तुओं का 12 वां सबसे बड़ा निर्यातक है। कुल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में देश का फार्मास्यूटिकल सेक्टर का योगदान 6.6 पर्सेंट है। थोक दवाओं, मध्यवर्ती, दवा फॉर्मूलेशन, जैविक, आयुष और हर्बल उत्पादों और सर्जिकल उत्पादों सहित भारतीय फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात वित्त वर्ष 2020 में 16.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। भारत का दवा और फार्मास्यूटिकल्स निर्यात वित्त वर्ष 2021 में 24.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अप्रैल 2021-फरवरी 2022 के बीच 22.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वित्त वर्ष 2021 में, उत्तरी अमेरिका 34% हिस्सेदारी के साथ भारत के फार्मा निर्यात के लिए सबसे बड़ा बाजार था और अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को निर्यात में क्रमशः 12.6%, 30% और 21.4% की वृद्धि दर्ज की गई। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही में भारत का फॉर्मूलेशन 18 पर्सेंट बढ़ा और बल्क ड्रग एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 9 पर्सेंट बढ़ा।

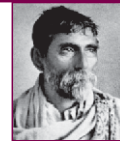
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से वैश्विक परामर्श फर्म किर्नी द्वारा सितंबर, 2021 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का टीका उद्योग अगले दशक में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकता है, क्योंकि नई भारतीय और वैश्विक दवा कंपनियों ने अपने पोर्टफोलियो के एक प्रमुख हिस्से के रूप में टीकों को शामिल करना शुरू कर दिया है।

निवेश और नवविकास

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ शर्तों के अधीन चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए स्वतः मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति देने के लिए फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में संशोधन के लिए निश्चित शर्तों के अधीन अपनी मंजूरी दे दी है।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



- भारतीय औषधि और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र को अप्रैल 2000-दिसंबर 2021 के बीच 19.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी एफडीआई प्राप्त हुए।
- अप्रैल-दिसंबर 2021 के बीच भारतीय दवा और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह 1.206 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में हाल के कुछ घटनाक्रम/निवेश इस प्रकार हैं:

- जेनेरिक क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति के कारण भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात बाजार फल-फूल रहा है।
- भारतीय फार्मास्यूटिकल निर्यात वित्त वर्ष 2021 में 24.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वित्त वर्ष 22 में (फरवरी 2022 तक) 22.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- मई 2021 में, भारत सरकार ने 15 जून, 2021 तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में महत्वपूर्ण घटकों और नवाचारों पर आरएंडडी प्रस्ताव आमंत्रित किए।
- मई 2021 में, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली एंटी-फंगल दवा एम्फोटेरिसिन बी के निर्माण के लिए पांच दवा कंपनियों के आवेदनों को मंजूरी दी।

भारत सरकार ने फार्मास्यूटिकल उत्पादों को और अधिक किफायती बनाने और जेनेरिक को बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं। इसके अलावा, सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आबादी के कम आय वाले वर्ग के लिए स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं।

भारत सरकार द्वारा की गई कुछ पहलें इस प्रकार हैं:

- आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और देश की आवश्यक थोक दवाओं में आयात निर्भरता को कम करने के लिए, फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2030 तक 6,940 करोड़ रुपये (यूएस ₹ 951.27 मिलियन) के संचयी परिव्यय के साथ चार अलग-अलग 'लक्ष्य खंडों' में न्यूनतम घरेलू मूल्य वर्धन के साथ ग्रीनफील्ड संयंत्र स्थापित करके घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना शुरू की।
- जून 2021 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 197,000 करोड़ रुपये (यूएस ₹ 26.44 बिलियन) के अतिरिक्त परिव्यय की घोषणा की, जिसका उपयोग सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री, दवा मध्यस्थों और प्रमुख शुरुआती सामग्रियों जैसे 13 प्रमुख क्षेत्रों में फार्मास्यूटिकल पीएलआई योजना के लिए पांच वर्षों में किया जाएगा।
- 'टारगेट सेगमेंट 1' के तहत, 3,761 करोड़ रुपये (515.52 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के निवेश के साथ पांच आवेदनों को मंजूरी दी गई है।
- सितंबर 2021 में, भारत सरकार ने दवा और चिकित्सा उद्योगों में 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया।
- 31 अगस्त, 2021 तक, पीएलआई योजना को कुल 278 आवेदनों के साथ उद्योग से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इससे 55 मैन्युफैक्चरर्स को फायदा होने की संभावना है।

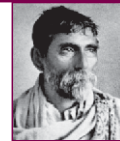
रसायन उद्योग

भारतीय रसायन उद्योग, जिसमें बुनियादी रसायन और इसके उत्पाद, पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरक, पेंट, गैस और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं, देश के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है और इसके समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारतीय रसायन उद्योग अत्यधिक विविध है, जिसमें 80,000 से अधिक वाणिज्यिक उत्पाद शामिल हैं। इसे मोटे तौर पर बेसिक केमिकल्स, स्पेशियलिटी केमिकल्स और एग्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिमर और उर्वरकों में वर्गीकृत किया गया है। मध्य पूर्व से भारत की निकटता, पेट्रोकेमिकल्स फीडस्टॉक का दुनिया का स्रोत, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के लिए



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



बनाता है। भारत एक मजबूत वैश्विक ड्राई सप्लायर है, जो ड्राईस्टफ और ड्राई इंटरमीडिएट्स के विश्व उत्पादन का लगभग 16% है। भारतीय रसायन उद्योग 2025 तक 304 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 9.3% की सीएजीआर दर्ज करता है। 2025 तक रसायनों की मांग में 9% प्रति वर्ष की वृद्धि होने की उम्मीद है। रसायन उद्योग के 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करने की उम्मीद है। केमिकल सेक्टर में कुछ खतरनाक रसायनों के अलावा रसायन क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है। देश का रासायनिक उद्योग दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है। 2020-25 के दौरान रासायनिक उत्पादों की मांग लगभग 9% प्रति वर्ष की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

1. बीसीपीएल के वृद्धि के कारक

- निम्नलिखित प्लांट का आधुनिकीकरण:
 - क) बीटालेक्टम ब्लाक
 - ख) ऑइंटमेंट एंड एक्सटर्नल सोल्यूशन ब्लाक
 - ग) इन्जेक्टिबल ब्लाक
- जीएमपी अनुपालन और आईएसओ 9001 प्रमाणित कंपनी
- हाइड्रोक्सीक्लोरोकुइन (एचसीक्यू) के उत्पादन के लिए लाइसेंस
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बीसीपीएल के उत्पादों की उपलब्धता
- पश्चिम बंगाल और मुंबई में कई रिटेल स्टोर खोले गए हैं
- जनशक्ति का इष्टतम उपयोग
- वेंडर आधार का विस्तार
- ब्रांड एक्सटेंशन का परिचय
- मैन्युअल संचालन से स्वचालन में स्थानांतरित कर दिया गया है
- बिक्री/ वितरण नियमावली का कार्यान्वयन
- केंद्रीकृत लेखा प्रणाली, पेट्रोल भुगतान, क्रय, बिल प्रोसेसिंग, बिल बसूली, बायोमेट्रिक उपस्थिति, सीसीटीवी की स्थापना आदि का कार्यान्वयन
- सभी अग्रिम समायोजित/ पुनर्प्राप्त

2. प्रोडक्ट प्रोफाइल, खंड अनुसार और उत्पाद अनुसार प्रदर्शन

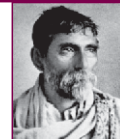
वर्तमान में, आपकी कंपनी तीन श्रेणियों के अंतर्गत उत्पाद बनाती है जो कि:

- प्रभाग-I: औद्योगिक रसायन
- प्रभाग-II: फार्मास्युटिकल्स
- प्रभाग-III: गृह उत्पाद

होम प्रोडक्ट्स कंपनी के टर्नओवर में सबसे अधिक योगदान देने वाला सेगमेंट है और इस सेगमेंट ने 2021-22 के दौरान कुल टर्नओवर में 51% का योगदान दिया है, जबकि पिछले वर्ष 2020-21 के दौरान 55% और 2019-20 में 43% का योगदान दिया था। दूसरा सबसे बड़ा सेगमेंट फार्मास्युटिकल्स प्रोडक्ट्स रहा है, जो 2021-22 के दौरान कुल टर्नओवर में 45% का योगदान देता है। कंपनी के परिचालन का खंड-वार विश्लेषण नीचे दिया गया है:



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



(रुपये लाख में)

क्र.सं	उत्पाद खंड	2019-20		2020-21		2021-22	
		टर्नओवर	%	टर्नओवर	%	टर्नओवर	%
1	औषधि	3675.39	53	2469.80	39	2842	45
2	प्रसाधन एवं गृह उत्पाद	3036.67	43	3472.83	55	3173	51
3	रासायन	315.64	4	405.54	6	222	4
	कुल	7027.70	100	6348.17	100	6237	100

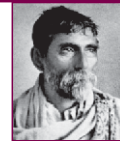
3. स्वॉट विश्लेषण

(i) शक्ति

- भारत की पहली रसायन और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, जिसकी स्थापना प्रख्यात वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने की है, होने के नाते, बीसीपीएल सबसे प्रख्यात पीएसयू में से एक है।
- ब्रांड और गुणवत्ता वाले उत्पादों की मजबूत छवि जैसे कि फिनोल, नेफ़थलीन बॉल्स, ब्लीचिंग पाउडर आदि।
- जीवन रक्षक दवाओं की अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा
- पूरे देश में डिपो, सी एंड एफए और रिटेल स्टोर्स के बड़े वितरण नेटवर्क
- ड्रग कंट्रोल और बीआईएस दिशानिर्देशों के अनुसार उत्पादन किया जा रहा है।
- बीसीपीएल के सभी कार्यालय शहरों में स्थित हैं और इनमें परिवहन की आकर्षक सुविधाएँ हैं।
- नए उत्पाद निर्माण के साथ लागत प्रबंधन
- शून्य श्रमिक अशांति
- जनशक्ति का इष्टतम उपयोग
- कंपनी में सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखना तथा कर्मचारियों के बीच अच्छी कार्य संस्कृति विकसित करना।
- ड्राई पाउडर इंजेक्शन का इन-हाउस उत्पादन कमीशन किया गया है
- एक प्रसिद्ध 'ब्रांड नाम' के साथ भारत या विदेशों में अनुकूल बाजार की स्थिति में नए बाजार क्षेत्रों में प्रवेश करने में सक्षम है।
- मानिकतल्ला वर्क्स में टेबलेट (बीटालैक्टम और नॉन-बीटालैक्टम), कैप्सूल (बीटालैक्टम), ऑइंटमेंट, ड्राई पाउडर इंजेक्शन की विशेषता वाले विभिन्न वेरिएंट की गुणवत्ता को बनाए रखने में सक्षम है।
- नए उत्पाद विकास के लिए गुंजाइश है।

(ii) दुर्बलता/ जोखिम चिंता

- विज्ञापन और ब्रांड प्रचार के लिए कम पहल
- अनुरूप उद्यमियों के साथ प्रतिस्पर्धा
- उत्पाद सुधार और नए उपक्षेप की सुविधाओं का अभाव



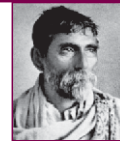
- दक्षता और पर्याप्त कौशल का अभाव
- कम क्षमता का उपयोग
- खराब वेतन के कारण सर्वश्रेष्ठ पेशेवरों को आकर्षित करने और बनाए रखने में समस्या
- अधिकतर सरकारी संस्थाओं के लिए बिक्री पर निर्भर हैं
- उत्पादन अधिकारियों की कम संख्या के कारण उत्पादन विशेष रूप से बैच विनिर्माण रिकॉर्ड के साथ जुड़े प्रलेखन कार्य में असुविधा
- पुरानी मशीनें और उपकरण। कुछ इमारतें जैसे कि अगुरु विनिर्माण अनुभाग और हेयर ऑयल विनिर्माण अनुभाग बहुत पुराने हैं और सुचारु कामकाज के लिए तत्काल नवीकरण की आवश्यकता है।
- ऑपरेशन अभी भी ज्यादातर मैनुअल ऑपरेशन मोड पर है।
- आईटी बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति और सभी कार्यों को संरेखित करना।

(iii) अवसर

- विशेष रूप से एंटीबायोटिक और जेनरिक सेगमेंट में फार्मास्यूटिकल्स बाजार की लगातार वृद्धि
- भारत में मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी पुरानी चिकित्सा क्षेत्रों का विस्तार
- गृह उत्पाद/स्वच्छता उत्पादों का बढ़ा आधार जो लगातार विस्तार कर रहा है।
- उत्पाद पता लगाने की क्षमता और प्रमाणन
- स्वच्छ भारत अभियान
- स्वास्थ्य बीमा में अधिक निवेश
- उत्पादन विविधीकरण
- चिकित्सा के बुनियादी ढांचे के विस्तार
- कोविड-19 महामारी के खतरे के परिणामस्वरूप आउटपुट टैबलेट और कैप्सूल के उत्पादन के संबंध में कई गुना बढ़ जाएगा और क्षमता उपयोग बढ़ जाएगा।
- जेनरिक की वैश्विक मांग
- पार्टियों का सकारात्मक दृष्टिकोण
- फेरिक एल्म, फिनाइल, नैपथलीन, ब्लीचिंग पाउडर और अन्य डिवीजन III के उत्पादों की उच्च मांग है।
- नए लॉन्च किए गए निर्गन्धीकृत फ्लोर क्लीनर की उच्च मांग।

(iv) चुनौतियाँ

- कई स्थानीय कंपनियां तीव्र प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहे हैं
- प्रमुख प्रतिस्पर्धी ब्रांडों की मजबूती का स्तर हमारी विशिष्टता लुप्त कर रही है
- जनशक्ति/क्षेत्रीय शक्ति को प्रतिस्पर्धा के प्रति बढ़ावा देने के लिए
- बीसीपीएल में एपीआई/एक्सपिपिएन्ट निर्माताओं की दिलचस्पी कम है
- बाजार में नकली उत्पाद (बीसीपीएल मुद्रांकित)
- बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतियोगिता



- पुराने बिक्री और विपणन तरीके
- मूल्य निर्धारण की नीतियां
- निर्माण की उच्च लागत
- कोविड-19 के कारण अस्थिर बाजार के कारण एपीआई और एक्षिपिएन्ट के मूल्य में वृद्धि
- लॉकडाउन और कोविड-19 के कारण परिवहन बाधा
- कानपुर कारखाने में लगातार ऊर्जा स्फीतिकरण
- कौशल विकास कार्यक्रम / प्रशिक्षण का अभाव
- कार्यबल अकुशल है और कम दक्ष है।

4. जोखिम और चिंता

- बीसीपीएल ने एक बोर्ड स्वीकृत जोखिम प्रबंधन नीति को अपनाया है जो कंपनी में उपक्रम जोखिम प्रबंधन के लिए समय रूपरेखा प्रदान करती है। डीपीई द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बीसीपीएल ने एक 'जोखिम प्रबंधन समिति' बनाई है जिसे कंपनी के जोखिम प्रशासन संरचना, जोखिम आकलन और जोखिम प्रबंधन ढांचा, दिशानिर्देश, नीतियां और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन समिति जोखिम प्रबंधन ढांचे को अपनाने और कार्यान्वित करने और कंपनी में जोखिम प्रबंधन पहल का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार है।

जोखिम प्रबंधन नीति के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख जोखिमों की समीक्षा जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा इसकी तिमाही बैठकों में की जाती है, और इन बैठकों की बैठक कार्यवाही के साथ अनुपालन रिपोर्ट लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड को उनकी समीक्षा और सुझावों के लिए प्रस्तुत की जाती है।

- कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान, फार्मास्युटिकल कंपनियों ने आपूर्ति श्रृंखलाओं के विघटन से उत्पन्न चुनौतियों का जवाब दिया और तदनुसार अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को बदल दिया। वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत से, कोविड-19 की स्थिति और प्रतिबंध सामान्य हो गए, लेकिन कोविड-19 महामारी के उच्च समय के दौरान एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स की कीमतें अचानक बढ़ गईं, धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं।

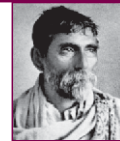
5. दृष्टिकोण

आपकी कंपनी की फार्मा उत्पादों में क्रोनिक थेरेपी सेगमेंट जैसे विशेष रूप से आर्टेराईटिस, उच्च रक्तचाप, हाइपरग्लाइसेमिया और डिस्लिपिडेमिया जैसे को बढ़ाने की योजना है। कंपनी क्रॉनिक डिसऑर्डर और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के जटिल प्रबंधन में अपनी उपस्थिति में विविधता लाना चाहती है, जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरत है।

इसके अलावा, कंपनी की योजना घरेलू और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता और सफाई की जरूरतों में नए उत्पादों को लाने की है।

6. आंतरिक नियंत्रण पद्धति और उसकी पर्याप्तता

कंपनी के संचालन के आकार के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है। इसका आंतरिक लेखा परीक्षा सेल कोलकाता में इसके कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थित है, जिसका प्रमुख मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक है। आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग नियमित आडिट, प्रणाली की समीक्षा के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभाव की जांच करता है और कंपनी के कानूनी, विनियामक और आंतरिक नीतियों के अनुपालन पर आश्वासन प्रदान करता है।



इसके अलावा आंतरिक लेखापरीक्षा टीम उस तरह की प्रणाली, नियंत्रण और उन रिपोर्टों जिन पर लेखापरीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है, की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों को जारी रखती है। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के दौरान, बीसीपीएल ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में काफी सुधार किया है और कंपनी में वित्तीय रिसाव को भी नियंत्रित किया है। बीसीपीएल ने कंपनी में लेखापरीक्षा के निम्नलिखित पांच स्तरीय प्रणाली को भी अपनाया और कार्यान्वित किया है:

- (i) बैंकिंग लेनदेन जांचपरीक्षा
- (ii) आंतरिक लेखापरीक्षा
- (iii) सीएजी द्वारा नियुक्त, ऑडिट फर्म द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षा
- (iv) वस्तु एवं सेवा कर लेखापरीक्षा और
- (v) कैग लेखापरीक्षकों के द्वारा सरकारी लेखापरीक्षा

इन सभी प्रयासों के कारण, कंपनी हेरफेर, गलतियों और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को रोक सकती है।

7. परिचालन प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा

वर्ष 2021-22 के दौरान, आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के 6348 लाख रुपये के कारोबार की तुलना में 6237 लाख रुपये का कारोबार हासिल किया और पिछले वर्ष 2020-21 के 608 लाख रुपये के शुद्ध लाभ की तुलना में 747 लाख रुपये का शुद्ध लाभ भी दर्ज किया। आपकी कंपनी ने लगातार छह वर्षों तक शुद्ध लाभ की सूचना दी है और भविष्य के वर्षों में भी लाभ प्राप्त करने का विश्वास है।

8. मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों, और कार्यरत लोगों की संख्या में भौतिक विकास

कंपनी अपने कर्मचारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान करती है और इसके विकास के लिए उनके कौशल और क्षमताओं को अद्यतन करती है और साथ ही उत्पादन, विपणन और लेखांकन गतिविधियों की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि करती है।

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण और अनुकूल बने रहे। कर्मचारी संगठन में कर्मचारियों ने एक सक्षम प्रदर्शन संस्कृति को विकसित करने और बनाए रखने में प्रबंधन के प्रयासों को पूरा किया। कंपनी की विभिन्न नीतियों को अंतिम रूप देते समय कर्मचारियों के विचारों को भी समय-समय पर ध्यान में रखा जाता है।

9. पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण, प्रौद्योगिकी संरक्षण, विदेशी मुद्रा संरक्षण

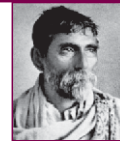
(i) पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण: पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता का पालन करने के लिए, फैक्ट्री परिसर में और आसपास के क्षेत्र में पेड़ लगाये जाने, पर्यावरण के अनुकूल कच्चे माल का उपयोग, ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था की स्थापना, प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करने पर महत्व दिया गया है। कर्मचारी बिजली के उपकरणों जैसे रोशनी, पंखों, कंप्यूटर, जब वे प्रयोग में नहीं हैं, को बंद करके ऊर्जा की खपत में कमी के प्रति संवेदनशील हैं।

(ii) प्रौद्योगिकी संरक्षण: तकनीकी संरक्षण के रूप में, बीसीपीएल ने कुछ उत्पादों के माध्यमिक और तृतीयक पैकेजों में बार-कोडिंग और क्यूआर कोडिंग लागू की है। इस तकनीक का मुख्य लाभ गोदाम/ स्टॉक पॉइंट में उत्पादों का बेहतर अनुरेखण करना है।

(iii) विदेश मुद्रा संरक्षण: वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने विदेशी मुद्रा में कोई भी लेनदेन नहीं किया।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



सजग वक्तव्य

कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों और अपेक्षाओं का वर्णन करते हुए इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में विवरणों को, लागू कानूनों और विनियमों के अंतर्गत देख सकते हैं। वास्तविक परिणाम, दिये गये परिणामों से थोड़ा बहुत अलग या भिन्न रूप से व्यक्त या लागू हो सकते हैं। मुख्य कारक कंपनी के कार्यों में निहित वैश्विक और भारतीय मांग पूर्ति के शर्तों और तैयार माल की कीमतों, कंपनी के प्रधान बाजार में प्रतियोगी कीमतों, सरकारी नियमों में परिवर्तन, कर नियम, भारत की आर्थिक अवस्था में थोड़ा फर्क दिखा सकती है।

निदेशक मंडल की तरफ से

ह/-

(नीरजा सराफ)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 06901973

ह/-

(प्रवीण कुमार)

अंशकालिक शासकीय निदेशक

[सरकार नामित निदेशक]

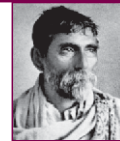
डीआईएन: 08764769

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21/07/2022



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी की दार्शनिकता

कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि उचित कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी के सभी हितधारकों के लिए स्थायी रूप से लाभार्जन करती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मुख्य रूप से पारदर्शिता, महत्वपूर्ण तथ्यों के संपूर्ण प्रकटीकरण, बोर्ड की स्वतंत्रता और हितधारकों के प्रति ईमानदारी से संबंधित होती है। कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी को लागू अन्य कानूनों के नियमों एवं प्रावधानों और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसईस के लिए जारी किये गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों, तथा सचिवीय मानकों के अनुपालन के लिए वचनबद्ध है।

1. निदेशक मंडल

1.1 बोर्ड की संरचना

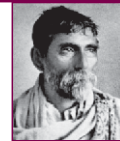
बीसीपीएल के सभी निदेशक प्रशासनिक मंत्रालय (अर्थात् औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वर्तमान में दो निदेशक नामतः निदेशक (वित्त), एक अंशकालिक शासकीय निदेशक [सरकार नामित] कार्यरत हैं।

1.2 निदेशक मंडल की संरचना, निदेशकों की श्रेणी, बोर्ड की बैठक में उपस्थिति, और वार्षिक आम बैठक (एजीएम), और वर्ष 2021-22 के दौरान अन्य निदेशक पद के विवरण नीचे दिए गए हैं:

निदेशकों के नाम	श्रेणी	बोर्ड बैठकों में उपस्थित	38वीं आम बैठक में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में निदेशक पद (बीसीपीएल के अलावा)	कार्यकाल (से प्रभावी)
(I) प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)/पूर्णकालिक/कार्यात् मक निदेशक					
नीरजा सराफ डीआईएन: 06901973	प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) **	5/5	नहीं	4 (एचएएल, आरडीपीएल, एमएसडीपीएल, एमएपीएल) ***	15/10/2020
(II) सरकार नामित/ अंशकालिक शासकीय निदेशक					
श्री प्रवीण कुमार उप सचिव, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल विभाग डीआईएन: 0 8764769	निदेशक	5/5	हाँ	शून्य	10/06/2020



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



** रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने 13 अक्टूबर 2020 के आदेश द्वारा हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की प्रबंध निदेशक सुश्री नीरजा सराफ को 15 अक्टूबर 2020 से 3 महीने की प्रारंभिक अवधि के लिए बीसीपीएल के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा और फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा उक्त अतिरिक्त शुल्क को 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार।

- उपयोग किए जाने वाले संक्षिप्तरूप हैं:
- एचएएल- हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
- आरडीपीएल- राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
- एमएसडीपीएल- महाराष्ट्र स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
- एमएपीएल- मणिपुर एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

टिप्पणियाँ-

वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशकों/ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति या पद से इस्तीफा और उसके बाद इस रिपोर्ट तक की तारीख तक नीचे उल्लिखित है:

नियुक्तियां:

वर्ष 2021-22 के दौरान, निम्नलिखित निदेशकों/ केएमपी की नियुक्ति की गई:

1. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने 13 अक्टूबर 2020 के आदेश के तहत 15 अक्टूबर 2020 से हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की प्रबंध निदेशक सुश्री निरजा सराफ को 3 महीने की प्रारंभिक अवधि के लिए बीसीपीएल के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, जिसे 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

निदेशकों का संक्षिप्त बायोडाटा:

(क) सुश्री निर्जा सराफ

प्रबंध निदेशक

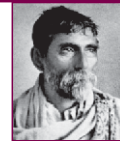
डीआईएन:06901973

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने 13 अक्टूबर 2020 के अपने पत्र के माध्यम से सुश्री नीरजा सराफ को बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। सुश्री निरजा सराफ एलएलबी, एमबीए और एफसीएस हैं। उन्हें विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों और सीपीएसई में 32 वर्षों का अनुभव है। सुश्री निरजा सराफ ने बाटा इंडिया लिमिटेड, आत्मा स्टील्स, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज और ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड में काम किया है। वर्तमान में, वह हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की प्रबंध निदेशक हैं और आरडीपीएल और बीसीपीएल के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रही हैं।

प्रशासनिक मंत्रालय ने सुश्री नीरजा सराफ को 01/02/2018 से 31/07/2019 तक कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा था। उन्होंने स्वतंत्र रूप से केएपीएल की 'ऑक्सीटोसिन' परियोजना को संभाला, जो एक प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण परियोजना थी, जिसकी निगरानी सीधे पीएमओ और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की गई थी। उन्होंने सरकार के निर्देश के हिस्से के रूप में देश भर में 'ऑक्सीटोसिन' इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अखिल भारतीय आपूर्ति की व्यक्तिगत रूप से उनके द्वारा निगरानी की गई थी क्योंकि एकल व्यवधान से प्रसव कराने वाली मां की मृत्यु हो सकती थी। उनके नेतृत्व में केएपीएल ने 2 महीने में 'ऑक्सीटोसिन' की 20 मिलियन इकाइयों का निर्माण किया। यह आपूर्ति श्रृंखला और कोल्ड चेन प्रबंधन की एक अद्भुत उपलब्धि और चुनौती थी।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



(ख) श्री प्रवीण कुमार

अंशकालिक शासकीय निदेशक

[सरकार नामित निदेशक]

डीआईएन: 08764769

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने 10 जून, 2020 के अपने पत्र के माध्यम से भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग में उप सचिव श्री प्रवीण कुमार को बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) नियुक्त किया है। श्री प्रवीण कुमार बीए (ऑनर्स) हैं। अंग्रेजी, एमए (राजनीति विज्ञान) और एलएलबी श्री प्रवीण कुमार को सरकारी क्षेत्र में 27 वर्षों का अनुभव है। वह अक्टूबर, 2016 से फार्मास्यूटिकल्स विभाग में काम कर रहे हैं और उन्हें चिकित्सा उपकरण उद्योग, राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीआईआर) को बढ़ावा देने और विभाग की स्थापना और प्रशासन के अलावा आयात लाइसेंसिंग के लिए इनपुट आउट-पुट मानदंडों से संबंधित कार्य का अनुभव है। इससे पहले श्री प्रवीण कुमार पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय में काम कर चुके हैं।

1.3 बोर्ड प्रक्रिया

निदेशक मंडल कंपनी के सुशासन और कामकाज को सुनिश्चित करने में प्राथमिक भूमिका निभाता है। बोर्ड की बैठकें एजेंडा कागजात के साथ उचित नोटिस देकर बुलाई जाती हैं। बोर्ड की बैठकें आमतौर पर कोलकाता में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में और कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) संशोधन, नियम 2021 डीटी के प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित की जाती हैं। 15 जून 2021 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सभी बोर्ड और बोर्ड स्तरीय समिति की बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गईं। बोर्ड कंपनी की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर चर्चा करने के लिए नियमित अंतराल पर बैठक करता है। बैठक के लिए एजेंडा नोट तैयार किए जाते हैं और सभी निदेशकों को भेजे जाने से पहले प्रबंध निदेशक के अनुमोदन पर संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किए जाते हैं। विचार-विमर्श के बाद निदेशक मंडल द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। प्रत्येक बोर्ड बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किए जाते हैं। प्रत्येक बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त भी अगली बैठक में प्रस्तुत किए जाते हैं। बोर्ड की समिति के कार्यवृत्त भी बोर्ड को उसकी जानकारी के लिए रखे जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों को कंपनी की सभी जानकारी तक पूरी पहुंच है।

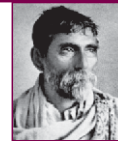
1.4 निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

निदेशक मंडल की बैठकों के एजेंडा प्रपत्रों के तहत, आमतौर पर बीसीपीएल के निदेशक मंडल को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत जानकारी को प्रस्तुत किया जाता है:

- वार्षिक परिचालन योजनाएं और बजट और अद्यतन
- त्रैमासिक आधार पर वित्तीय परिणाम
- बोर्ड के लेखापरीक्षा समिति और अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त
- बोर्ड स्तर के ठीक नीचे वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में जानकारी
- श्रम की महत्वपूर्ण समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/ औद्योगिक संबंधों मजदूरी जैसे समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन में कोई महत्वपूर्ण विकास।
- निवेश, सहायक कंपनियों, संपत्तियों की भौतिक प्रकृति की बिक्री, जो व्यापार के सामान्य प्रकार में नहीं है।
- निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय पर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



- लागू कानूनों के अनुपालन पर तिमाही रिपोर्ट
- कारण बताएं, अभियोजन पक्ष के मांग के नोटिस और जुर्माना नोटिस जो भौतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।
- घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, किसी भी महत्वपूर्ण घटना का प्रवाह या प्रदूषण की समस्याएं
- कोई भी मुद्दा, जो मत्वपूर्ण संभावित प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद दायित्व के दावों को शामिल करता है, जिसमें कोई निर्णय या आदेश शामिल है, या किसी अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल हो सकता है जो कंपनी के संचालन पर कठोर पारित हो सकता है, जो कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
- आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट
- सीपीएसई के लिए डीपीई द्वारा जारी किए गए कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन की स्थिति
- कंपनी में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की स्थिति
- जोखिम प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन
- गुणवत्ता स्थिरता परीक्षण पर रिपोर्ट
- अर्ध-वार्षिक आधार पर सतर्कता कार्य की समीक्षा
- बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक जानकारी या सूचना के लिए कोई अन्य जानकारी

1.5 निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या:

वर्ष 2020-21 के दौरान, निदेशक मंडल की पांच बैठकें आयोजित की गईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	बैठक की दिनांक	बोर्ड संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	10/05/2021	2	2
2.	14/07/2021	2	2
3.	28/09/2021	2	2
4.	10/12/2021	2	2
5.	21/02/2022	2	2

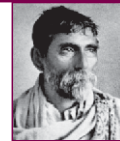
1.6 निदेशकों की नियुक्ति

अंशकालिक निदेशकों सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसके अलावा, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. 'जी.एस.आर., 163(ई)' दिनांकित 5 जून 2015 के अंतर्गत कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) उन सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगी जिनकी संपूर्ण चुकता शेयर पूंजी केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार या एक से अधिक राज्य सरकार के पास हो।

चूंकि, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की संपूर्ण शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति द्वारा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग के माध्यम से धारित की जाती है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) (रोटेशन द्वारा निदेशकों की सेवानिवृत्ति) बीसीपीएल पर लागू नहीं होती।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



2.0 निदेशक मंडल की समितियां

2.1 लेखापरीक्षा समिति

कंपनी की लेखा परीक्षा समिति का गठन बोर्ड द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार परिभाषित शक्तियों और भूमिका के साथ किया गया है। लेखा परीक्षा समिति की अध्यक्षता कंपनी के अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) द्वारा की जाती है। वर्ष 2021-22 के दौरान, ऑडिट समिति की 10 मई 2021, 14 जुलाई 2021, 28 सितंबर 2021, 10 दिसंबर, 2021 और 21 फरवरी 2022 को पांच बैठकें हुईं।

(i) उपस्थिति विवरण निम्नानुसार हैं-

सदस्य	उनके संबंधित समयकाल में आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति
श्री प्रवीण कुमार अंशकालिक आधिकारिक निदेशक अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति	5	5
सुश्री नीरजा सराफ प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) सदस्य, लेखा परीक्षा समिति	5	5

(ii) लेखापरीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है:

1	श्री प्रवीण कुमार	सरकार नामित निदेशक	अध्यक्ष (01/07/2020 से प्रभावी)
2	सुश्री नीरजा सराफ	प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	सदस्य (16/10/2020 से प्रभावी)

(iii) लेखापरीक्षा समिति की शर्तें

लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम 2013 और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के संदर्भ में हैं।

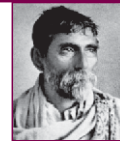
2.2 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

वार्षिक बोनस/ परिवर्तनीय वेतन पूल और सभी अधिकारियों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के वितरण के लिए नीति तय करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है। समिति का निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुनर्गठन किया गया है:

1	श्री प्रवीण कुमार	सरकार नामित निदेशक	अध्यक्ष (01/07/2020 से प्रभावी)
2	सुश्री नीरजा सराफ	प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	सदस्य (16/10/2020 से प्रभावी)



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



वर्ष 2021-22 के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की 14 जुलाई 2021 को एक बैठक हुई थी। बैठक में अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे।

2.3 कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता विकास समिति

कंपनी ने बोर्ड स्तरीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता विकास समिति का निम्नलिखित सदस्यों के साथ गठन किया था:

1	श्री प्रवीण कुमार	सरकार नामित निदेशक	अध्यक्ष (01/07/2020 से प्रभावी)
2	सुश्री नीरजा सर्राफ	प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	सदस्य (16/10/2020 से प्रभावी)

वर्ष 2021-22 के दौरान सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट कमेटी की 21 फरवरी, 2022, 10 मई, 2021 और 10 दिसंबर, 2021 को तीन बैठकें हुईं। बैठक में अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे।

3.0 अंशधारिता स्वरूप

31 मार्च, 2020 को कंपनी का अंशधारिता स्वरूप निम्नानुसार था:

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक की कीमत 1000 रु.)
1	भारत के राष्ट्रपति	7696012
2	श्री प्रवीण कुमार निदेशक, औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	2
3	श्रीमती उमा मगेश अवर सचिव, औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	1
	कुल	769604

4.0 बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण पर नीति

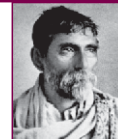
बीसीपीएल ने व्यापार और उद्योग की समझ की सुविधा के लिए बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण पर नीति तैयार की है जिसमें कंपनी के कारोबार से जोखिम प्रोफाइल सहित, कंपनी के शासन में उनकी भूमिका, जिम्मेदारियां, कर्तव्यों और कार्यों के साथ सभी नए निदेशकों को परिचित करवाने एवं निदेशकों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्यापार नीतिशास्त्र, आचार संहिता आदि जिनका पालन करने के लिए वे बाध्य हैं, के बारे में जागरूक बनाना है।

5.0 विस्सल ब्लोअर पालिसी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों और डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अंतर्गत बीसीपीएल के निदेशक मंडल ने 23 सितम्बर 2016 को आयोजित इसकी बैठक में विस्सल ब्लोअर पॉलिसी को अनुमोदित किया है। बीसीपीएल की विस्सल ब्लोअर पॉलिसी सभी विभागाध्यक्षों, फैक्ट्री प्रमुखों को दी गई है, और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्राकशित की गई है। इस पॉलिसी के अनुसार निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक स्क्रीनिंग समिति भी बनाई गयी है:



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



1.	प्रबंध निदेशक/ कार्यालय प्रमुख	अध्यक्ष
2.	निदेशक (वित्त) (वर्तमान में रिक्त)	सदस्य
3.	मानव संसाधन प्रमुख	सदस्य
4.	वित्त प्रमुख	सदस्य
5.	विपणन प्रमुख	सदस्य

6.0 आम सभाएं:

6.1 कंपनी की गत तीन वर्षों की वार्षिक आम सभाओं का विवरण नीचे दर्शाया गया है:-

एजीएम	वित्तीय वर्ष	एजीएम की तिथि और समय
40वीं	2020-21	28 सितम्बर 2021 13:00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
39वीं	2019-20	20 जुलाई 2020 11:30 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
38वीं	2018-19	22 मई 2019 कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 12:30 बजे

वित्त वर्ष २०२१-२२ के लिए ४१वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में एजीएम के दिन, तारीख, समय और स्थान के बारे में विवरण शामिल है।

6.2 पिछले तीन आम बैठकों में पारित विशेष संकल्प का विवरण

एजीएम	वित्तीय वर्ष	पारित विशेष संकल्प का विवरण
40वीं	2020-21	शून्य
39वीं	2019-20	शून्य
38वीं	2018-19	शून्य

7.0 सूचना का अधिकार (आरटीआई)

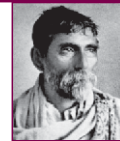
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित सभी प्रावधानों का पालन किया गया है। कंपनी ने अपने उप-प्रबंधक स्तर के अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी का एक बरिष्ठ प्रबंधक आरटीआई अधिनियम के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी है।

वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त किए गए और निपटाए गए आरटीआई आवेदनों का विवरण निम्नलिखित है:

1	1 अप्रैल, 2021 को लंबित आरटीआई आवेदनों की संख्या	शून्य
2	वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों की संख्या	6
3	वर्ष 2021-21 के दौरान निपटाए गए आरटीआई आवेदनों की संख्या	6
4	31 मार्च, 2022 को लंबित आरटीआई आवेदनों की संख्या	शून्य
5	वर्ष 2021-22 के दौरान अपीलीय प्राधिकारी को भेजे आरटीआई आवेदन की संख्या	शून्य



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



8.0 शेयरधारकों के साथ संचार के साधन

कंपनी की वेबसाइट पर द्विभाषी (अंग्रेजी व हिंदी) वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक रिटर्न जोकि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में फाइल की गई है, अन्य प्रासंगिक जानकारी के साथ अपलोड किए गए हैं। वार्षिक प्रतिवेदन भौतिक रूप में भी शेयरधारकों को भेजी जाती है।

9.0 लेखापरीक्षा अहंताएं

सांविधिक लेखापरीक्षक के अवलोकन/ खातों पर अहंताओं के जवाब, और भारत के लेखानियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां निदेशक रिपोर्ट में परिशिष्ट के रूप में सलग्न हैं।

10.0 आचार संहिता

निदेशक मंडल ने बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचरण और आचार संहिता निर्धारित की है।

11.0 प्रकटीकरण

11.1 वर्ष 2021-22 के दौरान कार्यात्मक निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान एवं स्वतंत्र निदेशकों की फीस के भुगतान का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

कार्यात्मक/पूर्णकालिक निदेशक/केएमपी:

(रुपये लाख में)

कार्यात्मक निदेशक का नाम	वेतन	लाभ	कुल
सुश्री नीरजा सराफ प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	शून्य	शून्य	शून्य

11.2 सभी निदेशक तय वेतनमान पर औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उनकी नियुक्ति की अन्य नियम और शर्तें भी औषध विभाग द्वारा तय की जाती हैं।

11.3 निदेशकों को उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक के अलावा और स्वतंत्र निदेशकों के लिए अधिकृत बैठक फीस के अलावा, किसी भी निदेशक का कंपनी के साथ किसी भी तरह का महत्वपूर्ण अथवा मौद्रिक संबंध नहीं है, जो उनकी न्याय की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सके।

11.4 वर्ष के दौरान, संबंधित पक्ष से कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हुआ, जिससे कंपनी बड़े पैमाने पर प्रभावित हो सके। लेखा मानक-१८ के अनुसार संबंधित पार्टी से जुड़े लेन-देन का विवरण खातों की टिप्पणियों में दिया गया है। साथ ही फॉर्म एओसी-2 इस रिपोर्ट में अनुलग्नक के रूप में सलग्न है।

11.5 किसी भी सांविधिक निकाय द्वारा कोई भी दंड या प्रतिबंध लगाये जाने की कोई भी घटना घटित नहीं हुई है।

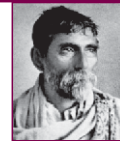
11.6 कंपनी डीपीई के द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों के सभी नियमों का पालन कर रही है।

11.7 कंपनी की लेखा प्रक्रिया समय-समय पर संबंधित नियामक प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई लेखांकन मानकों का अनुपालन करती है।

11.8 जोखिम प्रबंधन का विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में वर्णित है।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



- 11.9 कंपनी समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी राष्ट्रपति निर्देशों का अनुपालन करती है। गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रपति का कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।
- 11.10 वर्ष के दौरान, बही खातों में ऐसा कोई भी खर्च डेबिट नहीं किया गया जोकि व्यापार के उद्देश्य से न जुड़ा हो एवं उच्च प्रबंधन और निदेशक मंडल के किसी भी निजी खर्च को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
- 11.11 प्रशासनिक खर्च 2019-20 में कुल आय के मुकाबले 35.44% है जोकि वर्ष 2018-19 में 26.34% तथा 2017-18 में 30.54% और 2015-16 में 40.10% थे। वित्तीय लागत/ खर्च 2019-20 में कुल खर्चों के मुकाबले 0.96% रहे जोकि 2018-19 में 2.74%, 2017-18 में 10.69% तथा 2016-17 में 14.25% थे।
- 11.12 कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.bengalchemicals.co.in कंपनी के आधिकारिक समाचारों जैसे वार्षिक प्रतिवेदन, टेंडर एवं करियर के अवसर आदि को प्रदर्शित करती है।
- 11.13 वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों में निर्धारित लेखा मानकों से कोई विचलन नहीं है।

12.0 अनुपालन प्रमाणपत्र

यह रिपोर्ट सीपीएसईएस के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस गॉइडलाइन्स के सभी वांछित नियमों का अनुपालन करती है और दिशानिर्देशों के अनुबंध-VII के नियमों में वर्णित किए गए सभी विषयों को सम्मिलित करती है। डीपीई के द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन की रिपोर्ट भी प्रशासनिक मंत्रालय को भेजी जाती है। सीपीएसईएस के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन से संबंधित अभ्यासरहित कम्पनी सचिव का प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट में संलग्न है।

निदेशक मंडल की तरफ से

ह/-

(नीरजा सराफ)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 06901973

ह/-

(प्रवीण कुमार)

अंशकालिक शासकीय निदेशक

[सरकार नामित निदेशक]

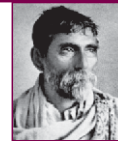
डीआईएन: 08764769

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21/07/2022



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



प्रतीक कोहली एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमाण पत्र

सेवा में

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के सदस्यों

हमने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (इसके बाद 'कंपनी' या 'बीसीपीएल' के रूप में संदर्भित), एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम [सीपीएसई] द्वारा 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 14 मई 2010 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से लागू की गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कंपनी किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है। दिशानिर्देशों का पैरा 2.3 दर्शाता है कि गैर-सूचीबद्ध सीपीएसई, अगले अध्यायों में दिए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों का पालन करेगी, जो कि अनिवार्य हैं। उपरोक्त शर्त के अनुसरण में, बीसीपीएल एक गैर-सूचीबद्ध सीपीएसई है, जिसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश, 2010 का पालन करना आवश्यक है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच संस्थान द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेट पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार की गई है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है। यह न तो एक लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और निदेशकों और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुतीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं, कि बीसीपीएल के निदेशक मंडल ने सीपीएसई के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस, 2010 के दिशानिर्देशों को अनिवार्य आधार पर बोर्ड द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर नीति को मंजूरी दी गई है, को अपनाया है तथा कंपनी ने जहाँ तक संभव हो सका है, दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

हम फिर से कहते हैं, कि यह अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के रूप में आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 13.06.2022

यूडीआईएन: FO11511D000487624

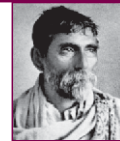
प्रतीक कोहली एंड एसोसिएट्स,
कंपनी सचिव के लिए

ह/-

प्रतीक कोहली
भागीदार

सी.पी. नं-16457

पता : 16/1 ए, अब्दुल हमीद स्ट्रीट 6 वीं मंजिल, सुइट 6के कोलकाता - 700069
ईमेल : cspkholi@gmail.com; फोन + 91 9038410495; + 91 9874737484



कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी एवं स्थिरता विकास रिपोर्ट

20 वीं शताब्दी के महानतम, श्री आचार्य पी.सी. राय द्वारा स्थापित एक सामाजिक रूप से उत्तरदायी कॉर्पोरेट नागरिक होने के नाते, बीसीपीएल कारखानों में और आसपास के लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाकर पारस्परिक विश्वास और सम्मान से सकारात्मक और स्थायी सामाजिक प्रभाव पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बीसीपीएल की सीएसआर नीति में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के माध्यम से बड़े पैमाने पर समाज के लिए कल्याणकारी उपायों और समाज में योगदान के लिए प्रावधान हैं, और सामाजिक और आर्थिक रूप से अनियंत्रित वर्ग की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है।

सीएसआर दूरदृष्टि-

"जिन समुदायों में हम काम करते हैं, उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से योगदान करना। ऐसा करने से समाज के कमजोर वर्गों के लिए जीवन का बेहतर, स्थायी तरीके से निर्माण करना और बीसीपीएल को एक सामाजिक जिम्मेदार छवि वाली एक कॉर्पोरेट इकाई बनाना।"

सीएसआर उद्देश्य-

बीसीपीएल की सीएसआर नीति के उद्देश्य हैं:

- समुदाय और समाज के प्रति एक कंपनी के नैतिक और जिम्मेदार व्यवहार का पालन करना और समुदाय के कल्याण और सतत विकास के कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर चलाना;
- सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रम जिनको बीसीपीएल शुरू करने की योजना बना रही है और जो कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 और प्रचलित डीपीई दिशा-निर्देशों के अधीन हैं, को परिभाषित करना;
- उन सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन की रूपरेखाएं;
- उन सीएसआर परियोजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी प्रक्रिया;
- बीसीपीएल में सीएसआर प्रथाओं के बारे में हितधारकों को अवगत कराना;
- व्यापार के संचालन में और सीएसआर एजेंडे के अंतर्गत स्थायी विकास को बड़े पैमाने पर ध्यान में रखते हुए काम करना।

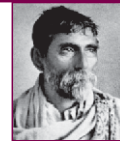
सीएसआर और स्थिरता विकास समिति

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता पहल को चलाने के लिए, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता विकास पर डीपीई के दिशानिर्देशों के संदर्भ में एक बोर्ड स्तर कमेटी का गठन किया गया है। इस बोर्ड स्तरीय समिति का नेतृत्व सरकार नामित निदेशक द्वारा किया जाता है।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता समिति की रचना और सीएसआर और स्थिरता समिति की बैठकों और उपस्थिति के बारे में जानकारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दी गई है।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



बजट

सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में, वर्ष 2021-22 के लिए सीएसआर बजट के लिए 29.61 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी।

वर्ष 2021-22 के दौरान गतिविधियां

सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी कमेटी और बीसीपीएल के बोर्ड के अनुमोदन पर, कंपनी ने वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित सीएसआर गतिविधियां शुरू की हैं:

क्र.सं.	गतिविधि	रु. लाख में
1	मई 2021 के महीने में बैंगलोर के लोगों के बीच एन -95 मास्क वितरित किए गए	6
2	पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के स्वास्थ्य और पोषण उद्देश्य के लिए सशस्त्र बल इंडा दिवस कोष में योगदान दिया	3
3	पश्चिम बंगाल में अनाथ बच्चों के लिए खाद्य और पोषण कार्यक्रम के तहत रामकृष्ण वेदांत आश्रम, पश्चिम बंगाल को एक वर्ष की अवधि के लिए धन का योगदान दिया।	10
	कुल	19

29.61 लाख रुपये की पूरी राशि का उपयोग 31 मार्च, 2022 तक नहीं किया जा सका, इसलिए 31 मार्च, 2022 तक 10.61 लाख रुपये की शेष निधि है जिसका उपयोग वित्तीय वर्ष 2022-23 में वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करने वाली सीएसआर गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

जिम्मेदारी विवरण

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता विकास नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी की सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।

निदेशक मंडल की तरफ से

ह/-

(नीरजा सराफ)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन:06901973

ह/-

(प्रवीण कुमार)

अंशकालिक शासकीय निदेशक

[सरकार नामित निदेशक]

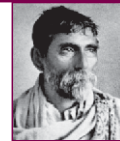
डीआईएन: 08764769

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21/07/2022



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणन/घोषणा

हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार:

- (i) इन विवरणों में किसी प्रकार का असत्य बयान या कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या भ्रमित करने वाले बयान सम्मिलित नहीं हैं;
- (ii) यह विवरण लेखा मानकों, लागू कानूनों और नियमों के अनुपालन के साथ कंपनी के मामलों का एक सच्चे और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं;
- (iii) हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी ने कोई भी ऐसे लेनेदेन नहीं किए हैं जो धोखाधड़ी, कंपनी की आचार संहिता के खिलाफ हो;
- (iv) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण की स्थापना और रखरखाव की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हैं और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति के समक्ष इन आंतरिक नियंत्रणों की रूपरेखा एवं संचालन में कमी, यदि कोई है, जिनसे हम अवगत हैं, और इनको सुधरने के लिए लिए उठाये गए और प्रस्तावित कदमों का प्रकटीकरण किया है;
- (v) हम लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित सूचित कर चुके हैं:
 - a) वर्ष 2021-22 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन
 - b) वर्ष 2021-22 के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उसे वित्तीय वक्तव्यों के नोट में बताया गया है;
 - c) कोई कर्मचारी और प्रबंधन से जुड़े व्यक्ति का वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के धोखाधड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका या भागीदारी की घटना, जिससे हम अवगत हैं।

निदेशक मंडल की तरफ से

ह/-

(नीरजा सराफ)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 06901973

ह/-

(प्रवीण कुमार)

अंशकालिक शासकीय निदेशक

[सरकार नामित निदेशक]

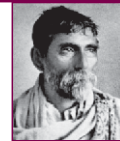
डीआईएन: 08764769

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21/07/2022



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



फार्म सं. एओसी-2

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) की खंड (एच) के तहत और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के तहत)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) के संदर्भ में तृतीय प्रावधान के तहत के कुछ शर्तों के साथ हुए लेन-देन के साथ कंपनी के ठेकों/ अनुबंधों (लेखा) के विवरणों के संबंध में प्रकटीकरण करने के प्रपत्र।

1	असामान्य अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का ब्यौरा	वर्ष 2021-22 के दौरान संबंधित पार्टी के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ।
2	सामान्य महत्वपूर्ण अनुबंध या आर्म्स लेंथ बेसिस पर लेन-देन की व्यवस्था का ब्यौरा	वर्ष 2021-22 के दौरान संबंधित पार्टी के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ।

निदेशक मंडल की तरफ से

ह/-

(नीरजा सराफ)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन:06901973

ह/-

(प्रवीण कुमार)

अंशकालिक शासकीय निदेशक

[सरकार नामित निदेशक]

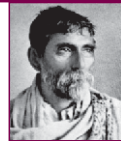
डीआईएन: 08764769

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21/07/2022



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
डी जी ए सी आर भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
DGACR Building, Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

सं. एएमजी-IV/पीएसयू/बीसीपीएल/135/2022-23/806
दिनांक: 21.11.2022

सेवा में,
प्रबंध निदेशक,
बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
6-गणेश चुंदर एवेन्यू
कोलकाता-700013

विषय: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

महोदय,

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की संलग्न टिप्पणियां प्रस्तुत हैं।

कृपया पत्र की प्राप्ति की जानाकरी दें।

भवदीय,

ह/-

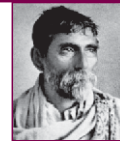
(राजीव कुमार पांडेय)
लेखा परीक्षा महानिदेशक
(केन्द्रीय व्यय)
नई दिल्ली

Ph. : 91-11-23702422
Fax : 91-11-23702271

E-mail : dgace@cag.gov.in
Website : <https://cag.gov.in/cen/new-delhi-iii/ten>



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बंगाल फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के रसायन विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 11 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 1-13 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा कहा गया है कि यह उनके द्वारा 21 जुलाई 2022 की अपनी ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

1, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य पत्रों के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की जांच और कुछ लेखा रिकॉर्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

अपनी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 1-43 (6) (ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं।

क. तुलन पत्र

क.1 वर्तमान संपत्ति

अल्पकालिक ऋण और अग्रिम: ₹. 11.19 करोड़ (नोट संख्या 15)

उपर्युक्त में 1.33 करोड़ रुपये तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित प्राप्त राशि (11.34 लाख किराये और 122.60 लाख बिजली शुल्क एवं संपत्ति कर आदि के रूप में) शामिल हैं, जिसके लिए लेखा नीति 123 के विपरीत कोई प्रावधान नहीं किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि सरकारी विभागों के अलावा अन्य संस्थाओं से प्राप्त राशि के संबंध में पूर्ण प्रावधान किया गया है, जो तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बकाया हैं।

इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए 'अल्पकालिक ऋण और अग्रिम' और लाभ में 1.05 करोड़ की वृद्धि हुई है (27.78 लाख की 1.33 करोड़ कम सुरक्षा राशि)।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

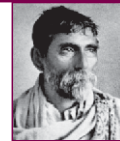
स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 21.11.2022

भवदीय,
ह/-

(राजीव कुमार पांडेय)
लेखा परीक्षा महानिदेशक
(केंद्रीय व्यय)



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



सीएजी की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब

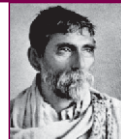
सीएजी की टिप्पणी:	प्रबंधन का जवाब
क. तुलन पत्र क.1 वर्तमान परिसंपत्तियाँ लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम: रु.11.19 करोड़ (नोट सं.15) उपर्युक्त में 1.33 करोड़ रुपये तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित प्राप्त राशि (11.34 लाख रुपये किराए के रूप में और 122.60 लाख रुपये बिजली शुल्क और संपत्ति कर आदि के रूप में) शामिल हैं, जिसके लिए लेखा नीति 1.23 के उल्लंघन में कोई प्रावधान नहीं किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि 'सरकारी विभागों के अलावा अन्य संस्थाओं से प्राप्त राशि के संबंध में पूर्ण प्रावधान किया गया है, जो तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बकाया हैं। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए अल्पकालिक ऋण और अग्रिम और लाभ 1.05 करोड़ रुपये (27.78 लाख रुपये की 1.33 करोड़ रुपये कम सुरक्षा राशि) के अतिकथित हुए हैं।	प्रबंधन ने टिप्पणी पर ध्यान दिया है और भविष्य के वर्षों के वित्तीय विवरणों में इसका ध्यान रखेगा।

ह/-
(निरजा सराफ)
प्रबंध निदेशक

ह/-
(एन रॉय प्रमानिक)
विभागाध्यक्ष (वित्त)



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



S. K. Mallick & Co.

Chartered Accountants

Second Office : 45, Lenin Sarani, Kolkata - 700 013

Phone : 033-40735010

E-mail : skmco.ca@gmail.com / scbanerjee@gmail.com

दिनांक: 06/09/2022

सेवा में

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी, एलएपी-□□□

लेखा परीक्षा महानिदेशक का कार्यालय (कृषि, खाद्य और जल संसाधन)

पर्यावरण और वैज्ञानिक विभाग

कोलकाता शाखा कार्यालय

27, मिर्जा ग़ालिब स्ट्रीट,

कोलकाता-700016।

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

महोदय,

हमने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के खातों पर सरकारी लेखा परीक्षा के ऑडिट नोट्स को शामिल करने के बाद, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को संशोधित किया है।

हम इसके द्वारा संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की दो प्रतियां प्रस्तुत कर रहे हैं।

कृपया इसे स्वीकार करें और उपकृत करें।

एस के मलिक एंड कंपनी के लिए

सनदी लेखापाल

फर्म पंजीकरण संख्या 324892□

ह/-

दिब्येंदु बनर्जी

साझेदार

सदस्यता संख्या 052218

Head Office : BIKANER BUILDINGS, 1ST FLOOR, ROOM NO. : 2, 8-B, LALBAZAR STREET, KOLKATA - 700 001

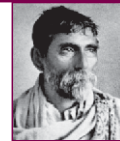
Phone : (033) 4005 3787, E-mail : skmco.ca@gmail.com

Branch : C/O. D. SENGUPTA, AKSHAY APARTMENT, R.G. STREER, P.O. : THARPAKHANA, DIST. : RANCHI, JHARKHAND - 834001

MOBILE NO. : 9831051467, E-mail : rsmallick@gmail.com



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



S. K. Mallick & Co.
Chartered Accountants

Second Office : 45, Lenin Sarani, Kolkata - 700 013

Phone : 033-40735010

E-mail : skmco.ca@gmail.com / scbanerjee@gmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की संशोधित रिपोर्ट

उचित राय

हमने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ("कंपनी") के साथ वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2022 को बैलेंस शीट और लाभ और हानि का विवरण, तब समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश (यहां "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) शामिल है। स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को कैंग की ओर से वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा जारी ऑडिट नोट्स के अनुसार संशोधित किया गया है, जो हमें ऑडिट नोट संख्या 6.1 दिनांक 02/09/2022 के माध्यम से सूचित किया गया है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय अनुभाग के आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं तथा 31 मार्च 2022 क, इसका लाभ तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसका नकदी प्रवाह, कंपनी के मामलों का भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

उचित राय के लिए आधार

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण रजिस्टर और इसके संबंधित रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी की भूमि से पता चलता है कि कई भूमि पारसल कंपनी की होल्डिंग में नहीं हैं क्योंकि प्रबंधन ने इसे कंपनी के नाम पर स्थानांतरित नहीं किया है

संयंत्र, संपत्ति और उपकरण विसंगतियों के भौतिक सत्यापन पर, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया गया था क्योंकि भौतिक सत्यापन सूची की तुलना 31/03/2022 को लेखा रिकॉर्ड के साथ-साथ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण रजिस्टर से नहीं की गई थी।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एसए) पर मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम उन नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं जो भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में भारत में वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

Head Office : BIKANER BUILDINGS, 1ST FLOOR, ROOM NO. : 2, 8-B, LALBAZAR STREET, KOLKATA - 700 001

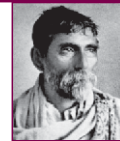
Phone : (033) 4005 3787, E-mail : skmco.ca@gmail.com

Branch : C/O. D. SENGUPTA, AKSHAY APARTMENT, R.G. STREER, P.O. : THARPAKHANA, DIST. : RANCHI, JHARKHAND - 834001

MOBILE NO. : 9831051467, E-mail : rsmallick@gmail.com



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



मामले का जोर

हम लेखा नोट्स के नोट 2.2 बी) और वित्तीय विवरणों की अनुसूची के नोट संख्या 7.2 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो केंद्र सरकार से प्राप्त ऋणों की छूट और इसे पूंजी आरक्षित खाते में हस्तांतरित करने और चालू वर्ष के लिए नगरपालिका कर का प्रावधान न करने का वर्णन करता है। इस मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल सूचना शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों सहित, उसके तहत जारी किए गए प्रासंगिक नियमों को पढ़ें।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; निर्णय और अनुमान बनाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

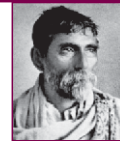
वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की निरंतर चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि लागू होता है, चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करना और लेखांकन के चल रहे चिंता के आधार का उपयोग करना जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है। निदेशक मंडल भी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक भौतिक गलत बयानी का पता लगाएगा जब यह मौजूद हो। गलत बयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इसे सामग्री माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद कर सकते हैं।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



हम भी एसए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम व्य वसाय निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में व्य वसाय संदेह बनाए रखते हैं।

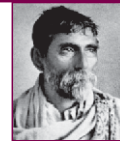
- वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप सामग्री गलत बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रतिनिधित्व या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (आई) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की उचितता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और, प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या शर्तों से संबंधित एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की निरंतर चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण कंपनी एक सतत चिंता के रूप में जारी नहीं रह सकती है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में शासन के साथ आरोपी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन प्रभारी संबंधी बयान दर्ज करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जिन्हें यथोचित रूप से हमारी स्वतंत्रता धारण करने के लिए सोचा जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय का अनुपालन किया है।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)

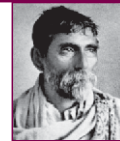


अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट।

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा आवश्यक रूप से, हम "अनुबंध ए" में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।
2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - i. हमने उन सभी जानकारी और स्पष्टीकरणों की मांग की है और प्राप्त किए हैं जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।
 - ii. हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा आवश्यक उचित पुस्तकों को रखा गया है, जहां तक यह उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
 - iii. इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह बही-खातों से सहमत हैं।
 - iv. हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है।
 - v. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुबंध बी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
 - vi. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
 - क. कंपनी के पास कोई मुकदमा लंबित नहीं था।
 - ख. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भौतिक निकट हानि थी।
 - ग. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित की जाने वाली कोई राशि की आवश्यकता नहीं थी।
 - vii. (क) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को कोई निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल रूप से भौतिक है) को आगे नहीं बढ़ाया गया है या उधार नहीं दिया गया है या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधियों से), विदेशी इकाई ("मध्यस्थ") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करेगा;



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



(ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी को विदेशी इकाई ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ कि कंपनी, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज की गई हो, कि कंपनी, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार दें या निवेश करें या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करें;

(ग) इन परिस्थितियों में युक्तिसंगत और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उपखंड (i) और (ii) के अधीन अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के अंतर्गत उपबंध किया गया है, में कोई भौतिक गलत विवरण है।

viii. जैसा कि नोट 2.32 में वित्तीय विवरणों के लिए कहा गया है

क) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए किसी लाभांश का प्रस्ताव नहीं किया है और इसलिए आगामी वार्षिक आम बैठक में इसके अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

एस के मल्लिक एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण संख्या 324892E

ह/-

(दिब्येंदु बनर्जी)

सदस्यता संख्या 052218

साझेदार

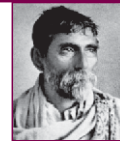
स्थान: कोलकाता

दिनांक:

यूडीआईएन:



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



S. K. Mallick & Co.
Chartered Accountants

Second Office : 45, Lenin Sarani, Kolkata - 700 013

Phone : 033-40735010

E-mail : skmco.ca@gmail.com / scbanerjee@gmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

योग्य राय

हमने साथ में वित्तीय विवरण बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ("कंपनी") का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक बैलेंस शीट और लाभ और हानि का विवरण, उस वर्ष के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट शामिल हैं वित्तीय विवरण, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (इसके बाद "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के आधार अनुभाग में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं 31 मार्च, 2022 को कंपनी के मामलों की स्थिति के भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ और इसके नकदी प्रवाह के अनुरूप आवश्यक तरीके से और एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दें।

योग्य राय के लिए आधार

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण रजिस्टर और उससे संबंधित अभिलेखों के अनुसार कंपनी की भूमि, और प्रबंधन से प्राप्त प्रतिनिधित्व पत्र और रिकॉर्ड में लिया गया, यह दर्शाता है कि कुछ कार्य बहुत पुराने हैं और कार्यकाल के दौरान हमारे सामने पेश नहीं किए जा सकते हैं। हमारे सत्यापन के लिए लेखा परीक्षा का। इसलिए हम भूमि पार्सल का पूरा रिकॉर्ड सत्यापित करने में असमर्थ हैं।

संयंत्र, संपत्ति और उपकरण विसंगतियों के भौतिक सत्यापन पर, यदि कोई हो तो पता नहीं लगाया गया था क्योंकि भौतिक सत्यापन सूची की तुलना लेखांकन रिकॉर्ड के साथ-साथ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण रजिस्टर 31/03/2022 से नहीं की गई थी।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग (एसए) पर मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारे वित्तीय विवरण अनुभाग के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। रिपोर्ट good। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में भारत में वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं। और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह हमारे योग्य मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

Head Office : BIKANER BUILDINGS, 1ST FLOOR, ROOM NO. : 2, 8-B, LALBAZAR STREET, KOLKATA - 700 001

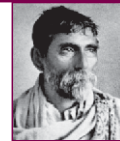
Phone : (033) 4005 3787, E-mail : skmco.ca@gmail.com

Branch : C/O. D. SENGUPTA, AKSHAY APARTMENT, R.G. STREER, P.O. : THARPAKHANA, DIST. : RANCHI, JHARKHAND - 834001

MOBILE NO. : 9831051467, E-mail : rsmallick@gmail.com



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



मामले का जोर

हम खातों पर टिप्पणियों के नोट 2.2 बी) और वित्तीय विवरणों की अनुसूची के नोट संख्या 7.2 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें केंद्र सरकार से प्राप्त ऋणों की छूट और पूंजी आरक्षित खाते में उसी के हस्तांतरण और नगरपालिका कर के गैर-प्रावधान का वर्णन किया गया है। चालू वर्ष के लिए। इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

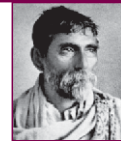
कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित, इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ा जाता है।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है, तब तक चलने वाली चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के आधार पर चलने वाली चिंता के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है। संचालन, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

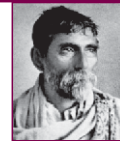
- जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा आवश्यक है, हम "अनुलग्नक ए" में देते हैं। आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान।
- जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।



- ii. हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित बहीखाता रखा गया है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
- iii. बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह खाते की किताबों के अनुरूप हैं।
- iv. हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
- v. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक बी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
- vi. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
 - क. कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमेबाजी नहीं थी।
 - ख. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई वास्तविक नुकसान हुआ हो।
 - ग. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने के लिए कोई राशि आवश्यक नहीं थी।
- vii. (क) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) को उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं;
- (ख) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है, कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कंपनी द्वारा विदेशी संस्था सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से सामग्री है) प्राप्त नहीं किया गया है ("वित्त पोषण पार्टियों"), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी, जो कि फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से ("अंतिम" लाभार्थी) या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं;
- (ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन), जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी सामग्री गलत विवरण है



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



viii. जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 2.32 में कहा गया है

क) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं किया है और इसलिए आगामी वार्षिक आम बैठक में इसके अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

एस के मलिक एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण संख्या 324892ई

ह/-

(दिब्येंद्रु बनर्जी)

सदस्यता संख्या 052218

साझेदार

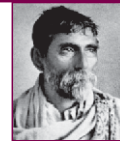
स्थान: कोलकाता

दिनांक: 21 जुलाई, 2022

यूडीआईएन: 22052218AOFMMI4926



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध “ए”

कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और लेखापरीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांच की गई बहियों और अभिलेखों के अनुसार, हम कहते हैं कि:

(i) (a) (A) कंपनी संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रख रही है।

(B) कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है।

(b) कंपनी के पास हर साल एक बार सभी संपत्तियों को कवर करने के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन का एक कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में उचित है। कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण सत्यापन के लिए देय थे और वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किए गए थे। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भौतिक सत्यापन सूची के साथ-साथ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण रजिस्टर के साथ-साथ भौतिक सत्यापन सूची की तुलना में विसंगतियों का पता नहीं लगाया गया था।

(c) भूमि की संपत्ति कर रसीदों की हमारी जांच के आधार पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत शामिल वित्तीय विवरणों में खुलासा किया गया है, कंपनी के नाम पर बैलेंस शीट की तारीख में आयोजित किया जाता है। भवन प्रबंधन पर भूमि के अलावा अन्य भूमि के मामले में एक मामले में शीर्षक विलेख/हस्तांतरण विलेख/हस्तांतरण विलेख हमारे सामने प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है और इसलिए हम पुष्टि करने की स्थिति में नहीं हैं कि क्या सभी पूरी भूमि का खुलासा किया गया है बैलेंस शीट तिथि के अनुसार वित्तीय विवरण कंपनी के नाम पर रखे जाते हैं।

साथ ही हमारे सामने रखी गई भूमि के विवरण के अनुसार जिसमें 42 विलेख शामिल हैं जिनमें से कुछ मूल कर्म नहीं थे। इसके अलावा बयान के अनुसार भूमि का कुल मूल्य 10.65 लाख रुपये आता है। कंपनी की पुस्तकों के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में प्रकट भूमि का मूल्य 188.29 लाख रुपये है। प्रबंधन इस तरह के बदलाव का कोई कारण नहीं बता सका है।

(d) कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(e) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (संशोधित) के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च 2022 तक कंपनी के खिलाफ लंबित नहीं है। 2016 में) और उसके तहत बने नियम।

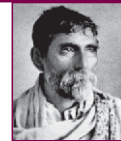
(ii) (a) प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है। प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है और इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गईं।

(b) कंपनी को चालू संपत्ति की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय, कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कोई कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii) बी के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान निवेश नहीं किया है या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी के लिए सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है और



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



अन्य पार्टियों को असुरक्षित ऋण प्रदान किया है। तदनुसार आदेश के (ए), (बी), (सी), (डी), (ई) और (एफ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

- (iv) कंपनी के पास कंपनी अधिनियम की धारा 185 और धारा 186 के प्रावधानों से जुड़े ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा नहीं है।
- (v) कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और धारा 73 से 76 के प्रावधानों या अधिनियम के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों को लागू करने वाली जमा स्वीकार नहीं की है। कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अदालत या किसी अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा अनुपालन की आवश्यकता वाला कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।
- (vi) केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी को अपने उत्पादों के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता है। हमने व्यापक रूप से इसकी समीक्षा की है और हमारी राय है कि, प्रथम दृष्टया, निर्धारित खाते और रिकॉर्ड बनाए और बनाए रखे गए हैं। हालांकि, हमने यह निर्धारित करने की दृष्टि से अभिलेखों की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे सही हैं या पूर्ण हैं।
- (vii) (a) कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, धन कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सहित अविवादित वैधानिक देय राशि को उचित अधिकारियों के पास जमा करने में आम तौर पर नियमित थी। माल और सेवा कर जैसे वैधानिक बकाया, कंपनी के कोलकाता और मुंबई संपत्तियों से संबंधित नगरपालिका कर और भूमि राजस्व के संबंध में 1757.77 लाख रुपये को छोड़कर, जो छह महीने से अधिक समय से बकाया हैं।
- (b) आयकर या धन कर या सेवा कर या सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर के बकाया के संबंध में शामिल राशि और मंच जहां विवाद लंबित है, जो किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, देय हैं एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स से संबंधित क्रमशः 195.68 लाख रुपये, 1175.17 लाख रुपये और 1605.16 लाख रुपये की राशि प्रदान नहीं की गई है और संबंधित अधिकारियों के पास कोई राशि जमा नहीं की गई है, जैसा कि बताया गया है नोट 2 में पैराग्राफ संख्या 2.23 में।
- (viii) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर आकलन में वर्ष के दौरान आय के रूप में पहले से दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेन-देन नहीं किया गया है या आय के रूप में प्रकट किया गया है।
- (ix) (a) कंपनी ने किसी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(a) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है। केंद्र सरकार ने समय-समय पर कंपनी को ऋण प्रदान किया है। 8,621.64 लाख रुपये के उपार्जित ब्याज के साथ 10,743 लाख रुपये का यह संपूर्ण ऋण सरकार द्वारा खातों पर नोट्स के नोट 2.2 (b) के अनुसार माफ कर दिया गया है।

माफ करने से पहले बकाया ऋण और ब्याज का विवरण नीचे दिया गया है।

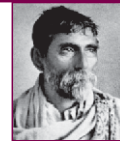
विवरण	मूल राशि ब्याज मुक्त ऋण (रु. लाख में)	उपार्जित ब्याज और ब्याज वाले ऋण पर देय (रु. लाख में)
भारत सरकार-योजना ऋण	9000.00	5308.25
भारत सरकार - गैर योजना ऋण	1749.00	3313.39

कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

- (b) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई सावधि ऋण बकाया नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix) (c) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (c) कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पावधि पर कोई फंड नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(c) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (d) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी संस्था से कोई धन नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix) (e) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (f) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix) (f) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (x) (a) कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (वर्ष के दौरान ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (b) वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(b) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है वर्ष के दौरान सूचना दी।
- (xi) (a) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई और कंपनी पर कोई वास्तविक धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।
- (b) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 12 के तहत कोई भी रिपोर्ट फॉर्म एडीटी-4 में नहीं भरी गई है, जैसा कि कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत वर्ष और उसके बाद केंद्र सरकार के साथ निर्धारित किया गया है। इस रिपोर्ट की तारीख तक।
- (c) हमें कंपनी द्वारा व्हिसल ब्लोअर द्वारा उठाई गई और वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तारीख तक) कंपनी द्वारा प्राप्त की गई किसी भी शिकायत की सूचना नहीं दी गई है और इसलिए आदेश के खंड 3(xi) (c) के तहत रिपोर्टिंग की गई है। उपयुक्त नहीं है।
- (xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है इसलिए आदेश के खंड 3(xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (xiii) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188 के तहत कोई भुगतान नहीं किया गया है और इसलिए आदेश का खंड (xiii) लागू नहीं होता है।
- (xiv) (a) हमारी राय में कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।
- (b) हमने लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है, जो वर्ष के दौरान और आज तक कंपनी को जारी की गई है, हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित करने में।
- (xv) हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या इसके निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xvi) (a) क्या हमारी राय है, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए खंड 3(xvi)(ए), (बी) और (c) आदेश लागू नहीं होता है।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



- (b) हमारी राय में, समूह के भीतर कोई मुख्य निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियों (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3(xvi)(डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (xvii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद घाटा नहीं उठाया है।
- (xviii) यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, केंद्र सरकार लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करती है और इसलिए आदेश के खंड 3 (xviii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तारीखों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल का हमारा ज्ञान और प्रबंधन योजना और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि ऑडिट की तारीख के अनुसार सामग्री अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी अपनी मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है। तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जब और जब वे देय हों। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा। कंपनी के रूप में और जब वे देय होते हैं। हालांकि हम आगे कहते हैं कि कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है।
- (xx) (a) कंपनी ने उप-धारा के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट के अनुसार चल रही परियोजना के अलावा अन्य आवश्यक राशि खर्च की है। (5) उक्त अधिनियम की धारा 135।
- (b) चूंकि कंपनी किसी भी चल रही परियोजना के साथ काम नहीं कर रही है इसलिए आदेश का खंड 3(xx)(बी) लागू नहीं है।
- (xxi) आदेश का खंड (xxi) लागू नहीं है।

एस के मलिक एंड कंपनी के लिए।

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या 324892E

ह/-

(दिब्येंदु बनर्जी)

सदस्यता संख्या 052218

साझेदार

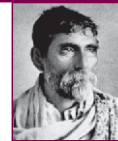
जगह : कोलकाता

दिनांक: 21 जुलाई, 2022

यूडीआईएन: 22052218AOFMMI4926



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की सम दिनांक की रिपोर्ट का अनुलग्नक “बी”

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2022 तक बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, साथ ही उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट भी की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

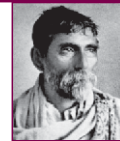
हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों के संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा का संचालन किया। भारत के सनदी लेखापाल। उन मानकों और गाइडेंस नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्थापित किया गया था। कंपनी भारत के सनदी लेखापाल संस्थापन द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए।

एस के मलिक एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण संख्या 324892E

ह/-

(दिव्येंद्रु बनर्जी)

सदस्यता संख्या 052218

साझेदार

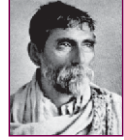
स्थान: कोलकाता

दिनांक: 21 जुलाई, 2022

यूडीआईएन: 22052218AOFMMI4926



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



S. K. Mallick & Co.
Chartered Accountants

Second Office : 45, Lenin Sarani, Kolkata - 700 013

Phone : 033-40735010

E-mail : skmco.ca@gmail.com / scbanerjee@gmail.com

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत वर्ष 2020-21 और उसके बाद के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक को सीएजी के निर्देश

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) के खातों की लेखापरीक्षा की है और हम प्रमाणित करते हैं कि हमने वाणिज्यिक महानिदेशक के कार्यालय द्वारा हमें जारी किए गए सभी निर्देशों और अतिरिक्त निर्देशों का अनुपालन किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षा और पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-II, कोलकाता। हम आगे निम्नानुसार बताते हैं:

- I. आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है। हम आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के किसी भी अवसर पर नहीं आए हैं और इसलिए खातों की अखंडता और इसके वित्तीय प्रभाव पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन का प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है।
- II. कृपया नोट 2.2 बी के तहत बीसीपीएल के वित्तीय विवरण देखें। भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 की लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के दौरान रु.19370.64 लाख के संपूर्ण ऋण/ब्याज को माफ कर दिया है। नोट 2.2 बी) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, स्व-व्याख्यात्मक है।
- III. लेखापरीक्षा 2021-22 के अंतर्गत वर्ष के दौरान केन्द्र/राज्य सरकार अथवा उसकी एजेंसियों से कोई धनराशि (अनुदान/सब्सिडी) प्राप्त नहीं हुई है।

एस के मलिक एंड कंपनी के लिए

सनदी लेखापाल

फर्म पंजीकरण संख्या 324892ई

ह/-

दिब्येंदु बनर्जी

साझेदार

सदस्यता संख्या 052218

स्थान: कोलकाता

06/09/2022

Head Office : BIKANER BUILDINGS, 1ST FLOOR, ROOM NO. : 2, 8-B, LALBAZAR STREET, KOLKATA - 700 001

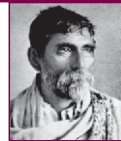
Phone : (033) 4005 3787, E-mail : skmco.ca@gmail.com

Branch : C/O. D. SENGUPTA, AKSHAY APARTMENT, R.G. STREER, P.O. : THARPAKHANA, DIST. : RANCHI, JHARKHAND - 834001

MOBILE NO. : 9831051467, E-mail : rsmallick@gmail.com



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



31 मार्च, 2022 को बैलेंस शीट

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
I. इक्विटी और देयताएं			
(1) शेयरधारक की निधि			
(ए) शेयर पूंजी	3	7696.04	7696.04
(बी) रिजर्व और अधिशेष	4	7658.60	(12459.20)
(2) गैर-वर्तमान देनदारियाँ			
(ए) लंबी अवधि के उधार	5	-	19370.64
(3) वर्तमान देनदारियाँ			
(ए) व्यापार देय		-	-
(ए) सूक्ष्म उद्यमों की कुल बकाया राशि और छोटे उद्यम; तथा			
(बी) के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि सूक्ष्म उद्यम और छोटे उद्यम	6	2104.05	1684.77
(बी) अन्य मौजूदा देनदारियों	7	3773.64	3863.80
(सी) अल्पकालिक प्रावधान	8	372.15	429.92
कुल		21604.48	20585.97
II. संपत्ति			
(1) गैर-वर्तमान संपत्ति			
(ए) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति			
(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	9	10392.32	10998.02
(ii) कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस	10	2527.31	2527.31
(बी) अन्य गैर चालू संपत्ति	11	243.26	243.41
(2) वर्तमान संपत्ति			
(ए) सूची 12		1441.14	1443.67
(बी) व्यापार प्राप्तियां	13	2711.27	2939.16
(सी) नकद और नकद समकक्ष	14	3169.83	1162.92
(डी) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	15	1119.35	1271.48
कुल		21604.48	20585.97

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1

ऊपर संदर्भित नोट्स

2

वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न है

एसके मलिक एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

आईसीएआई एफआरसं. 324892ई

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

ह/-

(दिब्येंदु बनर्जी)

भागीदार

सदस्यता संख्या: 052218

ह/-

(निरजा सराफ)

प्रबंध संचालक

डीआईएन: 06901973

ह/-

(परवीन कुमार)

अंशकालिक आधिकारिक निदेशक

डीआईएन: 08764769

ह/-

(एन रॉय प्रमाणिक)

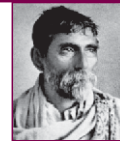
एचओडी (वित्त)

स्थान : कोलकाता

दिनांक: 21-07-2022



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
संचालन से राजस्व	16	6236.85	6348.17
अन्य आय	17	968.05	1037.61
कुल आय (I+II)		7204.90	7385.78
खर्च:			
खपत सामग्री की लागत	18	3325.99	3270.26
तैयार माल, कार्य-प्रगति और स्टॉक-इन-ट्रेड की सूची में परिवर्तन	19	38.40	163.70
कर्मचारी लाभ व्यय	20	1130.70	1228.63
वित्तीय लागत	21	2.95	8.15
मूल्यहास और परिशोधन लागत	22	614.73	592.23
अन्य खर्च	23	1186.90	1348.59
कुल खर्च		6299.67	6611.56
असाधारण और असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ		905.23	774.22
असाधारण मद (पूर्व अवधि आय)		18.77	0.00
असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (III+IV)		924.00	774.22
असाधारण सामग्री		-	-
कर पूर्व लाभ (VII-VIII)		924.00	774.22
कर व्यय:			
(1) वर्तमान कर		165.42	-
(2) पूर्व वर्ष के आयकर के लिए प्रावधान		11.42	166.00
अवधि के लिए लाभ/(हानि)।		747.16	608.22
प्रति इक्विटी शेयर आय:	24		
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य रु. 10/- पूरी तरह से चुकता।			
(1) बुनियादी		97.08	79.03
(2) तनुकृत		97.08	79.03

ऊपर संदर्भित नोट्स वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न है
एसके मलिक एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई एफआरसं. 324892ई

ह/-
(दिब्येंदु बनर्जी)
भागीदार
सदस्यता संख्या: 052218

ह/-
(निरजा सराफ)
प्रबंध संचालक
डीआईएन: 06901973

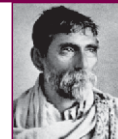
ह/-
(परवीन कुमार)
अंशकालिक आधिकारिक निदेशक
डीआईएन: 08764769

स्थान : कोलकाता
दिनांक: 21-07-2022

ह/-
(एन रॉय प्रमाणिक)
एचओडी (वित्त)



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



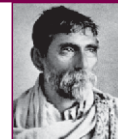
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(रु. लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
क	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह				
	कर और असाधारण वस्तुओं से पहले शुद्ध लाभ के लिए समायोजन:		905.23		774.22
	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	614.73		592.23	0.00
	अचल संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान	0.00		1.37	
	पूंजी डब्ल्यूआईपी का समायोजन	0.00		0.19	
	वित्तीय लागत	2.95		8.64	
	ब्याज आय	(36.38)		(23.01)	
	संपत्तियों से किराया	(898.92)		(975.17)	
	अन्य आय	(32.75)		(39.43)	
	आयकर के लिए प्रावधान	(176.84)		(166.00)	
	पूर्व अवधि समायोजन	0.00		2.28	
	संदिग्ध प्राप्त्य, ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	206.73		106.70	
	(ii)		(320.48)		(492.20)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ/(हानि) (iii)=(i+ii)		584.75		282.02
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन:				
ख	परिचालन परिसंपत्तियों में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन				
	भंडार	2.53		209.22	
	व्यापार प्राप्तियां	227.89		286.99	
	अल्पावधि ऋण और अग्रिम	152.13		130.08	
	अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां	0.00		(225.06)	
	(iv)		382.55		401.23
	परिचालन देयताओं में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन				
	व्यापार देनदारियां	419.28		(455.50)	
	अन्य वर्तमान देनदारियां	(90.16)		(304.24)	
	लघु अवधि के प्रावधान	(264.50)		(188.26)	
	दीर्घकालिक प्रावधान	0.00		87.67	
	(v)		64.62		(860.33)
	असाधारण मद से पहले शुद्ध नकदी प्रवाह (vi = iii + iv + v)		1031.92		(177.08)
	जोड़ें: असाधारण सामग्री (सात)		18.77		0.00
	परिचालन गतिविधियों से / (में प्रयुक्त) से शुद्ध नकदी प्रवाह		1050.69		(177.08)
ख	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
	पूंजी (व्यय)/ रसीद पीएन फिक्स्ड एसेट, डब्ल्यूआईपी	-		0.10	
	परिपक्व सावधि जमा	-		(501.40)	
	किरायेदार से जमा	-		(32.72)	
	अचल संपत्ति की खरीद	(9.01)			
	प्राप्त ब्याज	36.38		23.01	
	संपत्तियों से किराये की आय	898.92		975.17	
	सुरक्षा जमा प्राप्त किया	0.15			
	अन्य आय	32.75		39.43	
	निवेश गतिविधियों से / (में प्रयुक्त) से शुद्ध नकदी प्रवाह		959.19		503.59



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



ग	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
	दीर्घावधि उधार	-		-	
	वित्तीय लागत	(2.95)		(8.64)	
	वित्तीय गतिविधियों से / (में प्रयुक्त) से शुद्ध नकदी प्रवाह		(2.95)		(8.64)
	नकद और नकद समतुल्य (ए+बी+सी) में शुद्ध वृद्धि / (कमी)		2,006.93		317.87
	शुरुआती अवधि में नकद और नकद समकक्ष		1,162.92		68.09
	अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्ष		3,169.85		385.96
	अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्ष (नोट 14 देखें)		3169.83		1162.92
	कम: सावधि जमा		2511.77		776.98
			658.06		385.94
घ	नकद और नकद समकक्ष में शामिल हैं				
	हाथ में पैसा	1.29		0.35	
	बैंकों के साथ शेष राशि				
	चालू खातों में	656.77		385.59	
	कुल		658.06		385.94

यह नकदी प्रवाह विवरण लेखा मानक -3 (संशोधित) "नकदी प्रवाह विवरण" द्वारा निर्धारित "अप्रत्यक्ष विधि" के अनुसार तैयार किया गया है।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न है
एसके मलिक एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई एफआरसं. 324892ई

ह/-
(दिब्येंदु बनर्जी)
भागीदार
सदस्यता संख्या: 052218

ह/-
(निरजा सराफ)
प्रबंध संचालक
डीआईएन: 06901973

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

ह/-
(परवीन कुमार)
अंशकालिक आधिकारिक निदेशक
डीआईएन: 08764769

स्थान : कोलकाता
दिनांक: 21-07-2022

ह/-
(एन रॉय प्रमाणिक)
एचओडी (वित्त)

1.0 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 2021-22

1.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार:

ये वित्तीय विवरण भारतीय आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं। जीएएपी में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7, अधिनियम के प्रावधान (अधिसूचित सीमा तक) के तहत निर्धारित अनिवार्य लेखा मानक शामिल हैं। ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत वित्तीय विवरण उपार्जन के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहाँ एक नया जारी किया गया लेखा मानक शुरू में अपनाया गया है या मौजूदा लेखा मानक में संशोधन के लिए उपयोग में आने वाली लेखा नीति में बदलाव की आवश्यकता है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो लाखों में निकटतम रुपये में होते हैं।

1.2 अनुमानों का उपयोग:

आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए निर्णय, अनुमान और धारणा की आवश्यकता होती है जो संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करती है, वित्तीय विवरणों की तारीख पर आकस्मिक देनदारियों का खुलासा और राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान।

लेखांकन अनुमान समय-समय पर बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों में उचित बदलाव किए जाते हैं क्योंकि प्रबंधन को अनुमानों के आसपास की परिस्थितियों में बदलाव के बारे में पता चलता है। अनुमानों में परिवर्तन वित्तीय विवरणों में उस अवधि में परिलक्षित होते हैं जिसमें परिवर्तन किए जाते हैं और, यदि महत्वपूर्ण हैं, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

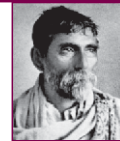
1.3 संपत्ति और देनदारियों का वर्तमान / गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकरण:

कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र के अनुसार सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

संपत्ति

एक परिसंपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वह निम्नलिखित में से किसी भी मानदंड को पूरा करती है:

- कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में इसे साकार किए जाने की उम्मीद है, या बिक्री या उपभोग के लिए अभिप्रेत है;
- यह मुख्य रूप से व्यापार करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है;



- (iii) रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर इसे प्राप्त करने की उम्मीद है; या
- (iv) यह नकद या नकद समतुल्य है जब तक कि रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए इसे एक्सचेंज किए जाने या देयता के निपटान के लिए उपयोग नहीं किया जाता है।

देयताएं

एक दायित्व को वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वह निम्नलिखित में से किसी भी मानदंड को पूरा करता है:

- (i) इसके कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में तय होने की उम्मीद है;
- (ii) यह मुख्य रूप से व्यापार करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है;
- (iii) यह रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर निपटाया जाना है; या
- (iv) कंपनी के पास रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए दायित्व के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। देयता की शर्तें, जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर, इक्विटी लिखतों के निर्गम द्वारा इसके निपटान में परिणत हो सकती हैं, इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

वर्तमान संपत्ति और वर्तमान देनदारियों में क्रमशः वित्तीय संपत्ति और देनदारियों का वर्तमान भाग शामिल है। अन्य सभी संपत्तियों/देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

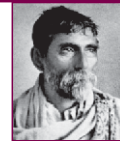
संचालन चक्र :

परिचालन चक्र प्रसंस्करण के लिए संपत्ति के अधिग्रहण और नकद या नकद समकक्ष में उनकी प्राप्ति के बीच का समय है।

1.4 अचल सम्पत्ति:

(क) मूर्त संपत्ति

- (i) मूर्त अचल संपत्तियों को अधिग्रहण या निर्माण की लागत पर बताया गया है और इसमें संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन पर जोड़ी गई राशि, संचित मूल्यह्रास और हानि हानि, यदि कोई हो, शामिल है। मूर्त अचल संपत्ति की एक वस्तु की लागत में इसकी खरीद मूल्य शामिल है, जिसमें आयात शुल्क और अन्य गैर-वापसी योग्य कर या लेवी शामिल हैं और संपत्ति को इसके इच्छित उपयोग के लिए काम करने की स्थिति में लाने की कोई भी आरोपणीय लागत है। खरीद मूल्य पर पहुंचने में किसी भी व्यापार छूट और छूट में कटौती की जाती है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बकाया मूर्त अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए दिए गए अग्रिम, लंबी अवधि के ऋणों और अग्रिमों के तहत दिखाए जाते हैं और अवधि समाप्त होने से पहले इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं होने वाली संपत्तियों की लागत को "प्रगति में पूंजीगत कार्य" के रूप में दिखाया जाता है।



- (ii) मूर्त अचल संपत्ति के एक आइटम से संबंधित बाद के व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब यह प्रदर्शन के पहले से निर्धारित मानकों से परे मौजूदा परिसंपत्तियों से भविष्य के लाभों को बढ़ाता है।
- (iii) निर्माण अवधि के दौरान चालू होने की तारीख तक किए गए आकस्मिक व्यय को पूंजीकृत किया गया है।

(ख) अमूर्त संपत्ति

- (i) अमूर्त अचल संपत्तियों में ब्रांड, ट्रेडमार्क और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल हैं, जो कि संचित परिशोधन और हानि हानि, यदि कोई हो, को घटाकर बताई गई हैं। अमूर्त अचल संपत्ति की एक वस्तु की लागत में इसकी खरीद मूल्य शामिल है, जिसमें आयात शुल्क और अन्य गैर-वापसी योग्य कर या लेवी शामिल हैं और परिसंपत्ति को इसके इच्छित उपयोग के लिए काम करने की स्थिति में लाने की कोई भी आरोपणीय लागत है। खरीद मूल्य पर पहुंचने में किसी भी व्यापार छूट और छूट में कटौती की जाती है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को बकाया अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए दिए गए अग्रिमों को लंबी अवधि के ऋणों के तहत दिखाया जाता है और अवधि समाप्त होने से पहले इच्छित उपयोग के लिए तैयार न होने वाली संपत्तियों की लागत को विकास के तहत अमूर्त अचल संपत्तियों के रूप में दिखाया जाता है।
- (ii) बाद के व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह उस विशिष्ट संपत्ति से भविष्य के आर्थिक लाभों को बढ़ाता है जिससे यह संबंधित है।

1.5 वस्तु एवं सेवा कर

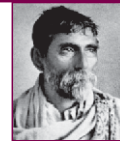
माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू दरों पर कंपनी द्वारा माल और सेवाओं की जावक आपूर्ति पर उपलब्ध इनपुट क्रेडिट के समायोजन के अधीन लगाया जाता है।

1.6 मूल्यहास / परिशोधन:

संपत्ति के लिए मूल्यहास राशि एक परिसंपत्ति की लागत है, या लागत के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि, इसके अनुमानित अवशिष्ट मूल्य से कम है।

वर्ष के दौरान अर्जित मूर्त अचल संपत्तियों (फ्रीहोल्ड भूमि और पूंजीगत कार्य-प्रगति के अलावा) के संबंध में, मूल्यहास / परिशोधन एक सीधी रेखा के आधार पर लगाया जाता है ताकि उपयोगी जीवन पर संपत्ति की लागत को राइट-ऑफ किया जा सके और 1 अप्रैल 2014 से पहले अर्जित संपत्तियों के लिए, 1 अप्रैल 2014 को अग्रणीत राशि शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यहास की जाती है। उपयोगी जीवन वही है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के भाग-सी में निर्धारित है।

अमूर्त अचल संपत्तियों को उनके संबंधित व्यक्तिगत अनुमानित उपयोगी जीवन पर एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है, जिस तारीख से संपत्ति कंपनी के उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।



1.7 उधार लेने की लागत:

ऐसी संपत्तियों के पूंजीकरण की तारीख तक अर्हकारी संपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण के लिए जिम्मेदार उधार लागत को ऐसी संपत्तियों के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। एक अर्हक संपत्ति वह है जो आवश्यक रूप से अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती है। अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें वे खर्च किए गए हैं और लाभ और हानि विवरण लगाया गया है।

1.8 देयता :

सामग्री आवक पर्ची जारी करने की तिथि के आधार पर पूंजीगत और राजस्व दोनों प्रकार की खरीद के संबंध में देयता का हिसाब लगाया जाता है।

1.9 संपत्ति की हानि:

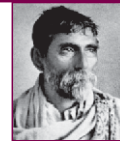
जब परिसंपत्ति की वहन लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है। हानि हानि को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है जिसमें किसी परिसंपत्ति की पहचान क्षतिग्रस्त के रूप में की जाती है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में बदलाव होने पर पूर्व लेखा अवधि में मान्यता प्राप्त हानि हानि को उलट दिया जाता है।

1.10 निवेश:

- (i) निवेश जो आसानी से वसूली योग्य हैं और निवेश किए जाने की तारीख से बारह महीने से अधिक समय के लिए आयोजित किए जाने का इरादा है, उन्हें वर्तमान निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी निवेशों को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- (ii) प्रारंभिक मान्यता पर, सभी निवेशों को लागत पर मापा जाता है। लागत में खरीद मूल्य और प्रत्यक्ष रूप से आरोपित अधिग्रहण शुल्क जैसे ब्रोकरेज, शुल्क और शुल्क शामिल हैं। यदि शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों को जारी करके एक निवेश का अधिग्रहण किया जाता है, या आंशिक रूप से अधिग्रहण किया जाता है, तो अधिग्रहण की लागत जारी की गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्य है। यदि किसी अन्य संपत्ति के बदले में एक निवेश का अधिग्रहण किया जाता है, तो अधिग्रहण को छोड़ी गई संपत्ति के उचित मूल्य के संदर्भ में या अधिग्रहीत निवेश के उचित मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है, जो भी अधिक स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो।
- (i) वर्तमान निवेश वित्तीय विवरणों में कम लागत और व्यक्तिगत निवेश के आधार पर निर्धारित उचित मूल्य पर किए जाते हैं। लंबी अवधि के निवेश लागत पर किए जाते हैं। हालांकि, निवेश के मूल्य में अस्थायी के अलावा अन्य गिरावट को पहचानने के लिए मूल्य में कमी का प्रावधान किया गया है।
- (ii) एक निवेश के निपटान पर, इसकी अग्रणीत राशि और शुद्ध निपटान आय के बीच के अंतर को लाभ और हानि के विवरण में आरोपित या जमा किया जाता है।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)

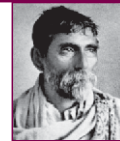


1.11 सरकारी अनुदान:

- (i) पूंजीगत अनुदान/सब्सिडी : विशिष्ट परिसंपत्तियों से संबंधित पूंजीगत अनुदान/सब्सिडी को परिसंपत्तियों के सकल मूल्य से घटा दिया जाता है और परियोजना पूंजीगत अनुदान के लिए पूंजीगत अनुदान को पूंजी आरक्षित में जमा किया जाता है और अपेक्षित शर्तों के पूरा होने तक बनाए रखा जाता है।
- (ii) राजस्व अनुदान/सब्सिडी :
 - क) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान और वेतन बकाया का लाभ और हानि खाते के माध्यम से संबंधित लागतों के साथ मिलान किया जाता है। अप्रयुक्त अनुदान वर्तमान देनदारियों के तहत दिखाए जाते हैं।
 - ख) अन्य सभी राजस्व अनुदान लाभ और हानि खाते में जमा किए जाते हैं।

1.12 राजस्व मान्यता:

- (i) सामान्य गतिविधियों के दौरान माल की बिक्री से राजस्व को मान्यता दी जाती है जब माल में संपत्ति, या उनके स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार ग्राहक को हस्तांतरित किए जाते हैं और प्रतिफल की राशि के बारे में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं होती है। माल की बिक्री के साथ-साथ उसके संग्रह के संबंध में। राजस्व में उत्पाद शुल्क शामिल है और यह लागू बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर/जीएसटी का शुद्ध है और लागू छूट और भत्तों का भी शुद्ध है।
- (ii) बिक्री रिटर्न का लेखा-जोखा ग्राहकों से ऐसे रिटर्न के वर्ष में लिया जाता है।
- (iii) रॉयल्टी, मील के पत्थर के भुगतान, तकनीकी जानकारी की व्यवस्था, विशिष्टता और पेटेंट निपटान और लाइसेंसिंग व्यवस्था से होने वाली आय को प्रासंगिक समझौते की शर्तों के अनुसार प्रोद्घवन आधार पर मान्यता दी जाती है। किसी भी गैर-प्रतिस्पर्धी शुल्क को समझौते की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है।
- (iv) निर्यात प्रोत्साहन पात्रता को आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब किए गए निर्यात के संबंध में योजना की शर्तों के अनुसार क्रेडिट प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है, और जहां प्रासंगिक निर्यात आय के अंतिम संग्रह के बारे में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता नहीं होती है।
- (v) निवेशों के निपटान/बिक्री पर लाभ को उस अवधि में आय के रूप में माना जाता है जिसमें निवेश को बेचा/निपटाया जाता है।
- (vi) लाभांश आय को मान्यता तब दी जाती है जब आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है। बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए ब्याज आय को समय अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है। धारित ऋण प्रतिभूतियों पर छूट या प्रीमियम परिपक्वता की अवधि में उपाजित होता है।



(vii) संपत्तियों को किराए पर देने से होने वाली किराये की आय को किरायेदारों के साथ किए गए समझौतों के अनुसार उपाजित आधार पर मान्यता दी जाती है।

1.13 विदेशी मुद्रा लेनदेन और अनुवाद :

वायदा अनुबंधों द्वारा कवर किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन के अलावा लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर हिसाब लगाया जाता है। वायदा अनुबंधों द्वारा कवर किए गए विदेशी मुद्रा प्राप्य/देय राशियों को वर्ष के अंत में विनिमय दरों पर अनुवादित किया जाता है। ऐसे लेन-देन से होने वाले लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में समायोजित किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋणों का मूल्यांकन वर्ष के अंत में विनिमय दरों पर किया जाता है।

बकाया वायदा अनुबंध, यदि कोई हो, जैसा कि तुलन पत्र की तारीख में था, उस तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर बहाल किया जाता है।

1.14 सूची:

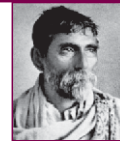
तैयार स्टॉक का मूल्य कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (व्यापार मूल्य घटाकर व्यापार मूल्य का 14%) पर किया जाता है। कच्चे, पैकिंग सामग्री और स्टोर और पुर्जों का मूल्यन लागत पर किया जाता है। प्रगति पर काम का मूल्यांकन कच्चे माल की लागत और श्रम के कारण कच्चे माल की लागत का 30% के आधार पर किया जाता है। थोक तैयार स्टॉक के मामले में कच्चे माल की लागत का 41% ओवरहेड की लागत के रूप में जोड़ा जाता है। कच्चे माल और पैकिंग सामग्री का स्टॉक मूल्यांकन पहले-पहले-पहले के आधार पर निर्धारित किया जाता है और यह कि भारित औसत लागत के आधार पर भंडार और पुर्जों के लिए निर्धारित किया जाता है। इन्वेंटरी के मूल्यांकन की गणना उन वस्तुओं पर की जाती है जिन्हें प्रबंधन द्वारा अच्छा माना जाता है। इस तरह की इन्वेंट्री में 31.03.2022 तक सी एंड एफ एजेंटों के पास पड़े तैयार माल की इन्वेंट्री भी शामिल है।

1.15 नकद और नकदी के समतुल्य:

- (i) नकद और बैंक शेष में बैंक में नकद, हाथ में नकद, हाथ में चेक, मांग जमा और बैलेंस शीट की तारीख से 12 महीने तक की परिपक्वता अवधि के साथ बैंक जमा शामिल हैं।
- (ii) कैश फ्लो स्टेटमेंट के उद्देश्य से, कैश और कैश समकक्षों में कैश और बैंक बैलेंस, चेक इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट नेट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल होते हैं।

1.16 अनुसंधान और विकास लागत:

उत्पादों के विकास के लिए किए गए अनुसंधान और विकास लागतों को व्यय के रूप में खर्च किया जाता है। विकास लागत जो नए या बेहतर सामग्रियों, उत्पादों या प्रक्रियाओं के डिजाइन और परीक्षण से संबंधित है या नए क्षेत्रों में मौजूदा उत्पादों के लिए एक अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है, जब कंपनी निम्नलिखित सभी को प्रदर्शित कर सकती है:



- (i) संपत्ति के विकास को पूरा करना तकनीकी रूप से व्यवहार्य है और यह बिक्री/उपयोग के लिए उपलब्ध होगा।
- (ii) यह उम्मीद की जाती है कि इस तरह के विकास को पूरा किया जाएगा और इस्तेमाल/बिक्री की जाएगी
- (iii) यह उम्मीद की जाती है कि ऐसी संपत्तियां भविष्य में आर्थिक लाभ उत्पन्न करेंगी।
- (iv) इस तरह के विकास को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।
- (v) विकास के दौरान परिसंपत्ति के कारण होने वाले व्यय को विश्वसनीय रूप से मापना संभव है।

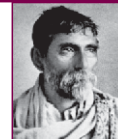
पूँजीगत प्रकृति के अनुसंधान और विकास व्यय को अचल संपत्तियों में जोड़ा जाता है। एक संपत्ति के रूप में विकास व्यय की प्रारंभिक मान्यता के बाद, लागत मॉडल को लागू किया जाता है, जिसमें किसी भी संचित परिशोधन और संचित हानि हानियों को कम लागत पर ले जाने की आवश्यकता होती है। विकास लागत के वहन मूल्य का वार्षिक रूप से हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

1.17 कर्मचारी लाभ:

- (i) भविष्य निधि : कंपनी कर्मचारियों की भविष्य निधि के लिए कंपनी द्वारा प्रशासित भविष्य निधि ट्रस्ट को निर्दिष्ट मासिक योगदान देती है। भविष्य निधि न्यास द्वारा लाभार्थियों को प्रति वर्ष देय न्यूनतम ब्याज सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। ट्रस्ट के संबंधित निवेशों पर रिटर्न और अधिसूचित ब्याज दर के बीच, यदि कोई कमी है, तो उसे पूरा करना कंपनी का दायित्व है।
- (ii) अनुदान: ग्रेच्युटी के प्रति कंपनी का दायित्व है, जो एक परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना है जो पात्र कर्मचारियों को कवर करती है। योजना में निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, रोजगार के दौरान मृत्यु या संबंधित कर्मचारी के वेतन और रोजगार की अवधि के आधार पर एक राशि के रोजगार की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान का प्रावधान है। पांच साल की सेवा के पूरा होने पर निहित होता है। कंपनी बैलेंस शीट की तारीख पर एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा निर्धारित बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अनुदान के प्रति देयता प्रदान करती है।
- (iii) क्षतिपूर्ति युक्त अनुपस्थिति/अवकाश वेतन: कंपनी की नीति के अनुसार, पात्र अवकाश कर्मचारियों द्वारा जमा किए जा सकते हैं और भविष्य की अवधि के लिए आगे बढ़ाए जा सकते हैं या तो सेवा के दौरान उपयोग किए जा सकते हैं, या भुनाए जा सकते हैं। नकदीकरण सेवा के दौरान, सेवानिवृत्ति/जल्दी सेवानिवृत्ति पर, योजना की वापसी पर, इस्तीफे पर और कर्मचारी की मृत्यु पर किया जा सकता है। लाभों का मूल्य वरिष्ठता और कर्मचारी के वेतन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तदनुसार, कंपनी उस अवधि में क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति के लिए एक दायित्व दर्ज करती है जिसमें कर्मचारी सेवाओं को प्रदान करता है जिससे पात्रता में वृद्धि होती है। कंपनी बैलेंस शीट तिथि पर एक स्वतंत्र एकचुअरी द्वारा निर्धारित बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति/अवकाश वेतन के प्रति देयता प्रदान करती है।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



1.18 पट्टे:

(i) जहां कंपनी पट्टाग्राही है

संपत्ति के पट्टे जिसके तहत स्वामित्व के सभी जोखिम और पुरस्कार प्रभावी रूप से पट्टेदार द्वारा बनाए रखे जाते हैं, को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑपरेटिंग पट्टों के तहत लीज भुगतान को लीज अवधि के दौरान स्ट्रेट-लाइन आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ii) जहां कंपनी एक पट्टादाता है

पट्टों जिनमें कंपनी संपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करती है, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टों के अधीन परिसंपत्तियां अचल संपत्तियों में शामिल हैं। लीज आय को लीज अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। मूल्यहास सहित लागत को व्यय के रूप में पहचाना जाता है। प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत जैसे कानूनी लागत, दलाली लागत आदि को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

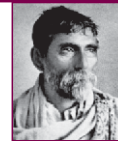
1.19 खंड रिपोर्टिंग:

कंपनी अपने वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए अपनाई गई लेखा नीतियों के अनुरूप अपनी सेगमेंट जानकारी तैयार करती है और कंपनी ने रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक्स और घरेलू उत्पादों जैसे तीन प्राथमिक रिपोर्टिंग सेगमेंट की पहचान की है।

1.20 आय पर कर:

(i) लागू कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके वर्तमान आयकर सहित करों की गणना की जाती है। अतिरिक्त करों के लिए देयता, यदि कोई हो, प्रदान की जाती है / भुगतान किया जाता है जब आकलन पूरा हो जाता है।

(ii) आस्थगित आयकर- समय के अंतर पर कर की गणना उन कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके की जाती है जिन्हें बैलेंस शीट तिथि द्वारा अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर संपत्ति को मान्यता दी जाती है और अनवशेषित मूल्यहास और संचित हानियों के अलावा अन्य मदों के समय के अंतर के लिए आगे बढ़ाया जाता है, जहां तक कि एक उचित निश्चितता है कि संपत्ति को भविष्य में महसूस किया जा सकता है। हालांकि, अगर अनवशेषित मूल्यहास है या घाटे को आगे बढ़ाया गया है तो आस्थगित कर संपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब आभासी निश्चितता हो कि संपत्ति का एहसास करने के लिए पर्याप्त भविष्य में कर योग्य आय उपलब्ध होगी। आस्थगित कर संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में उनकी वसूली के लिए की जाती है।



1.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां:

- (i) **प्रावधान** : एक प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व होता है; यह संभव है कि दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों को इसके वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इन अनुमानों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।
- (ii) **आकस्मिक देयताएं** : एक आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व कंपनी के नियंत्रण से परे एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने की पुष्टि करेगा या एक वर्तमान दायित्व जिसे मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि यह यह संभव नहीं है कि बाध्यता के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। एक आकस्मिक दायित्व भी अत्यंत दुर्लभ मामलों में उत्पन्न होता है जहां एक दायित्व है जिसे मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि इसे मजबूती से नहीं मापा जा सकता है। कंपनी एक आकस्मिक देयता को मान्यता नहीं देती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का खुलासा करती है।
- (iii) **आकस्मिक संपत्तियां** : वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। हालाँकि, आकस्मिक संपत्तियों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और यदि यह वस्तुतः निश्चित है कि आर्थिक लाभों का प्रवाह उत्पन्न होगा, तो संपत्ति और संबंधित आय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिवर्तन होता है।

1.22 पूर्व अवधि एवं प्रीपेड लेनदेन और असाधारण सामग्री:

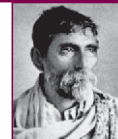
- (i) पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय और प्रीपेड व्यय प्रत्येक मामले में रु. 25,000/- से अधिक नहीं है, को चालू वर्ष की आय/व्यय के रूप में माना जाता है।
- (ii) इस अवधि के शुद्ध लाभ या हानि के हिस्से के रूप में लाभ और हानि खाते के विवरण पर असाधारण वस्तुओं का खुलासा किया गया है। प्रत्येक असाधारण वस्तु की प्रकृति और राशि को अलग-अलग तरीके से लाभ और हानि के विवरण में प्रकट किया गया है। वर्तमान लाभ और हानि पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है।

1.23 संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान:

कंपनी अपने उत्पाद विभिन्न सरकारी विभागों, निजी फर्मों और डीलरों को बेचती है। बैलेंस शीट तिथि के अनुसार, कंपनी ने व्यापार प्राप्तियों की वसूली की समीक्षा की और प्रावधान, यदि आवश्यक हो,



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



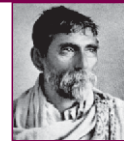
तदनुसार किया जाता है। हालांकि, सरकारी विभागों के अलावा अन्य संस्थाओं से प्राप्य राशियों के संबंध में पूर्ण प्रावधान किया गया है, जो तीन साल से अधिक की अवधि के लिए बकाया हैं।

1.24 प्रति शेयर आय:

मूल आय/(हानि) प्रति शेयर की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों के कारण अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) को विभाजित करके की जाती है। अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को बोनस जारी करने और शेयर विभाजन की घटनाओं के लिए समायोजित किया जाता है। प्रति शेयर अविमिश्रित आय/(हानि) की गणना करने के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों के कारण अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी अविमिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। मिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों को अवधि की शुरुआत के रूप में परिवर्तित माना जाता है, जब तक कि उन्हें बाद की तारीख में जारी नहीं किया गया हो।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



2.0 खतों पर नोट्स

2.1 कंपनी औद्योगिक रसायन, औषधि एवं फॉर्मूलेशन तथा प्रसाधन सामग्री और स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के निर्माण और बिक्री का व्यवसाय करती है।

2.2 भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई निधि और उसका उपयोग:

(क) संयंत्रों के अंश पूंजी और आधुनिकीकरण (मरम्मत और प्रतिस्थापन) के लिए 15,200 लाख रुपये की राशि/ऋण प्रदान किया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपये लाख)

विवरण	राशि
अंश पूंजी[2007-08]	5,500
आधुनिकीकरण के लिए योजना ऋण [2007-08 से 2011-12 और 2014-15]	9,700
कुल	15,200

(ख) वर्ष 2005 से 2015 के दौरान भारत सरकार ने निम्नलिखित ऋण जारी किए हैं:

(रुपये लाख)

ऋण का प्रकार	ब्याज मुक्त ऋण	ब्याज सहित ऋण
योजना ऋण – असुरक्षित	9000.00	--
गैर-योजना ऋण- असुरक्षित	1749.00	--
ब्याज	-	8621.64
कुल	10,749.00	8,621.64

भारत सरकार ने दिनांक 9 सितंबर 2021 के पत्र एफ.सं.53017/08/2017-पीएसयू (भाग) के माध्यम से 19370.64 लाख रुपये (10,749 लाख रुपये एवं 8621.64 लाख रुपये) के सभी ब्याज मुक्त ऋण माफ कर दिए हैं। भारत सरकार द्वारा 10,749 लाख रुपये के अल्पकालिक ऋण और 8621.64 रुपये के ब्याज को आरक्षित और अधिशेष में स्थानांतरित कर दिया गया है।

2.3 वर्ष के अंत में पंजाब नेशनल बैंक/स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास अल्पावधि सावधि जमा 2511.77 लाख रुपये है, जिसमें उपार्जित ब्याज (पिछले वर्ष 776.98 लाख रुपये) शामिल है, जिसमें से 35.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 25.00 लाख) बैंक गारंटी जारी करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ वचनबद्ध है।

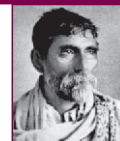
2.4 लेखांकन मानक-15 के तहत कर्मचारी लाभ

(क) (i) कंपनी के पास पीएफ ट्रस्ट द्वारा अनुरक्षित भविष्य निधि खाता है।

(ii) वर्ष के दौरान कंपनी ने लाभ और हानि के विवरण में भविष्य निधि में नियोक्ता के योगदान के रूप में 61.83 लाख रुपये (पिछले वर्ष 61.96 लाख रुपये) लेखंकित किए हैं।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



(iii) वर्ष के दौरान, कंपनी ने लाभ और हानि के विवरण में ईपीएस-95 में नियोक्ता के योगदान के रूप में 22.62 लाख रुपये (पिछले वर्ष 25.11 लाख रुपये) लेखंकित किए हैं।

(ख) परिभाषित लाभ योजना / ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के संबंध में दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में लेखंकित किए गए हैं। वित्तीय विवरण में लेखंकित ऐसे कर्मचारी लाभों का विवरण नीचे दिया गया है: -

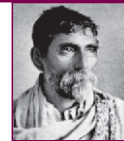
(रुपये में लाख)

क्र.सं.	विवरण	उपहार (गैर वित्त पोषित)		अवकाश नकदीकरण (गैरवित्त पोषित)		अवकाश यात्रा रियायत	
		2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
1	बैलेंस शीट में लेखंकित राशि						
	दायित्वों का वर्तमान मूल्य	583.24	549.68	394.88	362.78	-	-
2	दायित्वों के प्रारंभिक और अंतिम संतुलन का मिलान						
	प्रारंभिक शेष	549.68	681.50	362.78	331.55	-	-
	लाभका भुगतान	96.25	291.01	29.36	89.16	-	-
	बीमांकिक लाभ/(हानि)	33.56	131.82	32.10	(31.23)	-	-
	अंतिम शेष	583.24	549.68	394.88	362.78	-	-
3	लाभ और हानि खाते में लेखंकित व्यय						
	बीमांकिक लाभ/(हानि)	33.56	131.82	32.10	(2.04)	-	-
4	बीमांकिक मान्यताएँ						
	मृत्यु दर तालिका	2012-14	2012-14	2012-14	2012-14	-	-
	सेवानिवृत्ति आयु#	58 वर्ष।	58 वर्ष।	58 वर्ष।	58 वर्ष।	-	-
	संघर्षण दर	7.50% प्रति वर्ष	7.50% प्रति वर्ष	7.50% प्रति वर्ष	7.50% प्रति वर्ष	-	-
	छूट की दर	7.18% प्रति वर्ष	6.79% प्रति वर्ष	6.18% प्रति वर्ष	6.79% प्रति वर्ष	-	-
	मँहगाई दर	7.50% प्रति वर्ष	7.50% प्रति वर्ष	7.50% प्रति वर्ष	7.50% प्रति वर्ष	-	-

बोर्ड स्तरीय निदेशकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



2.5 खंड रिपोर्टिंग- प्राथमिक खंड की जानकारी इस प्रकार है:

(रुपये में लाख में)

वर्ष 2021-22 के लिए खंड रिपोर्टिंग

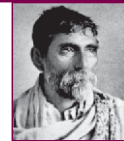
	रसायन		फार्मास्युटिकल्स		कॉस्मेटिक एवं गृह उत्पाद		आवंटित नहीं किए गए		कुल	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
राजस्व										
बाहरी बिक्री	221.98	405.54	2,842.26	2,469.80	3,172.61	3,472.83	-	-	6,236.85	6,348.17
अन्य आय	-	-	-	-	24.22	0.57	943.83	1,037.03	968.05	1,037.60
कुल राजस्व	221.98	405.54	2,842.26	2,469.80	3,196.83	3,473.40	943.83	1,037.03	7,204.90	7,385.77
परिणाम										
खंड परिणाम	83.49	54.57	1,068.98	332.31	1,202.35	467.36	354.98	139.54	2,709.81	993.78
व्याज व्यय	-	-	-	-	-	-	2.95	8.64	2.95	8.64
मूल्यहास	17.47	17.47	480.48	453.49	110.44	116.11	608.39	5.16	614.73	592.23
प्रावधान	-	-	-	-	-	-	1,186.90	(381.31)	1,186.90	(381.31)
असाधारण सामग्री	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कर पूर्व निवल लाभ	66.02	37.10	588.50	(121.18)	1,091.90	351.24	(1,443.26)	507.06	905.23	774.22
असाधारण सामग्री	-	-	-	-	-	-	18.77	-	18.77	-
कर व्यय	-	-	-	-	-	-	176.84	166.00	176.84	166.00
कर के बाद निवल लाभ	66.02	37.10	588.50	(121.18)	1,091.90	351.24	(1,620.10)	341.06	747.16	608.22
अन्य सूचना										
खंड संपत्तियाँ	1,809.40	1,826.88	11,388.17	11,868.64	1,346.44	1,456.89	7,051.46	5,379.53	21,595.47	20,531.94
अचल संपत्तियों में वृद्धि	-	-	6.35	2,261.29	-	-	2.66	-	9.01	2,261.29
खंड देयताएं	523.65	2,250.69	3,295.80	14,622.03	389.67	1,794.86	2,040.73	6,627.52	6,249.84	25,295.10

2.6 वर्ष 2021-22 में सभी छूट और अन्य को समायोजित करने के बाद बिक्री दिखाई गई है।

2.7 लेखा मानक -18 के अनुसार संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण - शून्य।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



2.8 लेखा मानक -19 के अनुसार पट्टों का प्रकटीकरण- पट्टादाता के रूप में ऑपरेटिंग पट्टे:

पट्टा किराया इन विवरणों के संबंधित अनुबंधों में वर्णित किरायों के अनुसार आय के रूप में प्रकटित किया गया है-

(लाख में)

विवरण	2021-22	2020-21
क) अवधि के दौरान आय स्वरूप पट्टा किराया	898.92	974.59
ख) पट्टा किराया(कार्यालय परिसर: -		
सकल वहन राशि	1077.02	1077.02
संचित मूल्यह्रास	371.88	354.86
लाभ-हानि खाते में प्रकटित मूल्यह्रास	17.02	17.02

2.9 कंपनी एक रुग्ण इकाई है और आयकर अधिनियम के तहत वहन की गई हानि और अनअवशोषित मूल्यह्रास की महत्वपूर्ण रकम है। प्रबंधन का मानना है कि निकट भविष्य में इस तरह के नुकसान की भरपाई अधिशेष द्वारा नहीं की जा सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने सावधानीपूर्वक 'आय पर करके लिए लेखांकन' पर लेखामानक-22 के अनुसार वहन की गई हानि और अन अवशोषित मूल्यह्रास के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्ति का प्रकटीकरण नहीं किया है।

2.10 कंपनी माल और सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति के मामले में सीजीएसटी और एसजीएसटी और लागू दरों के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं की अंतरराज्यीय आपूर्ति के मामले में आईजीएसटी वसूल रही है। वर्ष के दौरान परिचालन से प्राप्त राजस्व को जीएसटी का निवल प्रकटीकरण किया गया है। 31 मार्च 2022 को कंपनी के पास 56.30 लाख रुपये (पिछले वर्ष में 26.51 लाख रुपये) का अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट है।

2.11 अहमदाबाद, नागपुर, इंदौर, यमुना नगर और भुवनेश्वर में समाशोधन और अग्रेषण एजेंटों को नियुक्त किया गया है।

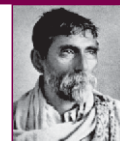
2.12 उन सी एंड एफ एजेंटों के खातों के साथ-साथ सी एंड एफ एजेंटों के खाते, जो वर्ष के दौरान एजेंट नहीं रहे, प्रबंधन द्वारा प्रमाणित खातों में शामिल किए गए हैं।

2.13 वर्ष 2007-08 के दौरान श्री एस.कार, निर्माण प्रबंधक, कानपुर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। इस तरह की धोखाधड़ी का प्रभाव खातों में परिलक्षित नहीं हुआ है क्योंकि मामला विचाराधीन है।

2.14 मौजूदा प्रचलन के अनुसार, 31.03.2022 को तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया ऋण (सरकारी ऋणों के अलावा) के लिए खातों में प्रावधान किया गया है।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



2.15 स्टॉक, कार्य की प्रगति, बिक्री और उपभोग किए गए कच्चे माल का विवरण:

1) तैयार माल और निर्मित वस्तुओं की बिक्री: -

(रुपये लाख में)

माल की श्रेणी	उद्घाटन मूल्य		समापन मूल्य		बिक्री मूल्य	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
केमिकल्स:						
अलम फेरिक	2.42	1.16	0.22	2.42	144.61	324.40
फार्मास्यूटिकल्स:						
यूथेरिया	4.61	0.95	0.81	4.61	84.19	82.94
एक्वा प्योसाइटाइटिस	3.58	0.67	0.76	3.58	66.90	78.20
अन्य	272.55	425.05	197.14	272.55	2581.78	2231.81
प्रसाधन सामग्री और घरेलू उत्पाद:						
केंट हेयर ऑयल	15.52	18.66	20.10	15.52	128.59	149.35
फिनोल	140.30	129.18	133.98	140.30	2263.65	1972.32
नेप्थालीन बॉल	25.68	23.91	47.32	25.68	372.71	320.91
अन्य	107.98	28.09	53.70	107.98	594.42	1188.24
थोक समाप्त	0.00	96.14	115.50	0.00	0.00	0.00
कुल	572.64	723.81	569.52	572.64	6236.85	6348.17

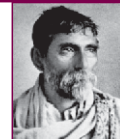
2) प्रगतिशील कार्य:

(रुपये में लाख में)

माल की श्रेणी	प्रारंभिक मूल्य		अंतिम मूल्य	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
फार्मास्यूटिकल्स	04.49	28.96	---	04.49
कॉस्मेटिक एवं गृह उत्पाद	30.79	18.85	---	30.79
कुल	35.28	47.81	---	35.28



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



3) कच्चे और पैकिंग किए गएसामग्री की खपत का विवरण:-

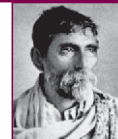
(रुपये में लाख में)

विवरण	2021-22	2020-21
क्रूड ड्रग्स और एक्सट्रेक्ट्स	286.52	179.32
कार्बनिक रसायन और विलायक	574.24	1315.61
अकार्बनिक रसायन और विलायक	152.99	201.61
तेल, सब्जियां और खनिज	989.54	446.39
खनिज पदार्थ	153.83	215.89
पैकिंग सामग्री	733.46	523.75
अन्य	435.41	387.70
कुल	3325.99	3270.26

- 2.16 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को धोखाधड़ी या त्रुटि को रोकने और उसका पता लगाने, संपत्ति की उचित हिरासत और उपयोग और वित्तीय जानकारी तैयार करने के लिए डिज़ाइन और कार्यान्वित किया गया है। वर्ष के दौरान कंपनी पर या कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट की गई है जिसमें प्रबंधन या कर्मचारी शामिल हैं, जिनकी आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसका वित्तीय जानकारी पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।
- 2.17 खाते में शेष, व्यापारप्राप्तियों, अग्रिमों, जमाऔरअन्यचालूसंपत्तियां वित्तीय विवरणों में पुस्तकों एवं कंपनी के रेकार्ड के आधार पर लेखंकित की गई है, तथा उन मामलों में जहाँ खाते की शेष राशि की पुष्टि नहीं हुई है, उनके लिए आवश्यक मूल्य निर्धारण के लिए बोर्ड द्वारा उनकी वास्तविकता एवं दायित्वों के बारे में समीक्षा की गई है।
- 2.18 कंपनी के निदेशक मंडल की राय में, व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य बैलेंस शीट मंर बताए गए मूल्य से कम नहीं है। यह मूल्यांकन अचल संपत्तियों के मामले में लागू नहीं होता है।
- 2.19 वर्ष के दौरान भौतिक सत्यापन द्वारा मूल्यांकन के आधार पर अचल संपत्तियों की कोई हानि नहीं हुई थी। हालांकि, यह पहचानना संभव नहीं है कि क्या पीपीई रजिस्टर में दर्शाई गई सभी संपत्तियां और कंपनी की खातों की पुस्तकों के अनुसार और संपत्ति के अनुसार संपत्तियां हैं। भौतिक सत्यापन विवरण का मिलान किया गया है और वर्ष के अंत में विद्यमान है।
- 2.20 कंपनी के पास "आकस्मिक देनदारियों"(टिप्पणी संख्या 2.22देखें)के तहत उन खुलासे को छोड़कर, दावों, यदि कोई हो, या मांग से संबंधित कोई मुकदमा या कानूनी/विवादित मामला नहीं है, जिसके खिलाफ उसकी वित्तीय स्थिति पर कोई भविष्य प्रभाव पड़ सकता है।
- 2.21 कंपनी को दीर्घकालिक अनुबंधों पर किसी भी भौतिक नुकसान के लिए लागू कानूनों या लेखा मानकों के खिलाफ प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं थी।
- 2.22 हालांकि कंपनी के पास चुकता पूँजी से अधिक घाटा हुआ है, लेकिन गोइंग कन्सर्नकी निरंतरताके लिए कंपनी की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण संदेह नहीं है। प्रबंधन के अनुमानों का उपयोग कंपनी को चालू करने के लिए उपयुक्त माना जाता है और अभी तक कोई भौतिक अनिश्चितता नहीं है जो एक चालू चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता को प्रभावित करेगी। इसे ध्यान में रखते हुए खातों को गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किया गया है।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



2.23 निम्न के संबंध में आकस्मिक देयताएं प्रदान नहीं की गयी:

- उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर और मूल्य वर्धित से संबंधित रु. 195.68लाख (पिछले वर्ष रु.195.68 लाख), रु. 1175.17लाख (पिछले वर्ष रु. 1175.17लाख) और रु.1605.16लाख (पिछले वर्ष रु. 1605.16लाख) की मांग कंपनी द्वारा क्रमशः कर को स्वीकार नहीं किया गया है और संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष अपील की गई है। कंपनी ने अंतिम निर्णय प्राप्त होने तक खातों में इसके लिए प्रावधान नहीं किया है और संबंधित अधिकारियों के पास इस मद में कोई राशि जमा नहीं की गई है।
- मध्यस्थता/अदालतों/एनसीएलटी में लंबित ठेकेदारों/मकान मालिक/कर्मचारियों के दावे: रु. 477.25लाख (गत वर्ष- 546.05 लाख रुपये)
- कंपनी की ओर से उनके द्वारा जारी गारंटी के एवज में बैंक को दी गई काउंटर गारंटी 18.92 लाख रुपये(गत वर्ष- 11.52 लाख रुपये)

2.24 शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि पर निष्पादित की जानी है और इसके लिए प्रदान नहीं की गई है:

पूंजीगत खातों पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और रु.2632.64 लाख (गत वर्ष रु.2,632.64 लाख) प्रदान नहीं की गई है।

2.25 प्रति शेयर मूल और घटी हुई आय इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

	2021-22	2020-21
लाभ और हानि खाते के अनुसार कर पश्चात लाभ	747.16	608.22
भारित औसत संख्या इक्विटी शेयरों की (संख्या में)	769604	769604
प्रति शेयर मूल और पतला आय (रुपये में)	97.08	79.03

2.26 लघु उद्योग उपक्रमों के नाम, जिन पर कंपनी का बकाया है, जो तुलन पत्र की तारीख में 45 दिनों से अधिक समय से बकाया हैं, नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	पार्टी का नाम	क्र.सं.	पार्टी का नाम
शून्य			

2.27 वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न प्रावधानों के संचलन नीचे दिए गए हैं:-

(रुपये लाख में)

विवरण: का प्रावधान -	प्रारंभिक जमा	परिवर्धन	उपयोग/ वापस लिखना	जमा शेष
उपहार	549.68	33.56	-	583.24
छुट्टी वेतन	362.78	32.10	-	394.88
अवकाश यात्रा रियायत				
संदिग्ध ऋण	54.04	60.01	-	114.05
संदिग्ध अग्रिम	327.27	1.66	-	328.93
कुल	1393.77			1421.10
पगत वर्ष	1292.90	132.69	131.82	1293.77

2.28 कोविड-19 का प्रभाव (भारत के सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी आईसीएआई लेखा और लेखापरीक्षा सलाहकारके अनुसार)

कोविड-19 ने भारत सहित कई देशों में व्यावसायिक गतिविधियों में भारी व्यवधान पैदा किया है। आंतरिक और बाहरी स्रोतों से हमारे वर्तमान आकलन के आधार पर, यह स्थिति कुछ और महीनों तक जारी रहने की संभावना है। कंपनी, आवश्यक दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के व्यवसाय होने के नाते गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-आई (ए) दिनांक 15 अप्रैल, 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन अवधि की शुरुआत के बाद से दवाएं, निस्संक्रामक आदि सामान्य रूप से काम कर रही हैं।

वर्तमान महामारी के कारण पैदा हुई अनिश्चितता के परिणाम स्वरूप हाथ में आदेशोंको निष्पादित करने में कुछ देरी हो सकती है और कुछ कच्चे माल के घटकों की सोर्सिंग में कुछ देरी हो सकती है। कंपनी ने अगले 12 महीनों के लिए अपनी तरलता की स्थिति, वसूली और संपत्ति, संयंत्र और मशीनरी, व्यापार प्राप्त्य, निवेश और इन्वेंट्री सहित अपनी परिसंपत्तियों की वसूली और वहनमूल्य का आकलन किया है। इस आकलन और भविष्य की आर्थिक गतिविधियों के वर्तमान संकेतकों के आधार पर, वर्ष 2021-22 के वित्तीय परिणामों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने के लिए तुलन पत्र की तारीख पर कोई भौतिक समायोजन आवश्यक नहीं माना जाता है।

प्रबंधन ने वर्ष 2021-22 के लिए अपने वित्तीय विवरण तैयार करने में कोविड-19 से उत्पन्न होने वाली घटनाओं के सभी संभावित प्रभावों पर विचार किया है। भविष्य की आर्थिक स्थितियों में होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन को निर्धारित करने के लिए कंपनी निरंतर आधार पर स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है।

2.29 अनुसूची III द्वारा आवश्यक अतिरिक्त नियामक सूचना

i) अचल संपत्ति के शीर्षक विलेख।

अचल संपत्तियों के टाइटल डीड सत्यापन के लिए लेखा परीक्षकों के समक्ष रखे गए थे। तैयार किए गए विलेखों की सूची के अनुसार सभी 42 विलेखों में से एक विलेख सत्यापित नहीं किया जा सका। साथ ही कुछ मूल विलेख लेखापरीक्षकों के समक्ष नहीं रखे गए थे।

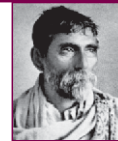
साथ ही लेखापरीक्षकों के समक्ष रखे गए भूमि के विवरण के अनुसार, जिसमें उपरोक्त भूमि पार्सल शामिल हैं, भूमि का कुल खरीद मूल्य 10.65 लाख रुपये आता है। कंपनी की पुस्तकों के अनुसार राष्ट्रीयकरण के बाद संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में बताई गई भूमि का मूल्य 188.29 लाख रुपये है। इस तरह के बदलाव के कारणों की जांच की जा रही है। कार्यों के संबंध में चूंकि ये बहुत पुराने हैं और इनमें से एक की तलाश की जानी बाकी है और उचित प्रक्रिया के बाद रिकॉर्ड में रखा जाएगा।

ii) जहां कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन किया है, कंपनी यह बताएगी कि क्या मूल्यांकन कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित है।

कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

iii) ऋण की प्रकृति के ऋण और अग्रिम प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों (जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित किया गया है) को अलग-अलग और संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ दिया जाता है।

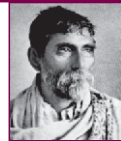
कंपनी ने प्रमोटर, निदेशक, केएमपी और संबंधित पक्षों (जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित किया गया है) को अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से दिए गए ऋणों की प्रकृति में कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिया है।



- iv) धारित बेनामी संपत्ति का विवरण:
कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है
- v) जहां कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से उधार लिया है, वह निम्नलिखित का खुलासा करेगी:
चालू परिसंपत्तियों पर सुरक्षित किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से कोई उधार नहीं है।
- vi) विलफुल डिफॉल्टर
जहां कोई कंपनी किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा घोषित विलफुल डिफॉल्टर है, वहां निम्नलिखित विवरण दिया जाएगा:
कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।
- vii) बंद कंपनियों से संबंध :
कंपनी अधिनियम 2013 या 1956 के तहत प्रभावित कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेनदेन नहीं है।
- viii) कंपनियों की परतों की संख्या का अनुपालन।
यह खंड इस कंपनी के मामले में लागू नहीं है।
- ix) व्यवस्थाओं की अनुमोदित योजना(ओं) का अनुपालन
कंपनी ने व्यवस्था की ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है जिसका चालू और पिछले वित्तीय वर्ष पर लेखांकन प्रभाव हो।
- x) ऋण और शेयर प्रीमियम का उपयोग:
कंपनी ने विदेशी इकाई (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति या इकाई को इस समझ के साथ धन का अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ: (क) कंपनी (अंतिमलाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से प्रकार से चिह्नित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या (ख) सुरक्षा या उसी प्रकार का या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी प्रदान करेगा।
कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टों) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (ओं) से कोई फंड (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) प्राप्त नहीं हुआ है, कंपनी:
(1) फंडिंग पार्टों (अंतिम लाभार्थी) या की ओर से किसी भी प्रकार से चिह्नित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करें या
(2) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की अन्य सुविधाएं प्रदान करें।
- xi) अघोषित आय
कंपनी के पास कोई भी लेनदेन नहीं है जो उन खातों की किताबों में दर्ज नहीं हैं, जिन्हें आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया है (जैसे आयकर अधिनियम 1961 के खोज या सर्वेक्षण या किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान)।
- xii) क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण
कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



2.30 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में किए गए हालिया संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के अनुरूप, जहां आवश्यक समझा गया, पुनः समूहित और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

2.31 निम्नलिखित अनुपातों का उल्लेख नीचे दिया गया है, जो खातों की टिप्पणियों के साथ संलग्न हैं:

- (1) वर्तमान अनुपात,
- (2) ऋण इक्विटी अनुपात,
- (3) अनुबंध के अनुसार ऋण सेवा कवरेज अनुपात
- (4) इक्विटी अनुपात से लाभ,
- (5) इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात,
- (6) व्यापार प्राप्त्य कारोबार अनुपात,
- (7) व्यापार देय कारोबार अनुपात,
- (8) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात,
- (9) शुद्ध लाभ अनुपात,
- (10) नियोजित पूंजी पर लाभ,
- (11) निवेश का प्रतिफल।

संलग्नक के अनुसार

2.32 कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए कोई लाभंश प्रस्तावित नहीं किया है और इसलिए आगामी वार्षिक आम बैठक में इसके अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 1
खातों पर नोट्स 2

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न
एसके मलिक एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन:324892ई

निदेशक मंडल की ओर से तथा उनके लिए

ह/ -
(दिब्येंदु बॅनर्जी)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 052218

ह/ -
(नीरजा सराफ)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06901973

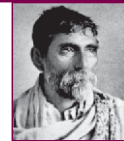
ह/ -
(प्रवीन कुमार)
अंशकालिक कार्यालयीन निदेशक
डीआईएन: 08764769

स्थान: कोलकाता
दिनांक : 21/07/2022

ह/ -
(एन रॉय प्रमाणिक)
विभागाध्यक्ष वित्त



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाले नोट्स

नोट 3 : शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
i	अधिकृत शेयर पूंजी 1000/- प्रत्येक के 800000 इक्विटी शेयर	8000.00	8000.00
ii	इश्यू, सब्सक्राइड और पेड-अप शेयर पूंजी शेयर होल्डिंग पैटर्न और विवरण शेयरधारक % होल्डिंग शेयरों की संख्या 769604 रुपये का इक्विटी शेयर। 1,000/- प्रत्येक पूर्ण भुगतान (उपर्युक्त 50,204 शेयरों में से पूर्ण चुकता के रूप में आवंटित भारत सरकार के एक निर्देश के अनुसार पत्र संख्या एल31(2)/81-डीवी दिनांक 26.03.1982 जिसके लिए, भुगतान नकद के अलावा अन्यथा प्राप्त हुआ था)	7696.04	7696.04
	कुल शेयर पूंजी	7696.04	7696.04

नोट 3.1 : बकाया शेयरों की संख्या का मिलान नीचे दिया गया है:

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
i	साल की शुरुआत में इक्विटी शेयर जोड़ें: चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	769604 -	769604 -
	साल के अंत में इक्विटी शेयर	769604	769604

नोट 3.2 : कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

नोट 3.3 : वर्ष के दौरान शेयरों का कोई नया निर्गम या पुनर्खरीद नहीं है।

नोट 3.4 : कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

नोट 3.5 : वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या में कोई बदलाव नहीं है।

नोट 3.6 : वर्ष के दौरान शेयरधारिता के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह पिछले वर्ष के समान ही है।

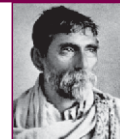
नोट 4 : आरक्षण और अधिशेष

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
i	प्रारंभिक जमा	(12459.20)	(13067.42)
ii	जोड़ें: - पूंजी रिजर्व	19370.64	0.00
iii	जोड़ें:- वर्ष के लिए लाभ	747.16	608.22
	कुल	7658.60	(12459.20)



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



नोट 4.1

भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 09/09/2021 के संदर्भ में अर्जित ब्याज सहित संपूर्ण ऋण रु. इस कंपनी की 20.55 एकड़ जमीन पानीहाटी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईपीईआर) को ट्रांसफर करने के एवज में 193.71 लाख रुपये माफ किए गए हैं। रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान ऋण की पूरी राशि पूंजी आरक्षित खाते में स्थानांतरित कर दी गई है, हालांकि भूमि अभी भी एनआईपीईआर को हस्तांतरित की जानी है।

नोट 5 : दीर्घावधि उधार

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
i	सावधि ऋण (असुरक्षित)		
ii	भारत सरकार - (क) योजना ऋण	-	9000.00
iii	भारत सरकार - योजना ऋण पर अर्जित ब्याज	-	5308.25
iv	भारत सरकार - (ख) गैर योजना ऋण	-	1749.00
	भारत सरकार पर उपाजित ब्याज - गैर योजना ऋण	-	3313.39
	कुल	-	19370.64

नोट 6 : व्यापार देय

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
i	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	0.00	0.00
ii	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि	2104.05	1684.77
	कुल [i + ii]	2104.05	1684.77

नोट 6.1: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों की परिभाषा के तहत अर्हता प्राप्त करने वाले आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करने के लिए कदम उठाए गए हैं। चूंकि आपूर्तिकर्ताओं से उनकी स्थिति के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उक्त अधिनियम 31 मार्च 2021 तक, वर्ष के अंत में भुगतान न की गई राशि से संबंधित प्रकटीकरण, यदि कोई हो, प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रबंधन की राय में, ब्याज का प्रभाव, यदि कोई हो, जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय हो सकता है, के महत्वपूर्ण होने की उम्मीद नहीं है।

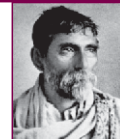
उप नोट 6 (i) व्यापार देय एजिंग कार्यक्रम: 31 मार्च, 2022 तक

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:				
		एक वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	कुल
(i)	एमएसएमई	-	-	-	-	-
(ii)	अन्य	1,337.98	49.70	-	34.55	1,422.22
(iii)	परियोजना	-	-	-	681.83	681.83
(iv)	विवादित बकाया- एमएसएमई					
(v)	विवादित बकाया - अन्य					
	कुल	1,337.98	49.70	-	716.38	2,104.05



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



उप नोट 6 (ii) व्यापार देय एजिंग कार्यक्रम: 31 मार्च, 2021 तक

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:				
		एक वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	कुल
(i)	एमएसएमई	-	-	-	-	-
(ii)	अन्य	752.71	19.13	98.21	24.19	894.24
(iii)	परियोजना	-	-	-	790.53	790.53
(iv)	विवादित बकाया- एमएसएमई					
(v)	विवादित बकाया - अन्य					
	कुल	752.71	19.13	98.21	814.72	1,684.77

नोट 7 : अन्य वर्तमान देयताएं

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
(i)	सांविधिक बकाया:		
	वैधानिक दायित्व	1782.42	1776.74
	व्यय के लिए दायित्व	251.30	192.18
	प्रावधान/अनुदान पर अर्जित ब्याज	64.25	64.25
	वेतन बकाया प्रावधान/सरकारी अनुदान	-	71.48
	जमा वापसी योग्य	260.54	341.10
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए प्रावधान	10.30	0.00
(ii)	अन्य बकाया:		
	ब्याज उपार्जित लेकिन उधार पर देय नहीं	-	9.09
	सुरक्षा जमा CNF पर उपार्जित ब्याज	7.50	15.02
	किरायेदारों से जमा	479.64	462.23
	कर्मचारियों और अन्य को देय	20.40	90.56
	कर्मचारी लाभ-दीर्घावधि के लिए प्रावधान	897.29	841.15
	कुल [मैं + द्वितीय]	3773.64	3863.80

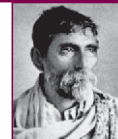
उप-टिप्पणी 7.1 : बकाया देयताएं

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
(i)	वैधानिक दायित्व		
	आयकर-ठेकेदार	2.73	1.00
	टीसीएस	(0.34)	0.11
	टीडीएस सीजीएसटी	4.21	1.31
	टीडीएस एसजीएसटी	4.21	1.31
	टीडीएस आईजीएसटी	5.52	4.73
	जीएसटी देय आरसीएम	3.01	2.04
	वृत्ति कर	0.65	0.59
	आयुक्त पीएफ/पेंशन योजना	-	2.34
	आयुक्त ईएसआई	1.55	1.55
	सैलरी से काटा इनकम टैक्स	3.12	3.99
	संपत्ति कर देय	1757.77	1757.77
	कुल (I)	1782.42	1776.74



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



(ii)	कर्मचारियों और अन्य को देय		
	बीसीपीएल समबाया समिति मानिकतला	4.78	39.21
	बीसीपीएल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी पानीहाटी	2.40	18.37
	बीसीपीएल सहकारी स्टोर पानीहाटी	-	(0.03)
	रसायन सहकारी क्रेडिट सोसायटी	-	7.15
	बंगाल केमिकल क्लब	0.91	0.62
	अवैतनिक वेतन	0.16	0.34
	अवैतनिक यात्रा बिल	0.00	0.55
	बीमा दावा सस्पेंस	0.00	4.38
	कर्मचारियों की बकाया राशि	12.15	14.06
	बीसीपीएल ट्रस्टी भविष्य निधि	-	4.36
	कर्मचारियों को भुगतान किया गया और उनसे वसूल किया गया पीएफ ऋण	-	0.84
	कर्मचारियों से वसूले गए पीएफ लोन पर ब्याज	-	0.70
	कुल (II)	20.39	90.55
(iii)	जमा वापसी योग्य		
	सुरक्षा जमा वापसी योग्य अन्य	114.37	130.58
	सुरक्षा जमा वापसी योग्य □□□	146.18	126.18
	अन्य जमा वापसी योग्य-संपत्ति कर	-	17.46
	ग्राहकों से जमा	-	8.19
	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	-	58.69
	कुल (III)	260.54	341.10
(iv)	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान-दीर्घावधि		
	ग्रेच्युटी का प्रावधान	524.98	502.14
	अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	372.31	339.02
	कुल (IV)	897.29	841.16

नोट 7.2 :

कंपनी को सलाह दी गई है कि उसकी संपत्ति पर स्थानीय सरकार द्वारा कोई नगरपालिका कर नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (BCPL) के पूरे 100% शेयर भारत के माननीय राष्ट्रपति के पास हैं, क्योंकि यह भारत संघ के स्वामित्व में है। नतीजतन, भारत के राष्ट्रपति बीसीपीएल की सभी संपत्तियों और संपत्तियों के मालिक हैं। चूंकि उक्त संपत्तियों का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास निहित है और उसी के मद्देनजर, भारत के संविधान का अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट की अनुमति देता है। इसी तरह बीसीपीएल की पूरी संपत्ति राज्य के कराधान से संघ की संपत्ति की छूट की हकदार है। बंबई उच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ के समक्ष बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा भरी गई एक रिट याचिका के संदर्भ में एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिससे नगर निगम, मुंबई और अन्य को कुछ मांग के आधार पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने पर रोक लगा दी गई थी (राज्य द्वारा नगर कर) नगर आयुक्त द्वारा उठाया गया। ऊपर दिए गए कारणों के आधार पर संपत्ति कर के लिए प्रावधान रुपये की राशि से नहीं बनाया गया है। 87.28 लाख,

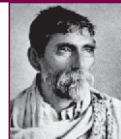
नोट 8 : अल्पावधि प्रावधान

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
(मैं)	आयकर के लिए प्रावधान		
	इनकम टैक्स निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए प्रावधान	0.00	138.58
	आयकर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए प्रावधान	0.00	166.00
	इनकम टैक्स निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए प्रावधान	165.42	0.00
(द्वितीय)	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
	ग्रेच्युटी का प्रावधान	60.97	47.54
	अवकाश यात्रा रियायत का प्रावधान	31.71	23.76
(तृतीय)	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	114.05	54.04
	कुल [मैं + II]	372.15	429.92



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



नोट 9 ए :- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण 31 मार्च, 2022 तक
(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार)

संपत्ति का विवरण	सकल ब्लॉक		संचित मूल्यहास			नेट ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार	परिवर्धन कटौती	कुल	01 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार	साल के लिए कटौती	31 मार्च, 2022 31 मार्च, 2021 तक	तक
मूर्त संपत्ति							
1 भूमि	188.29	0.00	188.29	0.00	0.00	188.29	188.29
2 भवन निर्माण	7050.73	0.00	7050.73	1631.42	217.14	1848.56	5419.31
3 बिल्डिंग गैर निर्माण	259.43	0.00	259.43	69.41	4.09	73.50	185.93
4 कार्यालय की इमारत	1707.21	0.00	1707.21	470.76	26.99	497.75	1209.46
5 रासायनिक मशीनरी	1177.76	0.00	1177.76	946.89	35.43	982.32	195.44
6 सामान्य मशीनरी	5355.64	6.06	5361.70	1747.64	309.78	2057.42	3304.28
7 सतत प्रक्रिया मशीनरी	89.14	0.00	89.14	87.29	0.00	87.29	1.85
8 फोर्क लिफ्ट्स	24.55	0.00	24.55	23.21	0.00	23.21	1.34
9 संगणक	104.02	1.30	105.32	103.11	0.45	103.56	1.76
10 एयरकंडीशनिंग / रेफ्रिजरेशन	84.48	0.19	84.67	65.11	3.21	68.32	16.35
11 अग्निशमन उपकरण	5.35	0.00	5.35	2.09	0.27	2.36	2.99
12 फर्नीचर फिटिंग	216.32	1.46	217.78	126.86	14.51	141.37	76.41
13 मशीन और उपकरण	43.40	0.00	43.40	37.38	1.99	39.37	4.03
14 पुस्तकालय पुस्तकें	4.49	0.00	4.49	4.27	0.00	4.27	0.22
15 प्रयोगशाला	15.78	0.00	15.78	13.90	0.44	14.34	1.44
16 मुद्रण उपकरण	6.89	0.00	6.89	6.11	0.43	6.54	0.35
	16333.48	9.01	16342.50	5335.46	614.72	5950.18	10392.32
अमूर्त संपत्ति							
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	16333.48	9.01	16342.50	5335.46	614.72	5950.18	10392.32
पिछले साल के आकड़े	14072.19	2263.71	16333.48	4743.79	592.23	5335.46	10998.02
							9328.40

लेखापरीक्षकों के समक्ष रुपये मूल्य की भूमि का हक विलेख प्रस्तुत करना संभव नहीं हो सका है। अनुसूची संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में बताए अनुसार 188.29 लाख।

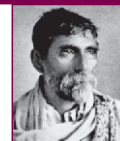
नोट 9बी :- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण 31 मार्च, 2021 तक

31.03.2021 को अचल संपत्ति और मूल्यह्रास

विवरण	सकल ब्लॉक			मूल्यह्रास				नेट ब्लॉक	
	पर जैसा 01-04-2020	परिवर्धन साल के दौरान	विक्री/ समायोजन	पर जैसा 31.03.21	पर जैसा 01-04-2020	साल के लिए	समायोजन विक्री के लिए	पर जैसा 31.03.21	पर जैसा 31.03.20
1 भूमि :	188.29			188.29	-			188.29	188.29
2 भवन निर्माण :	6,933.24	117.50		7,050.74	1,413.09	218.34		1,631.43	5,520.15
3 बिल्डिंग गैर-निर्माण :	259.43			259.43	65.32	4.09		69.41	194.11
4 कार्यालय की इमारत :	1,707.21			1,707.21	443.77	26.99		470.76	1,263.44
5 रासायनिक मशीनरी :	1,177.76			1,177.76	911.46	35.43		946.89	266.30
6 सामान्य मशीनरी :	3,209.43	2,146.21		5,355.64	1,467.21	280.44		1,747.65	1,742.22
7 समकालिक प्रक्रिया मशीनरी :	89.14			89.14	83.09	4.19		87.28	6.05
8 फोर्क लिफ्ट्स :	24.55			24.55	23.21			23.21	1.34
9 संगणक :	106.09		2.07	104.02	103.17	0.54	0.60	103.11	2.92
10 एयरकंडिशनिंग / रेफ्रिजरेशन :	84.48			84.48	61.31	3.80		65.11	23.17
11 अग्निशमन उपकरण :	5.35			5.35	1.86	0.23		2.09	3.49
12 फर्नीचर और जुड़नार :	216.32			216.32	111.05	15.81		126.86	105.27
13 मशीन और उपकरण :	43.40			43.40	35.38	2.00		37.38	8.02
14 लाइव स्टॉक :	0.35		0.35	-	-			-	0.35
15 पुस्तकालय पुस्तकें :	4.49			4.49	4.27			4.27	0.21
16 प्रयोगशाला :	15.78			15.78	13.49	0.41		13.90	2.29
17 मुद्रण उपकरण :	6.89			6.89	6.11			6.11	0.78
कुल	14,072.19	2,263.71	2.42	16,333.48	4,743.79	592.23	0.60	5,335.46	9,328.40



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



नोट 10 : कैपिटल-वर्क-इन प्रोग्रेस (सीडब्ल्यूआईपी) / विकास के तहत अमूर्त संपत्ति (आईटीएयूडी)

(रु. लाख में)

	सीडब्ल्यूआईपी/आईटीएयूडी	की अवधि के लिए CWIP में राशि			
		1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	कुल
	परियोजनाएं प्रगति पर हैं	-	-	2527.31	2527.31
(1)	कानपुर यूनिट-टैबलेट सेक में।			1424.05	1424.05
(2)	क) मानिकतला इकाई में - लिक्विड ब्लॉक			386.23	386.23
	ख) मानिकतला यूनिट में - एसवीएस			154.41	154.41
	ग) मानिकतला इकाई में - मलहम			82.16	82.16
	घ) मानिकतला इकाई - सेफा ब्लॉक में			375.20	375.20
(3)	पनिहाटी यूनिट में - पी एंड एम			105.26	105.26
	परियोजनाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया	-	-	-	-

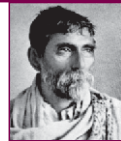
iv) पूंजी-कार्यशील (सीडब्ल्यूआईपी)/आईटीएयूडी जिसका समापन अतिदेय है

(लाख रुपये में)

	सीडब्ल्यूआईपी/आईटीएयूडी	में पूरा किया जाना है		
		1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक
	परियोजनाएं प्रगति पर हैं	-	-	2,527.31
		-	-	-
(1)	कानपुर यूनिट-टैबलेट सेक में			1424.05
(2)	क) मानिकतला इकाई में - लिक्विड ब्लॉक			386.23
	बी) मानिकतला यूनिट में - एसवीएस			154.41
	ग) मानिकतला इकाई में - मलहम			82.16
	घ) मानिकतला इकाई - सेफा ब्लॉक में			375.20
(3)	पनिहाटी यूनिट में - पी एंड एम			105.26



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



नोट 11 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
(i)	सुरक्षा जमा राशि		
	क) असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
	जमानत राशि वसूली योग्य	243.26	243.41
	कुल	243.26	243.41

नोट 12 : माल*

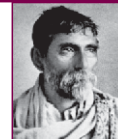
(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
1	तैयार माल	569.52	572.64
2	अर्द्ध - निर्मित सामान	0.00	35.28
3	कच्चा माल	451.82	445.37
4	स्टोर और पैकिंग	419.80	390.38
	* कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित		
	कुल	1441.14	1443.67

नोट 13 : प्राप्त व्यापार

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
(i)	छह महीने से अधिक समय से बकाया		
	क) सुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
	ख) असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	1343.51	2175.52
	ग) संदिग्ध	114.05	54.04
(ii)	अन्य (छह महीने से कम)		
	क) सुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
	ख) असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	1253.71	709.60
	ग) संदिग्ध		
	कुल	2711.27	2939.16



उप नोट 13 (i) 31 मार्च, 2022 को व्यापार प्रारितियों की उम्र बढ़ने की अनुसूची

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:				
		6 महीने से कम	6 महीने -1 साल	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक
(i)	निर्विवाद व्यापार प्राप्त्य-अच्छा माना जाता है	1,253.71	201.50	178.24	138.09	825.68
(ii)	अविवादित व्यापार प्राप्त्य-संदिग्ध माने गए					114.05
(iii)	विवादित व्यापार प्राप्त्य अच्छा माना जाता है					-
(iv)	विवादित व्यापार प्रारितियों को संदिग्ध माना जाता है					-
कुल						2711.27

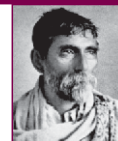
उप नोट 13 (ii) 31 मार्च, 2021 को व्यापार प्रारितियों की उम्र बढ़ने की अनुसूची

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:				
		6 महीने से कम	6 महीने -1 साल	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक
(i)	निर्विवाद व्यापार प्राप्त्य-अच्छा माना जाता है	709.60	543.91	189.98	778.70	662.93
(ii)	अविवादित व्यापार प्राप्त्य-संदिग्ध माने गए					54.04
(iii)	विवादित व्यापार प्राप्त्य अच्छा माना जाता है					-
(iv)	विवादित व्यापार प्रारितियों को संदिग्ध माना जाता है					-
कुल						2939.16



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



नोट 14 : नकद और बैंक शेष

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
(i)	नगद और नगद उपकरण हाथ में पैसे	1.29	0.35
	उप कुल (I)	1.29	0.35
(ii)	बैंक शेष - चालू खाते		
	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिडलटन रो	10.76	1.95
	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया चालू खाता	0.09	0.01
	आईसीआईसीआई बैंक	1.50	0.23
	भारतीय स्टेट बैंक सी/एल बाहरी	0.00	0.10
	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंप्रेस्ट मुंबई शाखा	0.74	0.74
	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया संग्रह खाता	196.36	79.18
	भारतीय स्टेट बैंक की डलहौजी शाखा	23.55	1.13
	भारतीय स्टेट बैंक बागमारी शाखा	1.83	43.17
	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया नागपुर शाखा	3.14	1.18
	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कोलकाता मुख्य शाखा	266.48	193.23
	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया देशप्रियो पार्क शाखा	150.45	60.84
	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया खुदरा संग्रह	1.81	3.83
	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया निर्यात	0.04	0.00
	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मानिकतला	0.01	0.01
	उप कुल (II)	656.77	385.59
(iii)	सावधि जमा में शेष राशि	2511.77	776.98
	कुल [I + II + III]	3169.83	1162.92

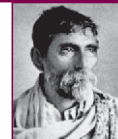
नोट 15 : अल्पावधि ऋण और अग्रिम

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
1	आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	101.92	171.07
2	कर्मचारियों से वसूली योग्य अग्रिम	6.74	2.44
3	सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों से आयकर कटौती योग्य	0.00	1.66
4	प्रीपेड खर्चे	0.55	1.57
5	अप्रयुक्त इनपुट जीएसटी	56.30	26.51
6	किराया और अन्य प्राप्त	1,081.63	993.23
7	आयकर और अन्य जमा	201.12	402.27
8	संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	(328.93)	(327.27)
	कुल	1119.35	1271.48



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



उप नोट 15.1 : अप्रयुक्त इनपुट जीएसटी

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
1	इनपुट आईजीएसटी	144.76	121.14
2	इनपुट एसजीएसटी	62.46	37.90
3	इनपुट सीजीएसटी	60.52	40.53
4	इनपुट टीडीएस सीजीएसटी	0.52	0.37
5	इनपुट टीडीएस एसजीएसटी	0.52	0.37
6	इनपुट टीडीएस आईजीएसटी	4.69	3.62
7	इनपुट कैश आईजीएसटी	5.53	4.25
8	इनपुट कैश एसजीएसटी	1.89	0.46
9	इनपुट कैश सीजीएसटी	2.46	0.96
10	जीएसटी अग्रिम	0.00	2.78
11	आउटपुट आईजीएसटी	(106.88)	(70.46)
12	आउटपुट सीजीएसटी	(61.83)	(58.36)
13	आउटपुट एसजीएसटी	(61.83)	(58.36)
14	जीएसटी प्राप्त रिवर्स चार्ज	3.48	1.31
	कुल	56.30	26.51

उप नोट 15.2: कर्मचारियों को अग्रिम

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
1	व्यय के लिए अग्रिम	0.80	2.58
2	यात्रा के लिए अग्रिम	0.10	0.23
3	वेतन के विरुद्ध अग्रिम	5.84	(0.38)
4	एलटीसी के लिए अग्रिम	0.00	0.01
	कुल	6.74	2.44

उप नोट 15.3: किराया और अन्य प्राप्त

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
1	दूसरों से प्राप्त दावा	42.41	41.52
2	किरायेदारों से प्राप्त किराया	889.97	756.42
3	किरायेदारों से प्राप्त संपत्ति कर	0.00	27.27
4	किरायेदारों से प्राप्त बिजली शुल्क	124.23	119.81
5	दावा प्राप्त - आवक	25.02	48.21
	कुल	1081.63	993.23

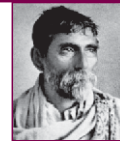
उप नोट 15.4: आयकर और अन्य जमा

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
1	आयकर अग्रिम निर्धारण वर्ष 2020-21	0.00	150.00
2	आयकर अग्रिम निर्धारण वर्ष 2022-23	20.00	0.00
3	स्रोत किरायेदारों पर आयकर कटौती	156.49	184.07
4	स्रोत पर आयकर कटौती अन्य	24.09	24.09
5	पार्टी ने लगाया टीसीएस	0.42	0.00
6	एसईडी अग्रिम	0.11	0.11
7	किरायेदारों से प्राप्त सेवा कर	0.00	7.86
8	किरायेदारों से प्राप्त सेवा शुल्क	0.00	0.58
9	किरायेदारों से प्राप्त जीएसटी	0.00	35.56
	कुल	201.12	402.27



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



लाभ और हानि के विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

नोट 16 : संचालन से राजस्व

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	2021-22	2020-21
1	उत्पादों की बिक्री (उप नोट 16.1 देखें) बिक्री माल और सेवा कर (जीएसटी) का शुद्ध है	6236.85	6348.17
	कुल	6236.85	6348.17

उप नोट 16.1 उत्पादों की बिक्री

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	2021-22	2020-21
1	बिक्री - तैयार माल	6236.85	6348.17
	कुल	6236.85	6348.17

नोट 17 : अन्य आय

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	2021-22	2020-21
i	ब्याज आय बैंक जमा पर	36.38	23.01
ii	अन्य गैर परिचालन आय संपत्तियों से किराया अन्य आय	898.92 32.75	975.17 39.43
	कुल [i + ii]	968.05	1037.61

नोट 18 : उपभोग की गई सामग्री की लागत

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	2021-22	2020-21
	खपत सामग्री की लागत: (उप नोट 18.1 देखें)	3325.99	3270.26
	कुल	3325.99	3270.26

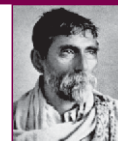
उप नोट 18.1 उपभोग की गई सामग्री की लागत

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	2021-22	2020-21
i	कच्चे माल की खपत आरंभिक स्टॉक जोड़े :- वर्ष के दौरान खरीद	445.37 2756.10	470.41 2393.30
	कम :- आखरी बचा हुआ माल	3201.47 451.82	2863.71 445.37
		2749.65	2418.34
ii	स्टोर और पुर्जो/पैकिंग सामग्री की खपत आरंभिक स्टॉक जोड़े :- वर्ष के दौरान खरीद	354.65 617.19	385.57 821.00
	कम :- आखरी बचा हुआ माल	971.84 395.50	1206.57 354.65
		576.34	851.92
	कुल [i + ii]	3325.99	3270.26



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



नोट 19 : मालसूची में परिवर्तन

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	2021-22	2020-21
i	तैयार माल की सूची में परिवर्तन आरंभिक स्टॉक आखरी बचा हुआ माल	572.64 569.52	723.81 572.64
	उप कुल (i)	3.12	151.17
ii	कार्य-प्रगति की सूची में परिवर्तन आरंभिक स्टॉक आखरी बचा हुआ माल	35.28 0.00	47.81 35.28
	उप कुल (ii)	35.28	12.53
	कुल [i + ii]	38.40	163.70

नोट 20 : रोजगार लाभ व्यय

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	2021-22	2020-21
1	वेतन & मजदूरी	903.79	920.14
2	वीआरएस/वेतन बकाया	0.00	90.58
3	पीएफ और अन्य निधियों के लिए योगदान	84.35	93.34
4	कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ	135.14	154.87
5	कर्मचारी कल्याण व्यय	7.42	60.28
6	प्रावधान/अनुदान का उपयोग किया गया	0.00	(90.58)
	कुल	1130.70	1228.63

उप नोट 20.1 वेतन और मजदूरी

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	2021-22	2020-21
1	मूल वेतन	245.53	244.93
2	महंगाई भत्ता	407.49	418.18
3	नगर प्रतिपूरक भत्ता	0.00	1.15
4	मकान किराया भत्ता	66.00	66.90
5	निर्वाह भत्ता	0.00	0.61
6	अन्य भत्ता	21.82	20.62
7	समेकित वेतन	18.15	17.32
8	संविदा कर्मचारी मजदूरी	85.45	81.30
9	अधिक समय तक	0.94	2.02
10	अनुलाभ	53.27	55.79
11	बक्शीश	0.68	1.31
12	चिकित्सा व्यय	0.00	0.02
13	यात्रा रियायत छोड़ें	0.00	0.33
14	प्रशिक्षण खर्च	4.46	9.66
	कुल	903.79	920.14

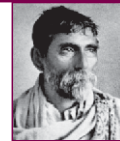
उप नोट 20.2 रोजगार भविष्य निधि

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	2021-22	2020-21
1	पीएफ और अन्य निधियों के लिए योगदान	84.35	93.28
2	सामूहिक बीमा	0.00	0.06
	कुल	84.35	93.34



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (भारत सरकार का उद्यम)



उप नोट 20.3 कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	2021-22	2020-21
1	लीव इनकैंशमेंट का भुगतान किया गया	21.13	64.61
2	ग्रेज्युटी का भुगतान	48.35	190.85
3	अवकाश नकदीकरण बीमांकिक मूल्यांकन	32.10	31.23
4	उपदान बीमांकिक मूल्यांकन	33.56	(131.82)
	कुल	135.14	154.87

उप नोट 20.4 कल्याण व्यय

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	2021-22	2020-21
1	कैंटीन और टिफिन	4.19	2.74
2	श्रम कल्याण निधि	0.06	0.00
3	अन्य कल्याण व्यय	3.17	57.54
	कुल	7.42	60.28

नोट 21 : वित्तीय लागत

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	2021-22	2020-21
1	सुरक्षा जमा सी एंड एफ पर ब्याज	2.93	8.13
2	व्यावसायिक कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज	0.02	0.00
4	दूसरों की रुचि	0.00	0.02
	कुल	2.95	8.15

नोट 22 : मूल्यहास और परिशोधित लागत

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	2021-22	2020-21
	अचल संपत्ति का मूल्यहास	614.73	592.23
	कुल	614.73	592.23

नोट 23 : अन्य खर्च

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	2021-22	2020-21
1	मरम्मत और रख रखाव	60.69	29.13
2	बीमा प्रीमियम	0.43	19.38
3	किराया, दरें और कर	71.39	235.18
4	विविध व्यय	729.40	834.65
5	लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक	1.80	2.45
6	ड्रूट और कमीशन	320.57	222.71
7	बिक्री कर की मांग	0.00	4.61
8	कर के निर्धारण पर जुर्माना	2.62	0.48
	कुल	1186.90	1348.59

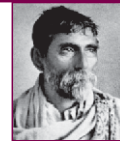
उप नोट 23.1 मरम्मत और रखरखाव

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	2021-22	2020-21
1	संयंत्र और मशीनरी की मरम्मत	25.36	20.45
2	भवन की मरम्मत	17.74	1.10
3	दूसरों की मरम्मत करता है	17.59	7.58
	कुल	60.69	29.13



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



उप नोट 23.2 बीमा प्रीमियम

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	2021-22	2020-21
	बीमा प्रीमियम का भुगतान किया	0.43	19.38
	कुल	0.43	19.38

उप नोट 23.3 किराया, दरें और कर

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	2021-22	2020-21
1	दरें और कर	33.92	207.60
2	किराये का खर्च	31.05	27.58
3	किराये पर ब्रोकरेज	6.42	0.00
	कुल	71.39	235.18

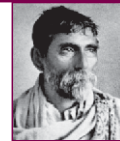
उप नोट 23.4 विविध व्यय

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	2021-22	2020-21
1	बिजली और ईंधन	126.41	146.34
2	कारखाना उत्पादन विविध व्यय	29.73	41.15
3	लाइसेंस शुल्क	9.58	6.31
4	प्रावधान और राइट ऑफ	131.22	101.82
5	पेशेवर शुल्क	19.42	20.24
6	मुद्रण और स्थिर	0.55	0.34
7	संपत्ति की बिक्री का नुकसान	0.00	1.37
8	सॉफ्टवेयर खर्च	3.11	3.50
9	अनुसंधान एवं विकास	16.21	14.54
10	कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी खर्च	29.60	32.26
11	विज्ञापन, प्रेस और प्रचार	5.92	12.63
12	मुद्रण और स्थिर	5.29	5.20
13	डाक और तार	1.01	0.75
14	वेबसाइट और इंटरनेट	0.53	0.16
15	बिक्री प्रचार	0.84	3.47
16	टेलीफोन खर्च	2.80	3.33
17	वाहनों के रखरखाव और चलाने का खर्च	3.53	9.73
18	पानी और बिजली शुल्क	0.78	0.00
19	बैंक प्रभार	1.32	0.70
20	कानूनी शुल्क	0.06	0.20
21	फीस कंपनी के मामले	0.27	0.02
22	मनोरंजन व्यय	2.78	0.07
23	पत्रिकाएं और पत्रिकाएं	0.36	0.07
24	सदस्यता सदस्यता	0.25	0.29
25	प्रदूषण नियंत्रण	0.00	0.14
26	यात्रा खर्च	10.74	9.19
27	सुरक्षा सेवा किराया शुल्क	100.71	111.53
28	निविदा खर्च	0.14	0.16
29	सामान्य खर्च	39.92	55.86
30	भाड़ा प्रभार	186.32	251.00
31	पूर्व अवधि व्यय	0.00	2.28
	कुल	729.40	834.65



बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



उप नोट 23.5 लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	2021-22	2020-21
1	लेखा - परिक्षण शुल्क	1.80	1.80
2	प्रमाणन शुल्क	0.00	0.65
	कुल	1.80	2.45

उप नोट 23.6 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	2021-22	2020-21
1	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	29.60	32.26
2	खर्च की गई राशि	19.30	32.26
3	साल के अंत में कमी	10.30	0.00
	कुल	29.60	32.26

23.6.1 अन्य खुलासे

क कमी का कारण:- इस प्रतिवेदन की तिथि तक रु. 6.94 लाख का व्यय किया जा चुका है 3.34 लाख रुपये खर्च नहीं हुए हैं।

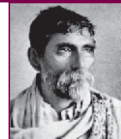
ख सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति: - सशस्त्र बलों के फ्लूग डे फंड में योगदान राशि रु 3.00 लाख।
रामकृष्ण वेदांत आश्रम, विवेकानंद रोड, कोलकाता में योगदान - 10.00 लाख रुपये।

बैंगलोर शहर के लिए एन-95 मास्क का वितरण। 6.30 लाख रुपये

नोट 24 : प्रति शेयर आय

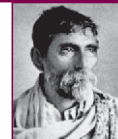
(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	2021-22	2020-21
1	कर के बाद शुद्ध लाभ	747.16	608.22
2	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	769604	769604
	प्रति शेयर आय (रु.10/- का अंकित मूल्य पूरी तरह से भुगतान किया गया)	97.08	79.03



अनुपात विश्लेषण

क्रम सं.	अनुपात विश्लेषण	मीटर	2021-22 लाख रुपये में	2020-21 लाख रुपये में	भाजक	2021-22 लाख रुपये में	2020-21 लाख रुपये में	31-Mar-22	31-Mar-21
1	वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति सूची विविध देनदार नकद और बैंक शेष प्राप्य/उपाजन ऋण और अग्रिम डिस्पोजेबल निवेश कोई अन्य मौजूदा संपत्ति	1441.14 2711.27 658.06 1119.35 2511.77	1443.67 2939.16 385.94 1271.48 776.98	वर्तमान देनदारियां माल और सेवाओं के लिए लेनदार अल्पावधि ऋण बैंक ओवरड्राफ्ट नकद साख बकाया खर्च कराधान के लिए प्रावधान प्रस्तावित लाभंश लावारिस लाभंश कोई अन्य चालू देयताएं	2,104.05 2,044.02 165.42 1,822.30	1,684.77 1,968.92 304.58 1,966.18		
2	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल देनदारियां कुल बाहरी देनदारियां	8441.59 6249.84	6817.23 25349.13	शेयरधारकों की इक्विटी कुल शेयरधारकों की इक्विटी	6135.79 15354.64	5924.45 (4763.16)	1.38 0.41	1.11 (5.32)
3	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात (इंड एएस कंपनियों के लिए ऑप्सीआई से पहले लाभ)	शुद्ध ऑपरेटिंग आय कर के बाद शुद्ध लाभ+ गैर-नकद परिचालन व्यय जैसे मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन+व्याज+अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान, आदि।	1364.84		ऋण सेवा वर्तमान ऋण दायित्व (व्याज और पट्टा भुगतान + मूल चुकोती)				वर्ष 2021-22 के दौरान शासनादे शत्रुसार भारत सरकार के ऋण सहित उसके व्याज को माफ कर दिया गया है। इस वजह से बीसीपीएल ने इस तरह के कर्ज और उसके व्याज के कुल 19370.64 लाख रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। परिणामस्वरूप ऋण इक्विटी अनुपात पिछले वर्ष के नकारात्मक ऋण इक्विटी अनुपात से सकारात्मक हो जाता है।
4	इक्विटी अनुपात पर लोंटें	अवधि के लिए लाभ करों के बाद शुद्ध लाभ - वरीयता लाभंश (यदि कोई हो)	747.16	608.22	औसत शेयरधारकों की इक्विटी (शुरुआती शेयरधारकों की इक्विटी+अंतिम शेयरधारकों की इक्विटी)÷2	5,295.74	-10,134.54	0.14	(0.06)
5	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बचे गए माल की कीमत (शुरुआती स्टॉक+खरीद)- अंतिम स्टॉक	3375.82	3423.52	औसत सूची (ओपनिंग स्टॉक + क्लोजिंग स्टॉक)/2	1,442.41	1,548.28	2.34	2.21
6	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	नेट क्रेडिट बिक्री उधार बिक्री	2634.31	2414.43	औसत व्यापार प्राप्य (व्यापार प्राप्ति की शुरुआत+ व्यापार प्राप्ति की समाप्ति)/2	470.87	504.87	5.59	4.78



क्रम सं.	अनुपात विशेषण	मीटर	2021-22 लाख रुपये में	2020-21 लाख रुपये में	भाजक	2021-22 लाख रुपये में	2020-21 लाख रुपये में	31-Mar-22	31-Mar-21
7	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	कुल खरीदारी वार्षिक निवल ऋण खरीद	3373.29	3214.30	औसत व्यापार देय (प्रारम्भिक व्यापार देय + समाप्त व्यापार देय)/2	315.73	318.75	10.68	10.08
8	नेट कैपिटल टर्नओवर अनुपात	कुल बिक्री कुल बिक्री-बिक्री वापसी	6236.85	6348.17	औसत कार्यशील पूंजी चाहू संपत्तियां चाहू दायित्व	2,305.80	892.78	2.70	7.11
9	शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ कर अदायगी के बाद लाभ	747.16	608.22	कुल बिक्री बिक्री	6,236.85	6,348.17	0.12	0.10
10	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ईबीआईटी व्याज और करों से पहले लाभ	908.18	782.37	नियोजित पूंजी * कैपिटल एम्प्लॉयड=टैजिबल नेट वर्थ+टोटल डेट+डिफेंड टैक्स लायबिलिटी	15,354.64	14,607.48	0.06	0.05
11	निवेश पर प्रतिफल	वापसी/लाभ/आय	36.38	23.01	निवेश **	2,482.29	767.29	1.47	3.00

* नियोजित पूंजी का तीन तरह से व्यवहार किया जा सकता है

कुल संपत्ति - वर्तमान देनदारियां
फिक्स्ड एसेट्स + कार्यशील पूंजी
इक्विटी + दीर्घावधि तिथि

*** जीएन के अनुसार आरओआई

आरओआई = {एमवी(टी1) - एमवी(टी0) - योग [सी(टी)]}
{एमवी(टी0) + योग [डब्ल्यू(टी) * सी(टी)]}

जहां, T1 = समय अवधि का अंत

TO = समय अवधि की शुरुआत

t = T1 और TO के बीच आने वाली विशिष्ट तिथि

एमवी(टी1) = टी1 पर बाजार मूल्य

MV(TO) = TO पर बाजार मूल्य

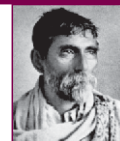
सी (टी) = नकदी प्रवाह, विशिष्ट तिथि पर नकदी बहिर्वाह

डब्ल्यू(टी) = दिन 'टी' पर शुद्ध नकदी प्रवाह (या तो शुद्ध अंतर्वाह या शुद्ध बहिर्वाह) का वजन, [टी1 - टी] / टी के रूप में गणना की जाती है

कंपनियां प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग (जैसे, इक्विटी, निश्चित आय, मुद्रा बाजार, आदि) के लिए अलग से आरओआई प्रदान कर सकती हैं।

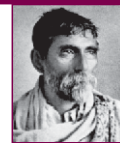


बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



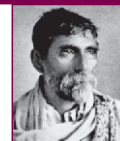


बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)





बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
(भारत सरकार का उद्यम)



विभाग-I	विभाग-II		विभाग-III		
औद्योगिक रसायन	फार्मा - जेनेरिक	फार्मा - ब्रांडेड	कीटाणुनाशक	केश तेल	अन्य उत्पाद
- फिटकरी - ब्लीचिंग पाउडर	- गोलियाँ कैप्सूल - इंजेक्टेबल मलहम - तरल पदार्थ बाहरी तरल पदार्थ - एसवीएस	- एक्वा पाइकोटिस - कालमेघ - यूथेरिया - बेनफ्लम - बेन्सानी+	- फिनोल - व्हाइट टायगर - क्लिन शौचालय - लाइसोल	कैथरिडाइन केश तेल	- नेफथलीन बॉल्स - तरल साबुन - एगु एसेन्स

कैंथाराईडिन
हेयर ऑयल



सभी के लिए
स्वच्छता और
स्वास्थ्य सेवा

नेफ्थलीन
बॉल्स



बेंसनी+
हैंड सैनिटाइजर



बंगाल केमिकल्स
के गृह देखभाल एवं
स्वच्छता उत्पाद

फिनोल
कीटाणुनाशक



व्हाइट टाइगर
फ्लोर क्लीनर



बंगाल केमिकल्स एण्ड
फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

CIN No. : U24299WB1981GOI033489

वेबसाइट : www.bengalchemicals.co.in

उत्पाद रिटेल स्टोर पर उपलब्ध हैं :

1. 6, गणेश चन्द्र एवेन्यु, कोलकाता - 700 013
2. 153, लेलिन सारणी, कोलकाता - 700 013
3. 44, गोपाल लाल ठाकुर रोड, कोलकाता - 700 036
4. 502, एस.वी. सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई - 400 025